ध्येयIAS®
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

वर्ष 5 | अंक 08 | अप्रैल 2023 / Issue 02 | मूल्य: ₹ 55

dhyeyaias.com

आपराधिक मामलों में अन्य देशों से भारत के प्रत्यर्पण संधि को प्रभावी बनाने की आवश्यकता

भारत में पशु अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी आवश्यकता

भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार कानूनों को प्रभावशाली बनाना: समय की मांग

मंदिरों में दलितों के प्रवेश आंदोलन से दलित सशक्तीकरण की भारतीय यात्रा

डिजिटल इंडिया विधेयक के जरिए भारत को ट्रिलियन-डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने की योजना

सांसदों की अयोग्यता और संसदीय विशेषाधिकारों से जुड़े संवैधानिक राजनीतिक पहलुओं की समीक्षा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन के अधिकार से जुड़े निर्णय का औचित्य

प्रीलिम्स स्पेशल 2023: विविध-02

परफेक्ट-7
करेंट अफेयर्स मैगजीन ही क्यों?

1. सर्वप्रथम परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन, **प्रत्येक 15 दिन** में प्रकाशित होती है जिससे छात्र करेंट अफेयर्स से अप-टू-डेट रहते हैं, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाएं मासिक होती हैं जिससे महीने भर की करेंट अफेयर्स एक साथ एकत्र हो जाती हैं। अधिक करेंट अफेयर्स होने के कारण छात्र प्रायः सभी लेखों को पढ़ नहीं पाते। अंततः वे वार्षिकी और अर्द्धवार्षिक मैगजीन पर निर्भर हो जाते हैं।
2. परफेक्ट-7 मैगजीन **आईएएस और पीसीएस केंद्रित परीक्षा** को ध्यान में रखकर बनाई गई है, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाओं में आईएएस और पीसीएस परीक्षा के नाम पर अनावश्यक एवं अतिरिक्त सामग्री शामिल कर देते हैं, जिससे छात्रों में कन्फ्यूजन हो जाता है।
3. परफेक्ट-7 मैगजीन में 15 दिन के दौरान महत्त्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी घटनाओं पर **विषय विशेषज्ञों द्वारा 7 संपादकीय लेख, महत्त्वपूर्ण घटनाओं और सूचनाओं पर 42 लेख, रचनात्मक शैली में 7 ब्रेन-बूस्टर, करेंट अफेयर्स, वन लाइनर, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा संबंधित प्रश्न** आदि दिए जाते हैं। इसके साथ व्यक्ति विशेष नाम का एक खंड भी है जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व के देश और समाज के प्रति योगदान को दर्शाता है। इस तरह 15 दिन की अवधि में आईएएस, पीसीएस परीक्षा केंद्रित कोई भी महत्त्वपूर्ण सूचना और खबर नहीं छूटती।
4. इसके साथ ही **केस स्टडी खंड** के माध्यम से छात्र यह सीखते हैं कि एक अधिकारी को अपने कार्यकाल के दौरान कैसी परिस्थितियों का सामना करना होता है और उसका क्या समाधान हो सकता है?
5. परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन के माध्यम से Dhyeya IAS के सबसे महत्त्वपूर्ण परीक्षा कार्यक्रम **PMI (Pre + Mains + Interview)** की अच्छे से तैयारी हो जाती है।
6. करेंट अफेयर्स आधारित कक्षाओं में परफेक्ट-7 के माध्यम से तैयारी कराई जाती है जिससे छात्रों की गुणवत्तापूर्ण तैयारी हो पाती है।
7. परफेक्ट-7 मैगजीन **प्रत्येक माह की 10 और 25 तारीख** को छात्रों के लिए उपलब्ध हो जाती है, वहीं अन्य संस्थानों की मैगजीन में करेंट अफेयर्स पिछले महीने का होता है और पत्रिका में आगे का अगला महीना अंकित होता है, अर्थात करेंट अफेयर्स लगभग 1 माह पुराना होता है।
8. परफेक्ट-7 मैगजीन में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा केंद्रित मॉक टेस्ट रहते हैं जिसके माध्यम से छात्र अपनी तैयारी को और भी सटीक बना सकते हैं।

-: For any feedback Contact us :-

+91 6393005298

perfect7magazine@gmail.com

OUR OTHER INITIATIVES

DHYEYA TV
Current affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
Ex. Editor RSTV) & by Dhyeya Team
Broadcasted on YouTube & Dhyeya TV

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

पहला पन्ना

करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की ओर से आयोजित परीक्षाओं की तैयारी में अति महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट-7 पत्रिका का पाक्षिक प्रकाशन किया जा रहा है। आईएएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के राज्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाये। परफेक्ट-7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है। इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ-साथ सामान्य अध्ययन के महत्त्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्व की जीवनी और भूमिकाओं को, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर 15 दिन पर सबसे महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, लोक प्रशासन, कला-संस्कृति, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर जोर दिया जाता है।

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ने के लिए ब्रेन-बूस्टर सेक्शन में 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैधिक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहती है। इस मैगजीन को केवल बच्चों व केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नहीं बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का ध्येय यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। पत्रिका के प्रारूप में अभ्यर्थियों की तथ्यात्मक आवश्यकताओं, मानसिक विकास, लेखन प्रविधि विकसित करने जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुये स्तंभ शामिल किये गये हैं। इसके साथ ही हम अभ्यर्थियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नये स्तंभ शुरू करते रहे हैं और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। आशा है कि आप सभी के लिये यह अंक उपयोगी सिद्ध होगा। हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

इस अंक में...

प्रबंध संपादक : विजय सिंह
: बाघेन्द्र सिंह
संपादक : विवेक ओझा
सह-संपादक : आशुतोष मिश्र
: सौरभ चक्रवर्ती
उप-संपादक : हरि ओम पाण्डेय
: भानू प्रताप
प्रकाशन प्रबंधन : डॉ.एस.एम. खालिद
संपादकीय सहयोग : सल्तनत परवीन
: नितिन अस्थाना
: दीपक, निकिता
: ऋषिका तिवारी
: ऋतु, प्रत्यूषा
: नीरज, लोकेश
मुख्य समीक्षक : ए.के. श्रीवास्तव
शोध एवं समीक्षक : शशांक त्रिपाठी
आवरण सज्जा एवं विकास : अरूण मिश्र
: पुनीष जैन
सोशल मीडिया सहयोग : केशरी पाण्डेय
जीवन ज्योति
मार्केटिंग सहयोग : रवीश, प्रियांक
टंकण : सचिन, तरून
तकनीकी सहायक : वसीफ खान
कार्यालय सहायक : राजू, चंदन, गुड्डू
अरूण, राहुल

समसामयिकी लेख 5-20

1. भारत में पशु अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी आवश्यकता
2. आपराधिक मामलों में अन्य देशों से भारत के प्रत्यर्पण संधि को प्रभावी बनाने की आवश्यकता
3. भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार कानूनों को प्रभावशाली बनाना: समय की मांग
4. मंदिरों में दलितों के प्रवेश आंदोलन से दलित सशक्तीकरण की भारतीय यात्रा
5. डिजिटल इंडिया विधेयक के जरिए भारत को ट्रिलियन-डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने की योजना
6. सांसदों की अयोग्यता और संसदीय विशेषाधिकारों से जुड़े संवैधानिक राजनीतिक पहलुओं की समीक्षा
7. सुप्रीम कोर्ट द्वारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन के अधिकार से जुड़े निर्णय का औचित्य

राष्ट्रीय 22-26
अंतर्राष्ट्रीय 27-30
पर्यावरण 31-35
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 36-39
आर्थिकी 40-44
विविध 45-48
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें 49-52
समसामयिक घटनाएं एक नजर में ... 53
ब्रेन-बूस्टर 54-60

प्रीलिम्स स्पेशल 2023

- विविध-02 61-72
- प्रीलिम्स आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न 74-79

समसामयिकी आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न 80-81
व्यक्तित्व 82

साभार:- PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, Deccan Herald, हिन्दुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण व अन्य

आगामी अंक में

- भारत में बढ़ती न्यायोत्तर हत्याएं
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा भारत की वर्तमान विनियामक व्यवस्था
- भारत-भूटान संबंधों के नए उभरते आयाम
- समुद्री मार्ग से बढ़ते नशीले पदार्थों की तस्करी पर आईएनसीबी की रिपोर्ट के मायने
- प्रोजेक्ट टाइगर : एक सफल परियोजना
- जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग : कृषकों की आय तथा पर्यावरण संरक्षण का ध्वजवाहक
- विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023: बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका

भारत में पशु अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी आवश्यकता

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के लागू होने के 63 वर्ष बाद अब इस साल 27 मार्च को केंद्र सरकार ने पशुओं के सींग हटाने (Dehorning), कैस्ट्रेशन (Castration), ब्रैंडिंग अथवा नकेल लगाने (Nose Roping) आदि से संबंधित प्रक्रियाओं पर नई नीति जारी की है। पशुओं की डिहार्निंग, कैस्ट्रेशन, ब्रैंडिंग और नोज रोपिंग से जुड़ी प्रक्रियाओं को इससे पूर्व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा-11 और उपधारा-3 के तहत परिभाषित नहीं किया गया था जिसके चलते पशुओं अथवा मवेशियों को अमानवीय आचरण, क्रूरता और शोषण का सामना करना पड़ रहा था। धारा-11 में उन कृत्यों को परिभाषित किया गया है जिनसे पशु क्रूरता होती हो, लेकिन उपधारा-3 एनिमल हसबैंड्री प्रोसिजर्स के लिए कुछ अपवादों की छूट देती है जिसमें पशुओं की डिहार्निंग, कैस्ट्रेशन, ब्रैंडिंग और नोज रोपिंग से जुड़ी प्रक्रियाएं शामिल हैं। उपधारा-3 में यह भी प्रावधान है कि किसी भी प्रवृत्त कानून के तहत किसी एनिमल का सफाया या उन्मूलन किया जा सकता। कई पशु अधिकार संरक्षण संगठनों ने इस प्रावधान को अमानवीय माना है। यही कारण है कि अब केंद्र सरकार ने इस कानून और प्रक्रियाओं में स्पष्टता लाने के लिए नीतिगत स्तर पर बड़ा कदम उठाया है जिसे पशु कल्याण और पशु अधिकार संरक्षण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

केंद्र सरकार द्वारा जारी नए नियमों में कहा गया है कि पशुओं में स्ट्रेस लेवल को घटाने के लिए उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जानी चाहिए और उन्हें पोस्ट सर्जिकल केयर दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा जारी नियमों में पशुओं को दर्दनाक मौत से बचाने हेतु सभी बीमार पशुओं के लिए यूथनेशिया की पद्धति की व्यवस्था की गई है।

नए नियमों में इस बात पर बल दिया गया है कि पशुओं की डिहॉर्निंग के बजाय नेचुरली हॉर्नलेस कैटल की ब्रीडिंग पर काम किया जाए। इसके साथ ही नोज रोपिंग के मामले में मानवीय प्रक्रिया और फेस हाल्टर्स का इस्तेमाल किया जाए, साथ ही जीवित ऊतकों पर कोल्ड और हॉट ब्रैंडिंग को रोका जाए। नए नियम में यह प्रावधान है कि पशुओं अथवा मवेशियों से संबंधित उपरोक्त वर्णित सभी प्रक्रियाएं एक पंजीकृत वेटरनरी प्रैक्टिशनर की संलग्नता के साथ किया जाए और लोकल एनेस्थेटिक्स का अनिवार्य प्रयोग किया जाए। नए नियमों में बताया गया है कि साड़, बैलों तथा घोड़ों के कैस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत ही कष्टकारक होती है और ऐसे कष्ट को कम करने के प्रयास करने चाहिए। इन पशुओं के कैस्ट्रेशन मेथड में ब्लड वेसल्स, नर्वस सिस्टम को नष्ट करने की प्रक्रिया शामिल होती है जो अमानवीय है। इसीलिए पशुओं के साथ मानवीय दृष्टिकोण के साथ केंद्र सरकार ने नए नियमों को जारी किया है।

पशुओं को लीगल एंटिटी घोषित करने पर सुप्रीम कोर्ट का नया निर्णय:

- पशुओं की बलि हो या जलीकट्टू और कंबाला जैसी मनोरंजक स्पर्धाएं, सर्कस में पशुओं का बलपूर्वक इस्तेमाल किया जाना हो या उनकी तस्करी का मुद्दा, आवारा पशुओं का मामला हो या पशुओं के लिए खाद्य तथा जल का अभाव हो अथवा पशुओं पर कीटनाशकों का प्रभाव हो, इन सभी मामलों में पशु अधिकारों का हनन देखा गया है। पशुओं के साथ अमानवीय व्यवहार और दृष्टिकोण को रोकने के लिए वैसे तो केंद्र सरकार तथा अन्य अभिकरण सक्रिय हैं, लेकिन हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद स्थित एनजीओ 'पीपुल्स सारथी ऑर्गनाइजेशन (पीसीओ)' की जनहित याचिका को खारिज कर दिया। जनहित याचिका देश में पशु संरक्षण कानूनों को मजबूत करके पशु क्रूरता को रोकने के उद्देश्य से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि पिछले कुछ महीनों में जानवरों के प्रति क्रूरता के कुछ मामले सामने आए हैं जिन्होंने सवाल उठाया है कि इंसानों के मन में जानवरों के जीवन के लिए कोई सम्मान नहीं है और वे सहानुभूति से बिल्कुल रहित कैसे हो सकते हैं? वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि इसमें एवियन और जलीय प्रजातियों सहित पूरे पशु समाज को 'लीगल इंटिटी' के रूप में घोषित करने की मांग की गई थी। पीठ ने कहा कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र में याचिका पर विचार नहीं कर सकती।

- पर्यावरण संरक्षण विशेषज्ञों का एक वर्ग कहता है कि सभी पशुओं को जीवित इंसान अथवा विधिक इकाई के रूप में माना जाना चाहिए। ऐसे लोगों का मानना है कि प्राकृतिक समानता का सिद्धांत इस बात की मांग करता है कि प्रकृति के सभी जीव जंतुओं को समान माना जाए। यदि यह दृष्टिकोण बना रहा कि इंसान पशुओं की तुलना में अधिक अधिकार और सुविधा के हकदार हैं तो इंसानों द्वारा जानवरों की प्रताड़ना संबंधी दृष्टिकोण को विकसित होने से रोका नहीं जा सकेगा। इसलिए दुनिया के कई देशों ने जानवरों को बड़े अधिकार देने की घोषणाएं भी की हैं। पिछले साल इक्वाडोर दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने वन्यजीवों को वैधानिक अधिकार यानी लीगल राइट्स प्रदान किया है। इस मामले में दक्षिण अमेरिकी देश ने मिसाल पेश की है जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय

ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक निर्णय दिया था। दरअसल, एक वूली मंकी जिसका नाम एसट्रेलिटा था जिसे उसके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर एक लाइब्रेरियन एना प्रोवानो ने अपना पालतू पशु बनाने के लिए तब मंगाया, जब यह मादा बंदर मात्र 1 माह की थी। महिला को 18 साल तक इसे अपनी देख रेख में रखना था। चूंकि दक्षिण अमेरिका में वन्यजीवों को घर में रखना गैर कानूनी है, इसलिए 2019 में वन्य कर्मचारियों ने एना प्रोवानो से इस मादा बंदर को जब्त कर लिया। फिर इसे प्राकृतिक आवास यानी जंगलों में छोड़ने के बजाय चिड़ियाघर में भेजा गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। इस पर एना प्रोवानो ने हैबियस कॉरपस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) फाइल करते हुए इक्वाडोर के सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया कि वो निर्णय दे कि इस मंकी के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इस पर कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए कहा था कि सरकार के द्वारा इस मंकी के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस मंकी की ओनर ने भी प्राकृतिक आवास से इतने कम उम्र में मंकी को बाहर निकलवाकर उसके अधिकारों का उल्लंघन किया है। इस निर्णय का महत्त्व यह है कि इक्वाडोर के संविधान में जो प्रकृति का अधिकार दिया गया है, उसके तहत वन्यजीवों के संरक्षण का कानूनी अधिकार भी वैध हो जाता है जिससे दुनिया के कई देशों को सकारात्मक संदेश मिलता है।

भारत में वन्यजीवों को लीगल एंटिटी मानने संबंधी निर्णय:

- भारत में वन्यजीवों को वैधानिक इकाई के रूप में मानने से जुड़े फैसले राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा किए गए हैं। करनैल सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसलों में यह दिखता है। इसके अलावा नारायण दत्त भट्ट बनाम भारत संघ और अन्य में उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्णय में भी वन्यजीवों को लीगल एंटिटी घोषित किया जा चुका है। इन निर्णयों में जानवरों के साम्राज्य में सभी जानवरों को 'लीगल इंटिटी' के रूप में मान्यता दी गई और इन राज्यों के सभी नागरिकों को लोको पेरेंटिस (माता-पिता के स्थान पर) घोषित किया गया। उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ग्लेसियरों, हिमालय और गंगा नदी के बाद हवा, पानी तथा पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को विधिक व्यक्ति का दर्जा दिया था। विधिक व्यक्ति का दर्जा देते हुए उन्हें मनुष्य की तरह अधिकार, कर्त्तव्य और जिम्मेदारियां दी गई थीं, साथ ही उत्तराखंड के लोगों को उनका संरक्षक घोषित किया गया था।

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की भूमिका:

- वर्ष 1962 में पशु क्रूरता निवारण कानून, 1960 के खण्ड-4 के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था। यह बोर्ड पशु कल्याण से संबंधित कानूनों का देश में सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करता है। इस कार्य से जुड़ी संस्थाओं की मदद करता है और केंद्र तथा राज्य सरकारों को इस संबंध में परामर्श देता है। इस बोर्ड में 28 सदस्य होते हैं जिसमें 6 सांसद (4 लोकसभा से और 2 राज्य सभा से) हैं। बोर्ड का उद्देश्य है कि मनुष्यों को छोड़कर सभी प्रकार के जीवों की तकलीफ, पीड़ा और दर्द से बचाव करना, इसीलिये इसका स्लोगन है कि चींटी से लेकर हाथी तक, सभी की सुरक्षा। यह बोर्ड चारागाहों की घटती संख्या को नियंत्रित करने की दिशा में विशेष ध्यान दे रहा है क्योंकि गोचर/चारागाह भूमि की कमी से पशुओं को सबसे ज्यादा तकलीफ सहन करनी पड़ती है। इसलिए यह बोर्ड इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का अनुसरण करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि सभी प्रकार के चारागाहों का संरक्षण किया जाना चाहिये और इन्हें केवल पशु कल्याण के लिये प्रयोग किया जाना चाहिये। बोर्ड ने इस संबंध में सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
- भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, राज्य पशु कल्याण बोर्ड के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिये समितियों के गठन पर बल देता है। 2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य एवं जिला स्तर पर ऐसे त्रिस्तरीय बोर्डों और समितियों के गठन का आदेश दिया था। इसके साथ ही भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने स्मार्ट शहरों तथा महानगरों में पशु संरक्षण गृह एवं पशुओं के लिये होस्टेल स्थापित करने के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। AWBI बनाम ए. नागराज, 2014 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार बोर्ड उन सभी विभागों एवं संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगा जो कि न्यायालय के निर्देशों एवं बोर्ड के परामर्श का पालन नहीं करेंगे।

भारत में पशु अधिकार संरक्षण से जुड़े पहलू:

- भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम नागराज (2014) मामले में भारतीय राज्यों तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में क्रमशः जल्लीकट्टू (बैल-कुश्ती) और बैलगाड़ी दौड़ की प्रथा को समाप्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-21 में निहित गरिमा तथा निष्पक्ष व्यवहार के अधिकार के तहत केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशु भी शामिल हैं।
- वहीं भारतीय संविधान के अनुसार, देश के प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि जंगलों, झीलों, नदियों और जानवरों की देखभाल तथा संरक्षण करना सभी की जिम्मेदारी है।

- हालाँकि इनमें से कई प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) और मौलिक कर्त्तव्यों के तहत आते हैं, जिन्हें तब तक लागू नहीं किया जा सकता, जब तक कि वैधानिक समर्थन न हो। अनुच्छेद-48ए में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और इसमें सुधार करने तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
- अनुच्छेद-51ए (जी) में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि 'जंगलों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा व उसमें सुधार करें तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया करें।' राज्य सूची और समवर्ती सूची को भी निम्नलिखित पशु अधिकार संबंधी विषय प्रदान किया गया है:
    - राज्य सूची विषय-14 के अनुसार, राज्यों को 'संरक्षण, रखरखाव और पशुधन में सुधार एवं पशु रोगों को रोकने तथा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण व अभ्यास को लागू करने' का अधिकार दिया गया है। समवर्ती सूची में शामिल वे कानून जिसे केंद्र और राज्य दोनों पारित कर सकते हैं:
    - 'पशु क्रूरता की रोकथाम', जिसका उल्लेख विषय-17 में किया गया है। 'जंगली पशुओं और पक्षियों का संरक्षण' जिसका उल्लेख विषय-17बी के रूप में किया गया है।

भारत में जानवरों के संरक्षण के लिये महत्त्वपूर्ण कानून:

- भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860, भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है जो आपराधिक कानून के सभी मूल पहलुओं को शामिल करती है। IPC की धारा-428 और 429 क्रूरता के सभी कृत्यों जैसे कि जानवरों की हत्या, जहर देना, अपंग करने या जानवरों को अनुपयोगी बनाने के लिये सजा का प्रावधान करती है। वहीं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 का उद्देश्य 'जानवरों को अनावश्यक दर्द पहुँचाने या पीड़ा देने से रोकना' है, जिसके लिये अधिनियम में जानवरों के प्रति अनावश्यक क्रूरता और पीड़ा पहुँचाने के लिये दंड का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में पशु को मनुष्य के अलावा किसी भी जीवित प्राणी के रूप में परिभाषित किया गया है।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 का उद्देश्य पर्यावरण और पारिस्थितिकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये देश में सभी पौधों एवं जानवरों की प्रजातियों की रक्षा करना है।
- यह अधिनियम वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और चिड़ियाघरों की स्थापना का प्रावधान करते हुए लुप्तप्राय जानवरों के शिकार पर रोक लगाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा-16 (सी) के तहत जंगली पक्षियों या सरीसृपों को नुकसान पहुंचाना, उनके अंडों को नुकसान पहुंचाना, घोंसलों को नष्ट करना अपराध है। ऐसा करने का दोषी पाए गए व्यक्ति को 3 से 7 साल का कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना या दोनो हो सकता है।

आपराधिक मामलों में अन्य देशों से भारत के प्रत्यर्पण संधि को प्रभावी बनाने की आवश्यकता

अपराध किसी देश, समाज की शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता पर घातक असर डालता है, वहीं जब बात सीमापार संगठित अपराधों की आती है तो चुनौती और भी बढ़ जाती है। पिछले एक दशक से यह देखा गया है कि भारत की धरती पर अपराध करके अपराधी किसी दूसरे देश में सुरक्षित ठिकाना ढूंढ लेने में सफल रहे हैं। ऐसे अपराधियों या आतंकियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही में इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ देश में मुकदमा चलाकर उन्हें दंडित करने में होने वाली देरी से अन्य आपराधिक नेटवर्क के लोगों का मनोबल भी ऊंचा हो जाता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि भारत ने जिन देशों से इन मामलों में सहयोग के लिए प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर कर रखा है, उसे इतना प्रभावी बनाया जाये कि दूसरा राष्ट्र भारत को आतंकियों तथा अपराधियों के प्रत्यावर्तन में देरी लगाने की न सोचे। इसके लिए भारत को कई देशों के साथ हो चुकी प्रत्यर्पण संधि के प्रावधानों को अधिक धारदार बनाने के लिए ऐसे राष्ट्रों को विश्वास में लेने की जरूरत है। ताजा उदाहरण खालिस्तानी आंदोलन की मंशा रखने वाले अमृतपाल का लिया जा सकता है जिसके बारे में सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अन्य कई अपराधियों के समान ही इसने भी नेपाल की धरती को अपनी शरणस्थली बना लिया है। भारत-नेपाल बार्डर पर मानव तस्करी, हथियार तस्करी, ड्रग्स और मवेशियों की तस्करी करने वाले अपराधी भी भारत के कानूनी तंत्र से बचने के लिए नेपाल में सुरक्षित स्थान ढूंढ लेते हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि भारत सरकार, नेपाल से भारत-नेपाल प्रत्यर्पण संधि की प्रभावकारिता पर बात करे जिससे अपराधियों के लिए सेफ हेवंस का उन्मूलन किया जा सके। यहां इस बात का उल्लेख करना जरूरी हो जाता है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेंडमेंट एक्ट, 2019 में भारत के बाहर होने वाले आतंकी हमलों जिनसे भारतीयों के हित प्रभावित होते हों, की जांच पड़ताल करने, चार्जसीट फाइल करने, अभियोग चलाकर दंडित करने का अधिकार एनआईए को दिया गया है। इन संस्थाओं को इस तरह अधिकार संपन्न बनाना, प्रत्यर्पण संधि जैसे उपायों की प्रभावकारिता में भी कहीं न कहीं सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

भारत सरकार की सक्रियता के साथ ही 2005 में डॉन अबु सलेम और मोनिका बेदी को पुर्तगाल से भारत में प्रत्यर्पण किया गया था, वहीं छोटा राजन इंडोनेशिया से तथा अनूप चेतिया को बांग्लादेश से साल 2015 में प्रत्यर्पण किया गया। इसी के तहत जगतार सिंह तारा को थाईलैंड से भारत लाया गया। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, दक्षिण अफ्रीका के गुप्ता ब्रदर्स, जाकिर नाइक जैसे कई नाम हैं जिन पर देश में गंभीर आर्थिक अपराध करने और साम्प्रदायिकता भड़काने का आरोप है, जिनके लिए प्रत्यर्पण संधियों का प्रभावी होना जरूरी हो जाता है। केवल किसी देश के साथ प्रत्यर्पण संधि कर लेना या होना ही काफी नहीं है, जरूरी यह है कि संधि के प्रावधानों के अनुसार दूसरा देश कानूनी मदद देने के लिए प्रतिबद्धता दिखाए।

भारत में अपराध करके नेपाल में शरण लेना आसान क्यों?

- अगर खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथी नेता अमृतपाल सिंह नेपाल जाकर छुप गया, तो ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं होगी। इससे पहले चोरी-लूट से लेकर हत्या और आतंकी घटनाओं में शामिल रहे अपराधी भी भागकर नेपाल में छुपते रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के अपराधियों के लिए नेपाल भागना बहुत आसान है। इन दोनों राज्यों से अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद पैदल ही नेपाल चले जाते हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के अपराधियों ने भी कई बार छिपने के लिए नेपाल को ठिकाना बनाया है। दरअसल, अपराधी नेपाल को इसलिए भी चुनते हैं, क्योंकि वहां पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ अपराधियों ने तो वहां जाकर दोहरी नागरिकता तक ले ली है। भारत और नेपाल की मुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी इसके लिए जिम्मेदार रही है।
- अगर भारत के किसी राज्य की पुलिस सभी प्रोटोकॉल को बायपास करके, नेपाल में भगोड़े अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन करती है तो भारतीय पुलिस अधिकारियों को जेल तक हो सकती है। लेकिन नेपाल के साथ अच्छे संबंधों के चलते कुछ मामलों में सभी प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए अपराधी को दबोचकर भारत लाया जा चुका है। ऐसे ही एक मामले में पंजाब के पूर्व सीएम सरदार प्रताप सिंह कैरों की हत्या में शामिल अपराधियों को नेपाल से पकड़कर लाया गया था। इस ऑपरेशन को डीआईजी अश्विनी कुमार ने लीड किया था। हालांकि, अगर स्थानीय लोग उन्हें घेर लेते तो मुश्किल खड़ी हो सकती थी और पकड़े जाने पर उनकी पूरी टीम को 6 महीने की जेल भी हो सकती थी।

क्या है प्रत्यर्पण संधि?

- प्रत्यर्पण अपराध का अर्थ ऐसे अपराध से है जो दो देशों के कानूनों के अंतर्गत दंडनीय है और जिसमें एक वर्ष के कारावास अथवा अधिक कड़े दंड का प्रावधान है। जब किसी सजा प्राप्त व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग की जाती है तो शेष सजा की अवधि कम-से-कम 6 महीने होनी अनिवार्य है। जब तक भारत का किसी दूसरे देश के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं होती, तब तक किसी भी भगोड़े अथवा अपराधी को भारत लाना मुश्किल होता है। प्रत्यर्पण संधि दो देशों या फिर दो से अधिक देशों के बीच हो सकती है। इसके तहत दोनों देश इस बात पर सहमत होते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने इन दोनों देशों में किसी भी जगह पर आपराधिक वारदात को अंजाम दिया है, तो वे उसे उस देश को सौंप देंगे, जहां पर उसने अपराध किया है। हालांकि, इसकी कानूनी प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है। सबसे पहले तो भारतीय कोर्ट में इसकी प्रक्रिया शुरू होती है, वहां पर उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है तथा पेश नहीं होने पर फिर से वारंट जारी होता है। तत्पश्चात विदेश मंत्रालय की भूमिका आती है, मंत्रालय अपनी ओर से उस देश को अनुरोध करता है जहां अपराधी छुपा हुआ होता है।
- प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 प्रत्यर्पण के लिए भारत को विधायी आधार प्रदान करता है। भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए तथा उससे जुड़े मामलों या प्रासंगिक मामलों के लिए 1962 का प्रत्यर्पण अधिनियम

देश की संसद में पारित किया गया था। इसने भारत से विदेशी राज्यों में आपराधिक भगोड़े के प्रत्यर्पण से संबंधित कानून को समेकित किया। भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 को 1993 में 1993 के अधिनियम-66 द्वारा काफी हद तक संशोधित भी किया गया था। यदि बात करें कि भारत में प्रत्यर्पण के लिए नोडल प्राधिकरण कौन है तो सीपीवी प्रभाग, विदेश मंत्रालय (भारत सरकार) इसके लिए केंद्रीय/नोडल प्राधिकरण है जो प्रत्यर्पण अधिनियम को प्रशासित करता है। यह आने वाले और जाने वाले प्रत्यर्पण अनुरोधों को प्रबंधित करता है।

- भारत गणराज्य की ओर से प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध केवल विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकता है। भारत दुनिया के किसी भी देश को प्रत्यर्पण का प्रस्ताव कर सकता है। यदि

भारत की 47 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि

- भारत का अफगानिस्तान 2016, ऑस्ट्रेलिया 2008, अजरबैजान 2013, बांग्लादेश 2013, बहरीन 2004, बेलारूस 2007, बेल्जियम 1901 (1958 में संशोधित), भूटान 1996, ब्राजील 2008, बुल्गारिया 2003, कनाडा 1987, चिली 1897, मिस्र 2008, फ्रांस 2003, जर्मनी 2001, हांगकांग 1997, इंडोनेशिया 2011, ईरान 2008, इजरायल 2012, कुवैत 2004, लिथुआनिया 2017, मलेशिया 2010, मॉरिशस 2003, मैक्सिको 2007, मंगोलिया 2001, नेपाल 1953, नीदरलैंड्स 1898, ओमान 2004, फिलिपींस 2004, पोलैंड 2003, पुर्तगाल 2007, रूस 1998, सऊदी अरब 2010, द. अफ्रीका 2003, द. कोरिया 2004, स्पेन 2002, स्विटजरलैंड 1880, ताजिकिस्तान 2003, थाईलैंड 2013, ट्यूनिशिया 2000, तुर्की 2001, यूएई 1999, यूके 1992, यूक्रेन 2002, यूएसए 1997, उज्बेकिस्तान 2000 और वियतनाम 2011 के साथ प्रत्यर्पण संधि हो चुकी है।
- एंटिगुआ और बार्बाडोस 2001, आर्मेनिया 2019, क्रोएशिया 2011, फिजी 1979, इटली 2003, पापुआ न्यू गिनी 1978, पेरू 2011, सिंगापुर 1972, श्रीलंका 1978, स्वीडन 1963 और तंजानिया 1966 के साथ ही इन द्विपक्षीय संधियों के अलावा भारत संयुक्त राष्ट्र के तहत भी कई संधियों का भागीदार है। लिहाजा, भारत उन देशों से भी अनुरोध कर सकता है, जिनसे द्विपक्षीय स्तर पर प्रत्यर्पण संधि नहीं है। वर्ष 2002 से अब तक 62 भगोड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण किसी अन्य देश से भारत में हो चुका है।

भारत ने इस संदर्भ में उस देश के साथ किसी प्रकार की संधि की है तो सभी नियम उस संधि के आधार पर ही निर्धारित किये जाएंगे। यदि भारत की उस देश के साथ संधि नहीं है, तो इस स्थिति में संपूर्ण प्रक्रिया उस देश की घरेलू कानूनों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। उचित संधि के अभाव में प्रत्यर्पण भारत और उस देश के संबंधों पर भी निर्भर करेगा। इसी प्रकार कोई भी देश भारत को प्रत्यर्पण का अनुरोध कर सकता है। भारत ने जिन देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं की है, उनके साथ प्रत्यर्पण का कानूनी आधार भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 की धारा-3(4) द्वारा प्रदान किया गया है।

प्रत्यर्पण की अस्वीकार्यता के लिये अनिवार्य आधार:

- यदि अपराध की प्रकृति राजनीतिक है तो प्रत्यर्पण के प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा यदि प्रत्यर्पण अपराध एक सैन्य अपराध है या फिर यदि किसी व्यक्ति को उसके रंग, लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता या राजनीतिक विचार के कारण दंडित किया जा रहा है तो प्रत्यर्पण के लिए अस्वीकार किया जा सकता है। यदि दंड को लागू करने की समय-सीमा बीत चुकी है तो भी किसी अपराधी को प्रत्यार्पित कराने से मनाही हो सकती है।

भारत से ब्रिटेन को हुए तीन प्रत्यर्पण:

- 15 नवंबर, 1993 को लागू हुए भारत-ब्रिटेन प्रत्यर्पण संधि के तहत, ऐसे लोगों की संख्या तीन है जब भारत से किसी व्यक्ति को ब्रिटेन द्वारा प्रत्यर्पित किया गया।
- मनिंदर पाल सिंह (भारतीय नागरिक): ब्रिटिश युवती हाना फोस्टर की हत्या के मामले में 29 जुलाई, 2017 को भारत से ब्रिटेन प्रत्यर्पित किया गया।
- सोमैया केतन सुरेंद्र (केन्याई नागरिक): 8 जुलाई, 2009 को धोखाधड़ी के एक मामले में ब्रिटेन भेजा गया।
- कुलविंदर सिंह उप्पल (भारतीय नागरिक): 14 नवंबर, 2013 को अपहरण और बंधक बना कर रखने के एक मामले में ब्रिटेन के सुपुर्द किया गया।

ब्रिटेन में भारत के 16 प्रत्यर्पण अनुरोध के मामले लंबित:

- गुजरात दंगों के मामले में समीर भाई वीनू भाई पटेल को 18 अक्टूबर, 2016 को ब्रिटेन से भारत लाया गया था। उसके बाद लोकसभा में एक सवाल के जबाव में केंद्र सरकार ने 2019 में यह बात स्वीकार की थी कि पिछले तीन वर्षों में मात्र एक भगोड़े अपराधी को ब्रिटेन से प्रत्यर्पित किया गया है। ब्रिटेन के पास भारत के 16 प्रत्यर्पण अनुरोध के मामले लंबित पड़े हैं। भारत, ब्रिटेन में बस चुके कुछ भारतीयों को वापस लाने की कोशिश में है, जिसमें प्रमुख रूप से ललित मोदी, नीरव मोदी और विजय माल्या शामिल हैं। इसके अलावा कुछ अन्य वांछित अपराधियों की बात करें तो रविशंकरन पर भी गंभीर आरोप हैं। उस पर भारतीय नौसेना के कागजों के लीक का मामला है। टाइगर हनीफ 1993 में गुजरात विस्फोट मामले का वांछित है। रेमंड वर्ली ने ब्रिटेन की नागरिकता तक ले ली है, उस पर गोवा में बाल दुर्व्यवहार का मामला है।
- दो देशों के द्विपक्षीय संबंधों में प्रत्यर्पण संधि और आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता समझौते तथा संधि जैसे उपाय काफी महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। ट्रांस्नैशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राईम से निपटने के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि दो देश आपस में कानूनी स्तर पर मदद करके अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ सकें।

भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार कानूनों को प्रभावशाली बनाना: समय की मांग

बौद्धिक संपदा किसी भी देश की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का महत्त्वपूर्ण माध्यम है। वर्तमान वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण के युग में बौद्धिक संपदा और व्यापार में गहरा संबंध है, इस लिहाज से बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण पर ध्यान देना जरुरी हो जाता है। बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों का सही तरीके से निपटारा करना भी आवश्यक है। इसी संदर्भ में बॉम्बे हाईकोर्ट का एक महत्त्वपूर्ण निर्णय सामने आया है जो फेसबुक से संबंधित है। इस विवाद के बारे में जानने से पहले इस पर चर्चा जरूरी है कि सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर अलग-अलग लोगों और कंपनियों ने कई ग्रुप्स बनाए हैं। ऐसे फेसबुक ग्रुप्स पर स्वामित्व रखने वाले लोग ग्रुप पर अपना अनन्य एकाधिकार भी मानते हैं। अब यदि फेसबुक पर लाखों करोड़ों की संख्या में बने ग्रुप्स पर स्वामित्व को लेकर कोई विवाद हो जाए, तो क्या इसे ट्रेडमार्क या बौद्धिक संपदा विवाद माना जा सकता है? क्या इस विवाद का निपटारा फिर देश के बौद्धिक संपदा कानूनों के तहत होगा? इस दिशा में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने निर्णय में कहा है कि फेसबुक पर एक समूह के स्वामित्व की वसूली और बहाली को ट्रेडमार्क तथा बौद्धिक संपदा से संबंधित विवाद नहीं कहा जा सकता है। किसी फेसबुक समूह का स्वामित्व कोई ट्रेडमार्क विवाद नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना था कि दीवानी कोर्ट के पास इस तरह की घोषणा की मांग करने वाले मुकदमे की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र है।

दरअसल 'द हिमालयन क्लब' नामक संस्था की ओर से दीवानी कोर्ट से पारित अगस्त, 2022 के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसमें उसके मुकदमे की सुनवाई से इंकार कर दिया गया था। दीवानी कोर्ट ने कहा था कि ट्रेडमार्क और बौद्धिक संपदा से संबंधित मामला होने के कारण सुनवाई करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

फरवरी 1928 में स्थापित हिमालयन क्लब, एक पंजीकृत संस्था है, जो विभिन्न प्रकाशनों और पुस्तकालयों का रखरखाव करती है तथा कई व्याख्यानों और कार्यक्रमों का आयोजन करती है। इसने कथित तौर पर अपने एक पदाधिकारी कंवर सिंह को बेहतर सोशल मीडिया आउटरीच के लिए इंटरनेट-आधारित चैट समूह बनाने के लिए कहा था। कंवर सिंह ने क्लब के नाम से एक फेसबुक ग्रुप बनाया। हालांकि, यह आरोप लगाया गया है कि कंवर सिंह ने अपनी स्थिति का अनुचित लाभ उठाया और दावा किया कि क्लब का उक्त फेसबुक समूह से कोई संबंध नहीं था तथा उसने आभासी समूह का नियंत्रण हड़पने का प्रयास किया। इसी मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना निर्णय दिया है।

बौद्धिक संपदा क्या है?

- बौद्धिक संपदा (आईपी) किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की रचनाओं को संदर्भित करती है जैसे-आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य, डिजाइन, वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक, नाम तथा चित्र। आईपी कानून के तहत पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क जो लोगों को उनके द्वारा आविष्कार या निर्माण से मान्यता या वित्तीय लाभ अर्जित करने में सक्षम बनाता है, का संरक्षण किया जाता है। नवोन्मेषकों के हितों और व्यापक सार्वजनिक हित के बीच सही संतुलन बनाकर, आईपी प्रणाली का उद्देश्य एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना है जिसमें रचनात्मकता तथा नवाचार फल-फूल सकें।

बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार:

- **पेटेंट:** पेटेंट किसी आविष्कार के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार है। सामान्यतया पेटेंट, मालिक को यह तय करने का अधिकार प्रदान करता है कि क्या आविष्कार का उपयोग दूसरों द्वारा किया जा सकता है या नहीं? इस अधिकार के बदले में, पेटेंट स्वामी प्रकाशित पेटेंट दस्तावेज में आविष्कार के बारे में तकनीकी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है।
- **कॉपीराइट:** कॉपीराइट कानूनी रूप से संरक्षित एक बौद्धिक संपदा है जिसका उपयोग रचनाकारों के साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के अधिकारों की सूचना देने तथा उनको संरक्षित करने के लिए किया जाता है। पुस्तकों, संगीत, चित्रों, मूर्तिकला और फिल्मों से लेकर कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र तथा तकनीकी चित्र तक कॉपीराइट श्रेणी में आते हैं।
- **ट्रेडमार्क:** एक ट्रेडमार्क एक संकेत है जो एक उद्यम की वस्तुओं या सेवाओं को अन्य उद्यमों से अलग प्रदर्शित करने में सक्षम है। ट्रेडमार्क प्राचीन काल से प्रचलित हैं जब कारीगर अपने उत्पादों पर अपने हस्ताक्षर या 'चिह्न' लगाते थे। ट्रेडमार्क विशेष और विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनके आधार पर कंपनी के प्रोडक्ट्स की पहचान बनती है। डिजाइन, पिक्चर, साइन आदि ट्रेडमार्क के रूप में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री रूल्स के तहत पंजीकृत हो सकते हैं। पंजीकृत ट्रेडमार्क 10 साल तक मान्य होता है। वैलिडिटी खत्म होने के ठीक एक साल पहले ही इसके नवीनीकरण का काम शुरू हो जाता है।
- **औद्योगिक डिजाइन:** इंडस्ट्रियल डिजाइन या औद्योगिक डिजाइन एक वस्तु के सजावटी या सौंदर्य संबंधी पहलू का गठन करता है। एक डिजाइन में त्रि-आयामी विशेषताएँ शामिल हो सकती हैं, जैसे किसी वस्तु का आकार या सतह या द्वि-आयामी विशेषताएँ जैसे पैटर्न, रेखाएँ या रंग।
- **भौगोलिक संकेत:** ज्योग्राफिकल इंडिकेटर या भौगोलिक संकेतक उन वस्तुओं पर उपयोग किए जाने वाले संकेत हैं जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और गुण, एक प्रतिष्ठा या विशेषताएँ होती हैं जो मूल रूप से उस विशेष स्थान के लिए जिम्मेदार होती हैं। आमतौर पर, एक भौगोलिक संकेत में वस्तु या उत्पाद की उत्पत्ति के स्थान का नाम शामिल होता है।
- **ट्रेड सीक्रेट्स:** ट्रेड सीक्रेट्स या व्यापार रहस्य गोपनीय जानकारी पर आईपी अधिकार हैं जिन्हें बेचा या लाइसेंस दिया जा सकता है। इस तरह की गुप्त जानकारी का अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या प्रकटीकरण दूसरों द्वारा ईमानदार वाणिज्यिक प्रथाओं के विपरीत एक अनुचित अभ्यास और ट्रेड सीक्रेट्स संरक्षण का उल्लंघन माना जाता है।

भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण हेतु राष्ट्रीय नीति:

भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण हेतु राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति 2016 में देश में बौद्धिक संपदा अधिकार के

विकास के मार्गदर्शन हेतु एक विजन दस्तावेज के रूप में अपनाया गया था। इसका स्पष्ट आह्वान है 'रचनात्मक भारत; अभिनव भारत' यह कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा के लिये एक संस्थागत तंत्र की स्थापना करता है। इसका उद्देश्य भारतीय परिदृश्य में सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को शामिल करना है। राष्ट्रीय आईपीआर नीति के लागू होने के बाद भारत को कई लाभ भी मिले हैं जिससे निम्नलिखित उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं:

- इस नीति के चलते बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े संस्थागत तंत्र का सुदृढ़ीकरण हुआ है। कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट-डिजाइन अधिनियम, 2000 का प्रशासन औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है। इसने विभिन्न आईपी कार्यालयों और अधिनियमों के बीच एक एकीकृत दृष्टिकोण तथा तालमेल को सक्षम किया है। वित्त अधिनियम 2017 के तहत कॉपीराइट बोर्ड का बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) में विलय कर दिया गया है।
- राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 के अपनाने से बौद्धिक संपदा आवेदनों के लंबित पड़े रहने की प्रवृत्ति में कमी आई है। केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों (जिनमें तकनीकी जनशक्ति (Techno workforce) में वृद्धि शामिल है) के परिणामस्वरूप आईपी आवेदनों के लंबित रहने के मामलों में भारी कमी आई है। परीक्षण के लिए लंबित पेटेंट आवेदन वर्ष 2016 के 1,97,934 से घटकर 2018 में 1,39,274 हो गए हैं। 28 फरवरी, 2022 तक के आंकड़ों को देखें, तो लंबित पेटेंट आवेदनों की संख्या फिर से बढ़कर 208896 हो गई थी।
- जहां तक ट्रेडमार्क का संबंध है, इसके लंबित आवेदन 2016 के 2,59,668 से घटकर 2018 में 32,619 हो गए थे, लेकिन फरवरी, 2022 में फिर से लंबित आवेदन की संख्या बढ़कर 641435 हो गई। यद्यपि आवेदनों की संख्या बढ़ने में नवाचार का स्तर बढ़ने का सूचक है, लेकिन साथ ही ऐसे आवेदनों का त्वरित निस्तारण भी आवश्यक है।
- इसके साथ ही सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न पेटेंट और ट्रेडमार्क प्रमाणपत्रों को स्वचालित रूप से जारी करने की शुरुआत की गई है।
- पेटेंट फाइलिंग और ट्रेडमार्क फाइलिंग में लगातार वृद्धि, आईपी प्रोसेस री-इंजीनियरिंग पेटेंट नियम, 2003 के प्रक्रियाओं को कारगर बनाने तथा उन्हें अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए संशोधित करने का कार्य भी किया गया है। कुछ आधारों पर अब पेटेंट की शीघ्र जांच की अनुमति है। वास्तव में, हाल ही में एक पेटेंट प्रदान करने के लिए लिया गया सबसे कम समय अनुरोध दाखिल करने से सिर्फ 81 दिनों का रहा है।
- 6 मार्च, 2017 को पूरी तरह से संशोधित व्यापार चिह्न नियम, 2017 अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से प्राप्त लगभग 200 अंतर्राष्ट्रीय समझौता ज्ञापनों की आईपीआर दृष्टिकोण से समयबद्ध तरीके से जांच की गई है।
- भारत ने WIPO कॉपीराइट संधि (WCT) और WIPO प्रदर्शन तथा फोनोग्राम संधि (WPPT) को स्वीकार कर लिया है, जो इंटरनेट तथा डिजिटल वातावरण में कॉपीराइट के कवरेज का विस्तार करता है।
- आईपीआर जागरूकता पैदा करने की दिशा में भी केंद्र सरकार ने कार्य किए हैं। उपग्रह संचार के माध्यम से ग्रामीण स्कूलों सहित 200 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में और उद्योग, पुलिस, सीमा शुल्क तथा न्यायपालिका के लिए आईपीआर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
- स्कूल सिलेबस में आईपीआर की शिक्षा पर भी भारत सरकार द्वारा ध्यान दिया गया है। आईपीआर पर सामग्री को एनसीईआरटी के वाणिज्य वर्ग के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। प्रौद्योगिकी और नवाचार सहायता केंद्र (TISCs) डब्ल्यूआईपीओ के संयोजन में, विभिन्न राज्यों के विभिन्न संस्थानों में 6 टीआईएससी स्थापित किए गए हैं।
- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) जो डब्ल्यूआईपीओ द्वारा जारी की जाती है, उसमें भारत की रैंक 2022 में 40वीं हो गई है जो बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में भारत के प्रयासों को मिली एक बड़ी वैश्विक मान्यता है।
- **पुलिस के लिए आईपीआर प्रवर्तन टूलकिट:** आईपी अपराधों, विशेष रूप से ट्रेडमार्क जालसाजी और कॉपीराइट पायरेसी से निपटने में पुलिस अधिकारियों की सहायता के लिए एक आईपीआर प्रवर्तन टूलकिट तैयार किया गया है।
- भारत में सभी विश्वविद्यालयों में आईपी केंद्र स्थापित करने के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आईपीआर सेल स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों से संपर्क किया गया है। विभिन्न राज्यों के 41 विश्वविद्यालयों में आईपीआर प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, एचआरडी मंत्रालय के तहत एआईसीटीई में इनोवेशन सेल के माध्यम से 1000 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में 'इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल' (आईआईसी) की स्थापना की गई है।
- बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में जागरूकता के प्रसार हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान (आर.जी.एन.आई.आई.पी.एम) नागपुर, को केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन, बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण, प्रबंधन, अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य पेटेंट, डिजाइन, व्यापार चिन्ह एवं भौगोलिक संकेत से संबन्धित परीक्षक, आईपी पेशेवर तथा आईपी प्रबंधक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त आर.जी.एन.आई.आई.पी.एम सामान्य जनमानस में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों में सरकारी बौद्धिक नीति से परिचय कराने का कार्य भी कर रही है।
- वर्ष 2021 में शुरू किये गए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन ने 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है। यह कार्यक्रम बौद्धिक संपदा कार्यालय, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक कार्यालय (CGPDTM), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

मंदिरों में दलितों के प्रवेश आंदोलन से दलित सशक्तीकरण की भारतीय यात्रा

हाल ही में दक्षिण भारत के दो राज्यों तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों ने संयुक्त रूप से वायकोम सत्याग्रह आंदोलन के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया। इस शताब्दी वर्ष समारोह की प्रासंगिकता इसके सामाजिक न्याय से जुड़े सरोकारों में देखी जा सकती है। 1920-1930 के दशक के भारत में वायकोम सत्याग्रह के रूप में देश में दलितों, अछूत, अस्पृश्य कहे जाने वाले लोगों के लिए मंदिर प्रवेश संबंधी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आज भी भारत में दलितों के खिलाफ जातीय हिंसा तथा संघर्ष के मामले देखने को मिलते हैं। 21वीं सदी के भारत में भी मंदिर प्रवेश निषेध तथा पिछड़े क्षेत्रों में दलितों के बच्चों के लिए स्कूल कालेजों में प्रवेश संबंधी रुकावटें देखी गई हैं जिनके समाधान के लिए वायकोम सत्याग्रह से प्रेरणा ली जा सकती है। आज के लोकतांत्रिक भारत में पिछड़े वर्ग के नाम पर किसी को उसके मूल या मानव अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। गृह मंत्रालय के अनुसार, साल 2020 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम के तहत 53,886 मामले दर्ज किए गए थे। 2019 में एससी एसटी ऐक्ट के तहत 49,608 मुकदमे दर्ज हुए थे। वहीं दक्षिण भारतीय राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में इन तीन सालों के दौरान दलितों के खिलाफ अपराधों के 3,831 मामले दर्ज किए गए। केरल में इसी दौरान ऐसे 2,591 केस दर्ज हुए थे। एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट बताती है कि साल 2019 व 2020 की अपेक्षा 2021 में दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ा है। यही नहीं साल 2021 में भी उत्तर प्रदेश दलितों के साथ होने वाले अपराधों के मामले में पहले स्थान पर रहा। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही कराने की बात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी कर चुका है।

वायकोम सत्याग्रह का इतिहास:

- मंदिर प्रवेश संबंधी आंदोलन के रूप में 30 मार्च, 1924 को वायकोम सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तत्कालीन केरल स्थित वायकोम महादेव मंदिर में एक बोर्ड था जो 'निम्न जाति' के लोगों (अवर्ण) के प्रवेश से इंकार करता था। इस बात के विरोध के लिए सत्याग्रहियों ने तीन का जत्था बनाया और मंदिर में प्रवेश किया। पुलिस ने उनका विरोध करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गांधीजी, चटम्पी स्वामीकल और श्री नारायण गुरु ने इस आंदोलन को समर्थन प्रदान किया।
- इस आंदोलन को पूरे भारत में प्रमुखता से समर्थन मिला। पंजाब के अकालियों ने सत्याग्रहियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए रसोई स्थापित करके समर्थन किया। यहां तक कि ईसाई और मुस्लिम नेता भी आंदोलन के समर्थन में थे। हालाँकि गांधीजी इससे पूरी तरह सहमत नहीं थे, क्योंकि वे चाहते थे कि आंदोलन एक अंतर-हिंदू मामला हो और जातीय विद्वेष न फैले। गांधीजी की सलाह पर अप्रैल 1924 में आंदोलन को अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया था। सवर्ण हिंदू लोगों से चर्चा विफल होने पर नेताओं ने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया। वायकोम सत्याग्रह के पुनः शुरुआत पर नेता टीके माधवन और केपी केशव मेनन को गिरफ्तार किया गया था। गोविंद पणिक्कर (नायर), बाहुलेयान (एझवा) और कुंजप्पु (पुलैया) ने खादी वस्त्र एवं खादी की टोपी पहनकर निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करके वायकोम सत्याग्रह को आगे बढ़ाया।
- 13 अप्रैल, 1924 को ई.वी. रामास्वामी नायकर (पेरियार) वायकोम पहुंचे और आंदोलन का समर्थन करते हुए उन्होंने भीड़ को सम्बोधित करते हुए कहा था कि 'उनका तर्क है कि अछूत यदि मंदिर तक जाने वाली सड़कों से गुजरते हैं तो वे अपवित्र हो जाएंगीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वायकोम का देवता अथवा ब्राह्मण क्या महज अछूतों की उपस्थिति से अपवित्र हो जाते हैं? यदि वे मानते हैं कि वायकोम का देवता अशुद्ध हो जाएगा, तब वह देवता हो ही नहीं सकता। वह महज एक पत्थर है, जिसे केवल गंदे वस्त्र धोने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।'
- 1 अक्टूबर, 1924 को सवर्णों (अगड़ी जातियों) के एक समूह ने एक जुलूस निकाला और त्रावणकोर की रीजेंट महारानी सेतु लक्ष्मी बाई को लगभग 25000 हस्ताक्षरों के साथ मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने के लिए एक याचिका प्रस्तुत की। महात्मा गांधी भी रीजेंट महारानी से मिले। सवर्णों के इस जुलूस का नेतृत्व मन्नाथ पद्मनाभन नायर ने किया था। वायकोम में लगभग 500 लोगों के साथ शुरुआत करते हुए, यह संख्या बढ़कर लगभग 5000 हो गई जब जुलूस नवंबर 1924 के महीने में तिरुवनंतपुरम पहुंचा था।
- 23 नवंबर, 1925 को पूर्वी द्वार को छोड़कर वायकोम महादेव मंदिर के सभी द्वार हिंदुओं के लिए खोल दिए गए। 1928 में पिछड़ी जातियों को त्रावणकोर के सभी मंदिरों की ओर जाने वाली सार्वजनिक सड़कों पर चलने का अधिकार भी मिला। यह पहली बार था कि केरल में अछूतों और अन्य पिछड़ी जातियों के मूल अधिकारों के लिए इतने बड़े पैमाने पर एक संगठित आंदोलन चलाया जा रहा था।

वायकोम और गुरुवायुर सत्याग्रह में के. केलप्पन की भूमिका:

- 24 अक्टूबर, 1889 को केरल की धरती पर एक ऐसा महान समाज सुधारक पैदा हुआ था जो आगे चलकर केरल का गाँधी और दक्षिण का गाँधी कहलाया। वे थे के. केलप्पन जो दक्षिण भारत की जमीन पर सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। के. केलप्पन दक्षिण भारत के एक ऐसे सामाजिक पुनर्जागरण नेता थे जिन्होंने अपने दौर में दो लड़ाइयां लड़ीं। पहला, सामाजिक सुधारों के लिए जबकि दूसरी अंग्रेजों के खिलाफ। गांधीवादी मूल्यों का जादू उनकी कार्यप्रणाली में दिखता था। जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया तो केरल के कालीकट और पय्यानूर में इस सत्याग्रह को जिस व्यक्ति ने नेतृत्व दिया, वो थे के. केलप्पन।
- के. केलप्पन की सबसे बड़ी भूमिका दलितों के लिए मंदिर प्रवेश संबंधी आंदोलन से जुड़ी थी। 1920 के दशक में केरल के गुरुवायुर मंदिर में निचली जाति के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसके खिलाफ गुरुवायुर और फिर वायकोम मंदिर में दलितों

के प्रवेश के लिए वायकोम सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। 1931 में के. केलप्पन के नेतृत्व में गुरुवायुर मंदिर एक सत्याग्रह शुरू हुआ। केलप्पन के साथ पद्मनाभन, ए. के. गोपालन और एन. पी. दामोदरन जैसे कई अन्य नेता भी इसमें शामिल हुए थे।

- लगभग 10 महीने तक केलप्पन गुरुवायुर सत्याग्रह आंदोलन करते रहे, लेकिन जब इसके बाद निचली जातियों को इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली तो 21 सितंबर, 1932 को इस मंदिर के सामने के. केलप्पन आमरण अनशन पर बैठ गए। देश भर के नेताओं ने उनके स्वास्थ्य की गिरती हालात देखकर अनशन तोड़ने की याचना की, लेकिन केलप्पन ने किसी की एक न सुनी। अंततः महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर, 1932 को अपना अनशन तोड़ा। के. केलप्पन की उपलब्धि थी गुरुवायुर जनमत संग्रह। सबकी निगाहें इस पर थी कि क्या जनमत संग्रह में निचली जातियों के मंदिर प्रवेश को मान्यता मिल पाएगी? जनमत संग्रह में भाग लेने वालों की संख्या ऐतिहासिक रही। नियमित मंदिर जाने वालों में से 77 प्रतिशत से अधिक लोगों ने सभी के लिए मंदिर में प्रवेश के पक्ष में मतदान किया था। इसने पूरे देश में केरल के टेम्पल एंट्री मूवमेंट के पक्ष में मजबूत वातावरण का निर्माण किया और 1946 में गुरुवायुर मंदिर को अंततः सभी जातियों के लिए खोल दिया गया था। गुरुवायुर जनमत संग्रह ने सवर्णों और उच्च जाति समूहों के स्वामित्व वाले कई निजी मंदिरों के दरवाजे अपने जाति वर्ग के अलावा बड़े पैमाने पर जनता के हर वर्ग के लिए खोलने का मार्ग प्रशस्त किया।
- केरल में वायकोम आंदोलन या वायकोम सत्याग्रह को सफल बनाने में भी के. केलप्पन ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें उन्हें उस दौर के कई नेताओं और खुद महात्मा गाँधी का पूर्ण सहयोग तथा समर्थन मिला। 1923 में कांग्रेस पार्टी की काकीनाडा बैठक में टी.के. माधवन ने केरल में दलित जाति के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट पेश की। केरल में अस्पृश्यता से लड़ने के लिए विभिन्न जातियों के लोगों को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया गया था। के. केलप्पन की अध्यक्षता वाली समिति में टी.के. माधवन, वेलायुधा मेनन, के. नीलकांतन नंबूथिरी और टी.आर. कृष्णास्वामी अय्यर शामिल थे। फरवरी 1924 में उन्होंने मंदिर में प्रवेश पाने के लिए और जाति या पंथ के बावजूद हर हिंदू के लिए सार्वजनिक सड़कों का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त करने हेतु एक 'केरलपरायतनम' शुरू करने का फैसला किया।
- अस्पृश्यता को खत्म करने और हरिजन उत्थान के लिए के. केलप्पन ने अप्रतिम योगदान दिया। केरल में कई हरिजन छात्रावास और स्कूलों का गठन भी उन्होंने किया था। स्वदेशी, खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए में जीवन भर समर्पित रहे। केरल में लगभग सभी गांधीवादी संगठनों के वे अध्यक्ष थे। साथ ही वे नायर सर्विस सोसाइटी के संस्थापक सदस्य भी थे।

मंदिर प्रवेश संबंधी आंदोलन में टी. के. माधवन की भूमिका:

- दक्षिण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी टी. के. माधवन जो केरल में दलितों के लिए मंदिर प्रवेश संबंधी आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, उन्हें देशभिमानी के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म 2 सितंबर, 1885 को अलाप्पुझा जिले के कार्तिकपल्ली में हुआ था। उनका जन्म एक निम्न जाति के एझावा परिवार में हुआ था। वह एक कट्टर गांधीवादी थे और उन्होंने अपना जीवन केरल में अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 1921 में तिरुनेलवेली में गांधीजी से मुलाकात की और उन्हें केरल में दयनीय जाति-ग्रस्त सामाजिक स्थिति तथा निम्न जाति समुदायों की स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने 1917 में कोल्लम से एक समाचार पत्र शुरू किया जिसे देशभिमानी के नाम से जाना जाता है और बाद में इस समाचार पत्र के संपादक बने। उन्होंने इस समाचार पत्र के माध्यम से छुआछूत जैसी कुरीतियों को समाप्त करने की मांग की। इसलिए उन्हें लोकप्रिय रूप से देशभिमानी टी. के. माधवन के नाम से जाना जाता है। इसी समय त्रावणकोर में श्री मूलम प्रजा सभा की स्थापना हुई थी। ये त्रावणकोर की लेजिस्लेटिव काउन्सिल हुआ करती थी। 1918 में माधवन इस काउन्सिल में निर्वाचित हुए थे। वे मंदिर में प्रवेश की मनाही और दूसरी जातिवादी परम्पराओं के विरोधी थे। इसके विरोध के लिए ही वे देशभिमानी नाम से एक अखबार भी चलाया करते थे।
- उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में भाग लिया और 1923 में जवाहरलाल नेहरू के समर्थन से अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। वे श्री नारायण धर्म परिपालन (एसएनडीपी) योगम के एक प्रमुख नेता बने, जिसका गठन सामाजिक सुधार के लिए किया गया था। 1924 में, उन्होंने दलित और निचली जाति के लोगों को मंदिर के सामने सड़क पर चलने के अधिकार हेतु वायकोम महादेव मंदिर के सामने वायकोम सत्याग्रह शुरू किया। वायकोम सत्याग्रह के समर्थन में, गांधीजी ने 1925 में वायकोम का दौरा किया। इस आंदोलन की भारत के सभी हिस्सों में अच्छी तरह से चर्चा हुई और दूर-दराज के लोगों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। अंत में, त्रावणकोर की रानी तथा आंदोलन के समर्थकों के बीच एक समझौता हुआ और सभी पिछड़े समुदायों को मंदिर के सामने सड़कों पर चलने की अनुमति दी गई। इस प्रकार समतामूलक समाज की स्थापना में वायकोम और गुरुवायूर जैसे मंदिर प्रवेश संबंधी आंदोलनों ने सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया था जिनकी धरोहर को आज भी संजोकर रखने की जरूरत है।

डिजिटल इंडिया विधेयक के जरिए भारत को ट्रिलियन-डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने की योजना

प्रस्तावित डिजिटल इंडिया विधेयक (डीआईबी) के फ्रेमवर्क पर पहले सार्वजनिक परामर्श में, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया विधेयक की सहायता से 2025-2026 तक $1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था का लैंडमार्क हासिल करने की उम्मीद करती है। लखनऊ में 13-15 फरवरी, 2023 को जी-20 की डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यसमूह की पहली बैठक आयोजित की गई जिसमें डिजिटल इंडिया की महत्त्वपूर्ण पहलों और पीएमजेडीवाई, डिजिलॉकर, आधार, उमंग, ई-वे बिल, ई-औषधि, आरोग्य सेतु, को-विन, ई-रुपे तथा इंडिया स्टैक ग्लोबल को सफल बनाने पर बल दिया गया क्योंकि यहीं वह रास्ता है जिस पर चलकर भारत को एक ट्रिलियन डॉलर डिजिटल अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल हो सकता है। डिजिटल पब्लिक गुड्स के बारे में जागरूकता का प्रसार, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को मजबूती देने, यूपीआई से लेकर डिजिलॉकर तक, को-विन से लेकर फास्टैग तक, दीक्षा (डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग ऐप) से लेकर डिजिटल डिवाइड को दूर करने वाले स्वयं पोर्टल तक हर स्तर पर डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के तरीके मौजूद हैं।

भारत एक 'ट्रिलियन-डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था':

- भारत एक ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है जो 2025-26 तक 60 से 65 मिलियन डिजिटल रूप से सक्षम नौकरियों का सृजन कर सकती है।
- डिजिटल बुनियादी ढांचे की मजबूत नींव और सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से विस्तारित डिजिटल पहुंच के साथ, भारत नए डिजिटल अनुप्रयोगों के माध्यम से नागरिकों में आर्थिक मूल्य और सशक्तीकरण का सृजन कर सकता है।
- भारत संभावित रूप से 2025 तक डिजिटल परिवर्तन से आर्थिक मूल्य में पांच गुना की वृद्धि कर सकता है, जो वैश्विक तथा स्थानीय व्यवसायों, स्टार्ट-अप और इनोवेटर्स हेतु उभरती प्रौद्योगिकियों (जैसे एआई, ब्लॉकचेन या ड्रोन) में निवेश करने के लिए एक आकर्षक अवसर का प्रतिनिधित्व करता है जो भारत की आवश्यकताओं के भी अनुरूप है।
- केंद्र और राज्य सरकारें, निजी क्षेत्र, उद्योग संघों तथा सामाजिक क्षेत्र में साझेदारी और सहयोग के लिए 'टीम इंडिया' की भावना महत्त्वपूर्ण होगी। डिजिटल इंडिया विधेयक सभी हितधारकों के साथ काम करने में महत्त्वपूर्ण होगा और एक सुरक्षित, समृद्ध तथा न्यायसंगत डिजिटल व्यवस्था बनाने के लिए उन्हें विनियमित करेगा जो विशाल आर्थिक मूल्य का निर्माण करे।

डिजिटल इंडिया विधेयक के बारे में:

- डिजिटल इंडिया विधेयक, 2023 दशकों पुराने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में व्यापक परिवर्तन वाली पहल है।
- यह देश के ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल डेटा सुरक्षा नीतियों को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- यह 2000 के वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी अधिनियम) को पूरी तरह से बदल देगा, जिसे अपनी पुरानी नीतियों और आधुनिक तकनीकी मुद्दों से निपटने में अपर्याप्तता के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है।

आईटी अधिनियम, 2000 के साथ समस्या:

- चूंकि आईटी अधिनियम 2000 में अधिनियमित किया गया था, इसलिए डिजिटल स्पेस को परिभाषित करने के प्रयासों में कई संशोधन (आईटी अधिनियम संशोधन 2008, आईटी नियम 2011) हुए हैं जिसमें यह डेटा प्रबंधन नीतियों पर अधिक जोर देने की कोशिश करते हुए इसे नियंत्रित करता है।
- हालाँकि, आईटी अधिनियम मूल रूप से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन की सुरक्षा और साइबर अपराध को परिभाषित करने के लिए डिजाइन किया गया था। ऐसे में यह वर्तमान डिजिटल परिदृश्य की बारीकियों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता और न ही डेटा गोपनीयता संबंधी अधिकारों को संबोधित करता था।
- अधिनियम में साइबर सुरक्षा का कोई उल्लेख नहीं है और यह अपेक्षाकृत नए उद्योग को विनियमित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

इस विधेयक का महत्त्व:

- यह संभावित रूप से अगले एक या दो दशक के लिए पूरे देश के डिजिटल कानूनों को नियंत्रित करेगा। इस नए कानून के साथ, देश अपने डिजिटल कानूनों को भविष्य में सुरक्षित करने और व्यवसायों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने की उम्मीद करता है।
- इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया विधेयक के प्रारूपण में कई हितधारकों (नागरिकों) को शामिल करने और परामर्श करने का प्रयास किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियम तथा फ्रेमवर्क कम से कम अगले दशक के लिए देश के भीतर एक व्यापक आईटी पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाता है।
- विधेयक को भारतीय व्यवसायों के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने और देश को दुनिया के विश्वव्यापी डिजिटल पावरहाउस के रूप में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है।

डिजिटल इंडिया विधेयक की अहम बातें:

डेटा और सूचना सुरक्षा के नए विधायी ढांचे के साथ ही, डिजिटल इंडिया विधेयक निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है:

पांचवीं औद्योगिक क्रांति की प्रौद्योगिकियों के लिए नए नियम

बनाना:

- पांचवीं औद्योगिक क्रांति प्रौद्योगिकियों में 5जी, आईओटी डिवाइस, क्लाउड कंप्यूटिंग, मेटावर्स, ब्लॉकचैन और क्रिप्टोकरेंसी शामिल हैं।
- यह विधेयक आज के समाज में नवीनतम और सबसे प्रासंगिक तकनीक हेतु नए नियम बनाता है क्योंकि भारत दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं का देश बनने की दिशा में अग्रसर है।
- क्लाउड, आईओटी डिवाइस और सोशल मीडिया जैसी व्यावसायिक-महत्त्वपूर्ण तकनीकों के साथ, डिजिटल इंडिया विधेयक का उद्देश्य नई तकनीक के साथ सुरक्षा तथा गोपनीयता संबंधी चिंताओं को दूर करना है, न कि इसे केवल जिम्मेदार ढंग से उपयोग के लिए विनियमित करना।

ऑनलाइन बिचौलियों का पुनः वर्गीकरण:

- मध्यस्थ कोई भी कंपनी या प्लेटफॉर्म जो जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है या ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करता है।
- 2021 के आईटी नियमों में बिचौलियों को एक नई अवधारणा के रूप में पेश किया गया था, लेकिन इसे केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए परिभाषित किया गया था।
- अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्मों को 'मध्यस्थ' के रूप में वर्गीकृत करके समूहीकृत किया गया है।
- हालाँकि, इसके साथ मुख्य समस्या यह थी कि ऑनलाइन बिचौलियों को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं के बजाय कंपनी के आकार और उपयोगकर्ता आधार द्वारा समूहीकृत किया गया है। एक अकेली कंपनी कई सेवाओं की पेशकश कर सकती है, जिससे समग्र रूप से इसे विनियमित करना कठिन हो जाता है।
- इसलिए यह विधेयक एक सामान्य मध्यस्थ लेबल के बजाय अलग-अलग श्रेणियां बनाता है।
- यह सभी ऑनलाइन बिचौलियों को अलग-अलग बकेट में वर्गीकृत करता है। जैसे-क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर (सीएसपी), सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (आईएसपी), मेटावर्स, ओटीटी प्रोवाइडर, ऑनलाइन गेमिंग इत्यादि।
- विधेयक का उद्देश्य नियमों के उल्लंघन के लिए दंड देने हेतु एक नियामक निकाय की स्थापना करना भी है।

ऑनलाइन बिचौलियों के लिए 'सेफ हार्बर' बनाने को लेकर प्रतिबद्ध:

- सेफ हार्बर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ऑनलाइन बिचौलियों को प्रदान की जाने वाली एक कानूनी प्रतिरक्षा, जो उन्हें उनके संबंधित प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई किसी भी तृतीय-पक्ष सामग्री से संबंधित कानूनी विवाद से प्रभावी रूप से बचाती है। इस प्रतिरक्षा के प्रभाव ने सुनिश्चित किया कि बिचौलियों ने अपने प्लेटफार्म पर तीसरे पक्ष की सामग्री को शिथिल रूप से मॉडरेट किया। यह अक्सर तथ्य-जाँच की कमी और सामग्री उल्लंघनों को न हटाने के रूप में होता था।
- डिजिटल इंडिया विधेयक तीसरे पक्ष से जानबूझकर गलत सूचना या अन्य सामग्री उल्लंघन के लिए ऑनलाइन बिचौलियों हेतु 'सेफ हार्बर' सुरक्षा को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए डिजिटल डिवाइड को कम करना होगा:

- इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग तथा प्रभाव के संबंध में आर्थिक और सामाजिक असमानता को 'डिजिटल डिवाइड' की संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो डिजिटल डिवाइड, इंटरनेट व अन्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग तथा प्रभाव के संबंध में आर्थिक और सामाजिक असमानता को दर्शाता है। सामान्यतया 'डिजिटल डिवाइड', इंटरनेट व संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग को लेकर विभिन्न सामाजिक, आर्थिक स्तरों या अन्य जनसांख्यिकीय श्रेणियों में व्यक्तियों, घरों, व्यवसायों या भौगोलिक क्षेत्रों के बीच असमानता का उल्लेख करता है। डिजिटल डिवाइड के सन्दर्भ में एनएसओ की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में दस में से केवल एक घर में एक कंप्यूटर (डेस्कटॉप, लैपटॉप या टैबलेट) है। भारत के सभी घरों में से लगभग एक चौथाई घरों में इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो एक निश्चित (fixed) या मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से एक्सेस की जाती हैं।
- भारत के इन इंटरनेट-सक्षम घरों (Internet- enabled homes) में से अधिकांश घर शहरों में ही स्थित हैं। जहां शहरों के कुल घरों में से 42% घरों में इंटरनेट का उपयोग होता है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र के कुल घरों में से केवल 15% ही घर इंटरनेट से जुड़े हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक इंटरनेट का उपयोग होता है, यहाँ लगभग 55% घरों में इंटरनेट की सुविधाएं हैं। दिल्ली के अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश और केरल ही ऐसे राज्य हैं जहाँ आधे से अधिक घरों में इंटरनेट है। इंटरनेट के मामले में ओडिशा की स्थिति काफी चिंताजनक है, यहाँ दस घरों में से केवल एक में ही इंटरनेट है। 20% से कम इंटरनेट की पहुंच वाले दस अन्य राज्य हैं, जिनमें कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे सॉफ्टवेयर हब शामिल हैं। एनएसओ ने रिपोर्ट में बताया है कि देश में डिजिटल डिवाइड का सर्वप्रमुख कारक आर्थिक स्थिति है।
- राष्ट्रीय स्तर पर केरल राज्य में सबसे कम डिजिटल डिवाइड की स्थिति दिखती है, जबकि असम में यह सबसे अधिक है। एनएसओ की रिपोर्ट बताती है कि 5 वर्ष से अधिक आयु के 20% भारतीयों में बुनियादी डिजिटल साक्षरता है, जबकि 15 से 29 वर्ष के महत्त्वपूर्ण आयु समूह में यह 40% है।

- विधेयक के तहत, प्रत्येक मध्यस्थ श्रेणी नए नियमों के अधीन होगी जिसमें गलत सूचना या डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए फैक्ट चेक (तथ्य-जांच) पर जोर दिया गया है।
  - साथ ही, इन प्लेटफार्मों को अब उनकी वेबसाइटों पर होने वाली किसी भी सामग्री के उल्लंघन या साइबर अपराध के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।
  - किसी भी उल्लंघन को फ्लैग करने के लिए सरकार पर निर्भर रहने के बजाय, प्लेटफॉर्म को अस्वीकृत सामग्री को मॉडरेट करना या हटाना होगा।
- इसका गूगल, मेटा, ट्विटर जैसे टेक दिग्गजों पर बड़ा असर पड़ेगा

जो अपने प्लेटफॉर्म पर गैरकानूनी और झूठी सामग्री तथा भ्रामक सूचनाओं को मॉडरेट करने में बार-बार विफल रहे हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) तकनीक:

- व्यवसायों के माध्यम से एआई और एमएल प्रौद्योगिकी के प्रसार के साथ, डिजिटल इंडिया विधेयक का उद्देश्य इन प्रौद्योगिकियों के उपयोग में जवाबदेही लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना है।
- हालांकि, एआई के पास निर्माण और नवाचार करने के असीमित अवसर हैं।
- विधेयक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) तकनीक के संबंध में डिजिटल मानक तथा कानून बनाने का प्रस्ताव है।
- उपयोगकर्ता की सुरक्षा और गोपनीयता की रक्षा करना डिजिटल इंडिया विधेयक के केंद्र में होगा जो आज की दुनिया में एआई के उपयोग की निगरानी के लिए मानकों का प्रस्ताव देता है।

साइबर क्राइम:

- डिजिटल इंडिया विधेयक के तहत, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) की साइबर अपराध के नए रूपों को वर्गीकृत करने की योजना है। जैसे-साइबरबुलिंग, प्रतिरूपण, पहचान की चोरी, धोखाधड़ी की पहचान, डॉक्सिंग और सहमति के बिना व्यक्तिगत जानकारी का दुर्भावनापूर्ण अनधिकृत साझाकरण आदि।
- तत्कालीन आईटी अधिनियम के तहत इन अपराधों को जुर्माने के माध्यम से दंडित किया गया था जिन्हें आपराधिक नहीं बनाया गया था।
- इसलिए, उपयोगकर्ता की सुरक्षा और उपयोगकर्ता के नुकसान का अपराधीकरण करके, डिजिटल इंडिया विधेयक आने वाले वर्षों में नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा दे सकता है।

सामग्री निर्माण और विज्ञापन-प्रौद्योगिकी कंपनियां:

- अमेजॉन और गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियों द्वारा अनुपातहीन स्थिति और विज्ञापन स्थान पर उनके वर्चस्व के कारण भारतीय सामग्री निर्माताओं को अपनी सामग्री के मुद्रीकरण तथा राजस्व साझा करने पर नियंत्रण रखने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।
- इसलिए डिजिटल इंडिया विधेयक विज्ञापन प्रौद्योगिकी (एड-टेक) कंपनियों द्वारा सामग्री निर्माण और इसके निर्माताओं के मुद्रीकरण को विनियमित करने का प्रस्ताव करता है।
- साथ ही, ऑनलाइन बिचौलियों की तरह, गलत जानकारी फैलाने के लिए कंटेंट क्रिएटर्स को दंडित किया जा सकता है।
- विधेयक का उद्देश्य कुछ बड़ी टेक कंपनियों द्वारा डिजिटल स्पेस के एकाधिकार को खत्म करना और स्थानीय स्टार्ट-अप के बीच उचित प्रतिस्पर्धा की अनुमति देना है।
- विधेयक बड़ी तकनीकी कंपनियों को डिजिटल स्पेस पर नियंत्रण को चुनौती देने और छोटे व्यवसायों को बुनियादी ढांचे तथा छोटे ई-कॉमर्स स्पेस का निर्माण शुरू करने की अनुमति देने हेतु भारत सरकार के प्रयासों का समर्थन करता है।

निष्कर्ष:

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक के साथ डिजिटल इंडिया विधेयक, 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए नियामक फ्रेमवर्क तैयार करता है। यह उचित कार्यान्वयन देश के डिजिटल स्पेस के लिए एक सकारात्मक विकास होगा जिसमें देश के लिए दीर्घकालिक आर्थिक विकास और समृद्धि को गति देने की क्षमता है।

सांसदों की अयोग्यता और संसदीय विशेषाधिकारों से जुड़े संवैधानिक राजनीतिक पहलुओं की समीक्षा

सन्दर्भः

हाल ही में राहुल गांधी (केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के सांसद) को एक आपराधिक मानहानि के आरोप में सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा दोषसिद्धि के बाद 2 वर्ष की सजा सुनाई गयी जिसके बाद संसद सदस्य के रूप में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सूरत की अदालत ने उन्हें 2019 के मानहानि के मामले में दोषी ठहराया है, क्योंकि उन्होंने एक चुनावी रैली में यह कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है? भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-500 में मानहानि के लिए साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसमें कारावास की अधिकतम अवधि 'दो साल' तक दी जा सकती है।

परिचयः

- लोकतंत्र, संसद की तुलना में एक उच्च सोपान पर स्थित है। यह एक सूचना आधारित, सुसंस्कृत और सजग जनमत पर आधारित है। संसद सदस्य केवल नागरिकों के प्रतिनिधि होते हैं। वे उदासीनता और उपेक्षा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। वे अपनी निर्धारित भूमिका तभी निभा सकते हैं, जब वे बुद्धिमत्ता और सार्वजनिक भावना का प्रतिनिधित्व करते हों- **एरिक विलियम्स**
- एक संसदीय लोकतंत्र में, अंतिम सार्वभौमिक शक्ति लोगों के पास होती है। संसद के सदस्य लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि कोई सांसद अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहता है तथा ऐसा व्यवहार करता है जो संवैधानिक नैतिकता और कानून के शासन के खिलाफ है, तो उसे देश के कानून और संवैधानिक प्रावधानों के अधीन कार्यवाही का सामना करना पड़ता है।
- अदालत द्वारा दोषसिद्धि के बाद 2 साल की सजा मिलने के परिणामस्वरूप, लोक सभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने राहुल गांधी की लोक सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की अधिसूचना जारी की, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-8 के साथ और भारत के संविधान के अनुच्छेद-102 (1) (ई) के प्रावधानों के संदर्भ में सजा की तारीख से लागू की जा सकती है।
- हालाँकि, बाद में न्यायालय ने राहुल गांधी को जमानत दे दी और उनकी सजा पर रोक लगाने की उनकी अपील के निस्तारण तक उनकी सजा को निलंबित कर दिया।
- इसी तरह के उदाहरण में, लक्षद्वीप से एनसीपी के लोकसभा सांसद मो. फैजल को जनवरी 2023 में कवरत्ती जिला और सत्र न्यायालय द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल की कैद की सजा सुनाई गयी, जिसके बाद मो. फैजल को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हालांकि केरल उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगा दी जिसके बाद, लोक सभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी करके उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी।

संसद सदस्य की संवैधानिक स्थिति और संसदीय विशेषाधिकारः

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-84 के अंतर्गत संसद के सदस्यों के लिए कुछ योग्यतायें निर्धारित की हैं। साथ ही, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी अतिरिक्त योग्यताएं निर्धारित की गयी हैं।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-105 के तहत, संविधान ने दो संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लेख किया है, अर्थात संसद में बोलने की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। संसद सदस्य व्यक्तिगत विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हैं जो इस प्रकार हैं:
  - संसद के सत्र के दौरान और सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह विशेषाधिकार केवल दीवानी मामलों में उपलब्ध है न कि आपराधिक मामलों में।
  - उन्हें संसद में बोलने की आजादी है। संसद में कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी सदस्य पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। हालाँकि, यह स्वतंत्रता संसद के नियमों और प्रक्रियाओं के अधीन है।
  - जब संसद सत्र चल रहा हो तो वे साक्ष्य देने से इनकार कर सकते हैं और अदालत में लंबित मामले में गवाह के रूप में पेश हो सकते हैं।
  - इस तरह के संसदीय विशेषाधिकारों के बावजूद, संसद का कोई भी सदस्य कानून के शासन के प्रति प्रतिरक्षित नहीं है और उस पर संसद के बाहर किए गए आपराधिक कृत्य तथा संसद के बाहर बोली जाने वाली किसी भी बात के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।

संसद सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित संवैधानिक प्रावधानः

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-102(1) के तहत सांसदों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान निम्नवत हैं:

- यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है।
- यदि वह अस्वस्थ मस्तिष्क का है और न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है।
- यदि वह दिवालिया है।
- यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा प्रदर्शित की है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद-191(1) को विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता के लिए समान रूप से परिभाषित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग बनाम सक वेंकट राव (1953) वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद-191 के तहत एमएलए/ एमएलसी की अयोग्यता के लिए एमपी के समान प्रावधान लागू होते हैं।

संविधान का अनुच्छेद-103 सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्नों पर निम्न प्रावधान करता है:

- यदि प्रश्न उठता है कि क्या कोई संसद सदस्य अनुच्छेद-102 (1) में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता से संबंधित है, तो प्रश्न राष्ट्रपति को उनके निर्णय के लिए भेजा जाएगा, राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा।
- राष्ट्रपति ऐसा कोई निर्णय देने से पहले निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करेगा और उस राय के अनुसार कार्य करेगा।
- 52वें संविधान संशोधन, 1985 द्वारा जोड़ी गई 10वीं अनुसूची के तहत दल-बदल विरोधी कानून के अंतर्गत, एक सांसद को उसकी संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इस अनुसूची का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलबदल को रोकना और लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ ही संसद सदस्यों को अपने दलों के प्रति वफादार बनाना था। यह अनुसूची केंद्रीय और राज्य विधानमंडल दोनों पर लागू होती है।

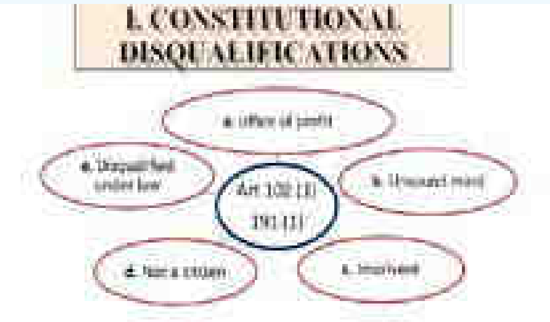

सांसदों की अयोग्यता से संबंधित वैधानिक प्रावधान: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

- संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भी अधिनियमित किया गया था जो अन्य बातों के साथ ही संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-8(1), 8(2) और 8(3) एक निर्वाचित प्रतिनिधि की अयोग्यता के प्रश्न को संबोधित करती है।
- धारा-8(1) में विशिष्ट अपराध शामिल हैं जैसे दो समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, रिश्वतखोरी और चुनाव में अनुचित प्रभाव। मानहानि इस सूची के अंतर्गत शामिल नहीं है।
- दहेज निषेध अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत, जमाखोरी या मुनाफाखोरी, भोजन या दवाओं में मिलावट और अपराध के लिए कम से कम छह महीने की सजा संबंधी अपराध धारा-8(2) के अंतर्गत सूचीबद्ध किये गये हैं।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-8(3) में कहा गया है कि 'एक व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसमें दो साल या दो साल से अधिक की कैद की सजा सुनाई गई है। इस तरह की सजा की तारीख से उस व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति को उनकी रिहाई के बाद से छह साल की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।' संक्षेप में कहा जाये तो एक सजायाफ्ता सांसद कम से कम अगले आठ वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता है।
- हालाँकि, अयोग्यता के निर्णय को खारिज किया जा सकता है, यदि कोई उच्च न्यायालय सजा पर रोक लगाता है या सजायाफ्ता सदस्य के पक्ष में अपील का फैसला करता है।
- धारा-8(4) के तहत सजायाफ्ता सांसदों को अपने पद पर बने रहने की छूट थी, बशर्ते कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा फैसले की तारीख के 3 महीने के भीतर उच्च न्यायालय में अपनी सजा के खिलाफ अपील की हो।
- आरपीए, 1951 की धारा-8(4) को लिली थॉमस बनाम भारत संघ वाद में दिए गये एक ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए.के. पटनायक और एस.जे. मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने 2013 में रद्द कर दिया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर सदस्य को अपील के लिए तीन महीने का समय दिए बिना, सदन की सदस्यता धारण करने से तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जैसा कि पहले के मामला में होता था। इस निर्णय का असर यह हुआ है कि दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद एक मौजूदा सांसद/विधायक को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
- हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अपीलीय अदालत द्वारा दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने की स्थिति में, अयोग्यता समाप्त हो जाएगी तथा उसकी सदस्यता को पुनः बहाल कर दिया जायेगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रहरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018) वाद में दिए गये अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि दोषसिद्धि पर न्यायालय द्वारा रोक लगा दी जाती है, तो दोषसिद्धि के कारण होने वाली अयोग्यता के निर्णय को खारिज कर दिया जाएगा।

निष्कर्ष:

अब समय आ गया है जब आपराधिक मानहानि के कानून की समीक्षा हो, क्योंकि प्रत्येक निर्वाचित राजनीतिक व्यक्ति को चुनाव प्रचार के दौरान कुछ ऐसा कहने का खतरा होता है जो किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ जा सकता है।

आपराधिक मानहानि के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता कुछ महत्त्वपूर्ण संवैधानिक और कानूनी मुद्दे उठाती है। मामले को वैसे भी अपीलीय अदालतों द्वारा निपटाया जाता है, इसलिए अयोग्यता से संबंधित मुद्दों की सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है।

एक ऐसे देश में, जो अक्सर राजनीति के अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और हेटस्पीच का अनुभव करता है, वहां आपराधिक मानहानि लोकतंत्र को फलने-फूलने में मदद नहीं करेगी। एक आधुनिक लोकतंत्र में, मानहानि को एक आपराधिक कृत्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह ब्रिटिश काल की विरासत है जिसमें प्रश्न करने की शक्ति को घोर अपराध माना जाता था, साथ ही लोगों के प्रतिनिधि को राजनीतिक भाषण देते समय परिपक्वता और जिम्मेदारी की भावना का परिचय देना भी आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन के अधिकार से जुड़े निर्णय का औचित्य

संदर्भः

हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सवर्ण जातियों के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण को बरकरार रखना, सामाजिक न्याय के लिए एक सदी से चले आ रहे संघर्ष हेतु एक झटका है।

परिचयः

ध्यातव्य है कि 2019 के 103वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण पर निरंतर विवाद होता रहा है। नवंबर 2022 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण की संवैधानिकता को उचित ठहराया था। भारत के अटार्नी जनरल ने यह कहते हुए उच्चतम न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया कि ईडब्लूएस आरक्षण अन्य किसी आरक्षण को प्रभावित नहीं करता है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणः

भारत सरकार द्वारा 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नवत हैं:

- इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद-15 व 16 में संशोधन करके अनुच्छेद-15(6) तथा अनुच्छेद-16(6) स्थापित किया गया।
- इसके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को शैक्षणिक संस्थाओं तथा लोक नियोजन में आरक्षण का लाभ प्रदान किया गया।
- यह ऐसे वर्ग को प्राप्त नहीं था जिन्हें पहले से ही आरक्षण के लाभ प्राप्त हों अर्थात यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को प्राप्त नहीं है।
- यह केंद्र तथा राज्य दोनों को इस संदर्भ में प्रावधान बनाने हेतु सशक्त करता है।

आर्थिक आधार पर आरक्षण हेतु मानदंडः

आरक्षण का लाभ उन लोगों को ही मिलेगा जिनके परिवार की-

- सालाना आय आठ लाख रुपए से कम हो।
- कृषि योग्य जमीन भी पाँच एकड़ से कम होनी चाहिए।
- मकान एक हजार वर्ग फीट से कम में बना हो। यदि मकान अधिसूचित नगरपालिका में है तो 100 गज और गैर-अधिसूचित नगरपालिका वाले इलाके में है तो 200 गज से कम होना चाहिए।

आरक्षण का विरोध क्यों?

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण के विरोध के निम्नलिखित कारण हैं-

- यह संशोधन इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, 1992 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन करता है।
- उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा याचिकाकर्ता के अनुसार संविधान की मूल संरचना का भाग है, अतः संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती।
- केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान, भारतीय संविधान की अंतर्दृष्टि तथा कार्ययोजना के विपरीत है।
- पूर्व काल में शोषण का आधार जातिगत था न कि आर्थिक। अतः जातिगत आधार पर ही आरक्षण होना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय तथा तर्कः

उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में आर्थिक आधार पर आरक्षण की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 3:2 के बहुमत से आर्थिक आधार पर आरक्षण को संविधान सम्मत बताया है। निर्णय का समर्थन करने वाले न्यायाधीशों (जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला) के तर्क थे:

- यह आरक्षण किसी के भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करता।
- यह आरक्षण 50% के अनारक्षित वर्ग में ही एक अलग श्रेणी है, अतः यह 50% के आरक्षण सीमा के नियम का उल्लंघन नहीं करता।
- भारत का संविधान आर्थिक न्याय की अवधारणा को भी बल देता है, अतः संसद के इस निर्णय को सकारात्मक हस्तक्षेप के रूप में देखा जाना चाहिए।
- आरक्षण का कोई भी प्रावधान अनंतकाल तक के लिए स्थायी नहीं है, अतः सामाजिक, शैक्षिणक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को जल्द से जल्द मुख्य धारा में सम्मिलित करना आवश्यक है जिसमें संसद का यह संशोधन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि इस प्रावधान का उपयोग निजी हितों के लिए नहीं होना चाहिए।

निर्णय का विरोध करने वाले न्यायाधीशों (पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट्ट) के तर्कः

- यदि यह संशोधन आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान करता है, तो इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित क्यों नहीं किया गया है? आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ सभी वर्गों को मिलना चाहिए।

इस संदर्भ में सरकार का पक्षः

- यह प्रावधान अन्य वर्गों के आरक्षण अधिकार को प्रभावित नहीं करता। इस आरक्षण के उपरांत भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण लागू रहेंगे।
- अटॉर्नी जनरल ने तर्क दिया कि अन्य आरक्षण प्राप्त वर्गों को इस

श्रेणी से बाहर करना सकारात्मक विभेदन है, जिसकी अनुमति संविधान देता है।

- नीति आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सामान्य श्रेणी की 18.2 प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक आधार पर पीछे है, अत: उन्हें भी मुख्य धारा में लाना आवश्यक है।
- आरक्षण का प्रावधान सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय प्रदान करने में आवश्यक है, अत: यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता।
- इसके साथ ही कुछ अन्य अधिनियमों यथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में भी वित्तीय तथा मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करने का उपबंध था जिसे भी सर्वोच्च न्यायालय ने वैधता प्रदान की थी जिसके अन्तर्गत आर्थिक आधार पर सकारात्मक विभेदन किया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय का औचित्य:

उच्चतम न्यायालय ने 3:2 के बहुमत से आर्थिक आधार पर आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा है। इसका अर्थ यह है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलता रहेगा, जो निम्नलिखित रूप से प्रासंगिक है:

- **न्याय की अवधारणा का समर्थक:** यह आर्थिक असमानता को संबोधित करता है तथा प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को स्थापित करने की दिशा में एक कदम बढ़ाता है।
- **एक सकारात्मक विभेदन:** यह एक सकारात्मक विभेदन है क्योंकि यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उच्च शिक्षा तथा लोक नियोजन में भागीदार बनने का अवसर प्रदान करता है।
- **शिक्षा के व्यवसायीकरण से निदान:** वर्तमान समय में शिक्षा के व्यवशायीकरण के कारण शिक्षा तथा सरकारी सेवाओं की तैयारी बहुत ही महंगी होती जा रही है, वहां इस प्रकार के प्रावधान अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं।
- **मुख्यधारा से जुड़ाव:** पूर्व में प्राप्त आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त भी ऐसे कई वर्ग हैं जो मुख्यधारा से कटे हुए हैं, उन्हें भी मुख्यधारा में लाना आवश्यक है जिसमें यह निर्णय सहायता प्रदान कर सकता है।
- **सामाजिक समरसता तथा एकता में वृद्धि:** उच्चतम न्यायालय का निर्णय आरक्षण से जुड़े सामाजिक कलंक (कि आरक्षण जाति आधारित भेदभाव है तथा कई बार आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले लोगों को हेय दृष्टि से देखा जाता है) में कमी करेगा जिससे प्रस्तावना में वर्णित नागरिकों के मध्य एकता की भावना को बल मिलेगा।

किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है?

यद्यपि आर्थिक आधार पर आरक्षण एक सकारात्मक विभेदन है परंतु ऐसी कई चिंताएं हैं जिन्हें संबोधित किए बिना इस प्रावधान के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता:

- **डाटा की अनुपलब्धता:** केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के पास आर्थिक आधार पर आरक्षण के लाभार्थियों की डाटा उपलब्धता में कमी है। सरकार के पास ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि लाभान्वित वर्ग का लोक नियोजन तथा शिक्षण संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **भ्रष्टाचार:** ईडब्लूएस प्रमाणन में भ्रष्टाचार होने की संभावना भी बढ़ती है।
- **पात्रता के मानदंड संबंधी चुनौतियाँ:** ईडब्लूएस आरक्षण की पात्रता के मानदंड में कई समस्याएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार से प्रश्न किया था कि क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण देते समय सभी राज्यों के प्रति व्यक्ति जीडीपी की जांच की जाएगी?
- **प्रशासनिक तंत्र विफलता को रोकना:** इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह आशंका व्यक्त की थी कि आरक्षण का अतिशय उपयोग, मेरिट को प्रभावित करके प्रशासनिक विफलता का कारक बन सकता है। इस स्थिति में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रशासन को किस प्रकार प्रभावित करता है?

निष्कर्ष:

भारतीय संविधान में वर्णित सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए सरकार यथासंभव कदम उठा रही है। सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण कहीं न कहीं आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना है। यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आरक्षण शाश्वत व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह एक अस्थाई व्यवस्था है जिसके लक्ष्यों को जल्द से जल्द प्राप्त करना आवश्यक है। आरक्षण जैसी अस्थाई व्यवस्था के लक्ष्यों को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उनका क्रियान्वयन बहुत ही बेहतर ढंग से हो। इसके लिए सरकार को इस संदर्भ में डाटा गवर्नेंस, भ्रष्टाचार में कमी तथा पात्रता संबंधी मानदंडों में स्पष्टता लाने की आवश्यकता है।

परफेक्ट 7

उत्तर प्रदेश पीसीएस करेंट अफेयर्स वार्षिकी-2023

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं एवं
अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी

UP POWERING NEW INDIA

G20 भारत 2023 INDIA

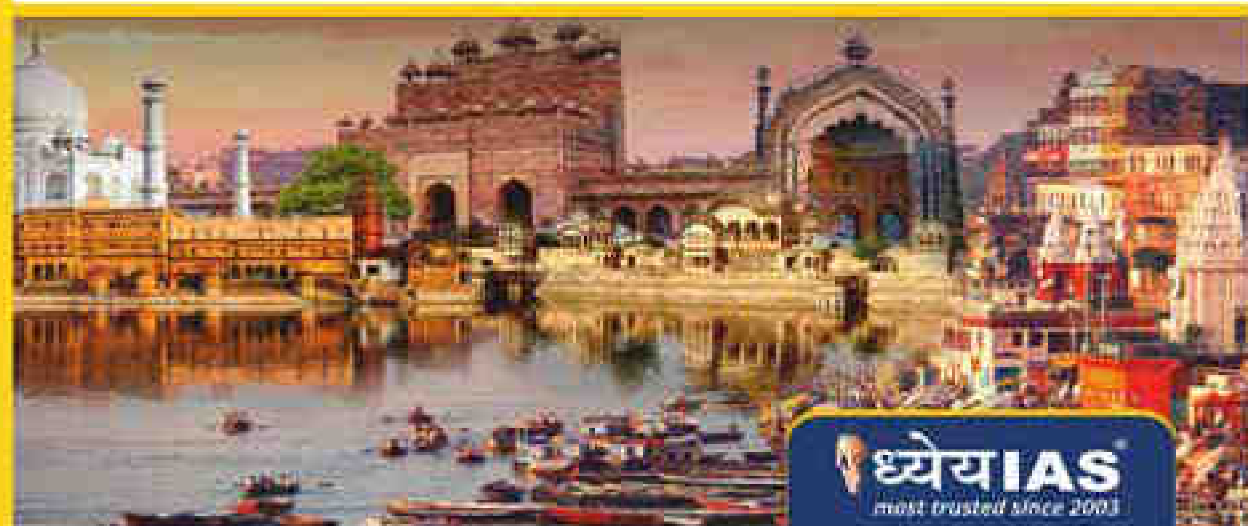

GET YOUR COPY

For More Info : 6393005298

Email Id : perfect7magazine@gmail.com

1 न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 के दौरान कार्यान्वयन के लिए एक नये केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (NILP) शुरू किया है।

न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (NILP):

- इसका उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ व्यक्तियों को साक्षरता प्रदान करना जो वर्तमान में पढ़ने या लिखने में असमर्थ हैं।
- यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, एनसीईआरटी और एनआईओएस के सहयोग से 'ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड एसेसमेंट सिस्टम (OTLAS)' का उपयोग करेगा।
- यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ संरेखित करने और वंचित समुदायों सहित सभी शिक्षार्थियों को एक समावेशी एवं समान शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करती है।
- योजना के 5 घटक:
  1. मूलभूत साक्षरता और अंकज्ञान।
  2. गंभीर जीवन कौशल।
  3. व्यावसायिक कौशल विकास।
  4. बुनियादी शिक्षा।
  5. सतत शिक्षा।
- लाभार्थियों की पहचान करने के लिए मोबाइल ऐप पर डोर-टू-डोर सर्वे किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निरक्षर भी मोबाइल ऐप के माध्यम से सीधे पंजीकरण करा सकते हैं।
- इस योजना का कार्यान्वयन को ऑनलाइन मोड में स्वयंसेवा के माध्यम से होगा।
- विद्यालय योजना के कार्यान्वयन के लिए इकाई होगी।
- शिक्षण और सीखने की सामग्री तथा संसाधन एनसीईआरटी के दीक्षा मंच पर उपलब्ध हैं जिन्हें मोबाइल ऐप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

एनआईएलपी की आवश्यकता क्यों है?

- जनगणना 2011 की रिपोर्ट है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में देश के निरक्षरों की कुल संख्या 25.76 करोड़ (पुरुष- 9.08 करोड़ और महिला- 16.68 करोड़) है।
- साथ ही, 2009-10 से 2017-18 के दौरान लागू किए गए साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत 7.64 करोड़ साक्षर प्रमाणित व्यक्तियों की प्रगति को देखते हुए, यह अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान में लगभग 18.12 करोड़ वयस्क अभी भी निरक्षर हैं।

मूलभूत साक्षरता:

- यह मूल पाठ पढ़ने और बुनियादी संख्यात्मक समस्याओं (जैसे जोड़ना/घटाना) को हल करने की एक व्यक्ति की क्षमता है।
- **निपुण भारत-** यह 2026-27 तक ग्रेड-3 के बच्चों हेतु सार्वभौमिक साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया एक पांच स्तरीय कार्यान्वयन कार्यक्रम है।
- **एनईपी 2020-** राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए 'राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता तथा संख्यात्मकता मिशन' का प्रावधान है।

आगे की राह:

मूलभूत साक्षरता, मानव पूंजी की एक बुनियादी आवश्यकता है जिसे प्रौद्योगिकी, धन के विकेंद्रीकरण और प्रक्रिया में समुदाय को भागीदार बनाकर आगे बढ़ाया जा सकता है। इससे न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी को, बल्कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ होगा।

2 अनुसूचित जनजातियों हेतु एफिनिटी टेस्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की बेंच ने फैसला सुनाया है कि जाति के दावे को तय करने के लिए आत्मीयता परीक्षण एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है। अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति या आदिवासी दावे की वैधता को निर्धारित करने के लिए प्रत्येक मामले में आत्मीयता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

आत्मीयता परीक्षण (Affinity Test) के बारे में:

- आत्मीयता परीक्षण का उपयोग मानवशास्त्रीय और नृवंशविज्ञान संबंधी लक्षणों के माध्यम से एक व्यक्ति को एक जनजाति से जोड़ने के लिए किया जाता है।
- आत्मीयता परीक्षण के लिए अधिकारियों द्वारा अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करना अनिवार्य है। रिपोर्ट जाति/जनजाति के दावों को मानवशास्त्रीय और नृवंशविज्ञान संबंधी लक्षणों, पूजा पद्धति, अनुष्ठानों, रीति-रिवाजों, विवाह के तरीके, मृत्यु समारोहों, मृत शरीरों को दफनाने के तरीकों आदि के आधार पर स्वीकार करती है।

यह लिटमस टेस्ट क्यों नहीं हो सकता?

- कोर्ट ने कहा कि आत्मीयता परीक्षण अनुसूचित जनजाति का निर्धारण करने के लिए महत्त्वपूर्ण आधार है, लेकिन यह कभी भी

जाति/जनजाति के दावे को साबित करने के लिए निर्णायक नहीं हो सकता है।

- यह भी हो सकता है कि आवेदक को किसी विशेष जाति/जनजाति से संबंधित हुए बिना उसके पूर्व लक्षणों के बारे में अच्छी जानकारी हो।
- यह भी हो सकता है कि शहरीकरण और वैश्वीकरण के लंबे समय तक प्रभाव के कारण, आवेदक या उसके माता-पिता को भी तथ्यों का ज्ञान न हो। ऐसा तब हो सकता है जब आवेदक दशकों से अपने परिवार के साथ बड़े शहरी क्षेत्रों में रहा हो।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे केवल दस्तावेजी सबूतों की पुष्टि के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

भारत में अनुसूचित जनजाति की स्थिति:

- जनगणना-1931 के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों को 'पिछड़ी जनजातियों' के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो "बहिष्कृत" और "आंशिक रूप से बहिष्कृत" क्षेत्रों में रहती हैं। अनुसूचित जनजातियों को मान्यता देने की आवश्यकताएँ संविधान में परिभाषित नहीं हैं।
- हालाँकि, संविधान में अनुच्छेद-366(25) केवल अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। अनुसूचित जनजातियों का अर्थ है ऐसी जनजातियाँ या आदिवासी समुदायों के हिस्से या समूह जिन्हें अनुच्छेद-342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है।
- अनुच्छेद-342 भारत के राष्ट्रपति को संबंधित राज्यपाल के परामर्श के बाद जनजातियों या आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के रूप में 705 जातीय समूह अधिसूचित हैं।

एफिनिटी टेस्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:

- 2009 में, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला सुनाया कि जाति प्रमाण पत्र के लिए सत्यापन प्रक्रिया का एक अनिवार्य पहलू आत्मीयता परीक्षण था। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में कहा था कि आत्मीयता परीक्षण अपने सत्यापन को पारित कर सकता है। वर्तमान फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक निष्कर्ष के लिए इस विषय को एक बड़ी बेंच के पास भेजने का फैसला किया है।

आगे की राह:

वर्तमान मामला अनुसूचित जनजातियों के निर्धारण में आने वाली कठिनाईयों को पहचानता है, क्योंकि उनकी निर्धनता को समकालीन विशेषताओं के साथ जोड़ा जा रहा है। हालाँकि, मानदंड में प्रासंगिक माप शामिल होना चाहिए जैसे कि पूर्वजों की पूजा पद्धति और समुदायों में उनके जुड़ाव की श्रृंखला। जनजातियों में पूजा की विविध पद्धतियाँ होती हैं जिन पर सरकार को अवश्य विचार करना चाहिए।

3 ह्यू एंड क्राई (Hue and Cry) नोटिस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने भगोड़े खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ 'ह्यू एंड क्राई' नोटिस जारी किया है। यह कदम तब उठाया गया, जब पंजाब पुलिस लगातार प्रयासों के बावजूद उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी।

ह्यू एंड क्राई नोटिस के बारे में:

- ह्यू एंड क्राई नियम कहता है कि अगर कोई संदिग्ध या अपराधी बहुत से लोगों के सामने सड़क पर दौड़ रहा है, तो उनमें से सभी को पहचान करने और उन्हें पकड़ने में पुलिस की सहायता करने के लिए जोर से चिल्लाना आवश्यक होता है। ऐसा कहा जाता है कि चिल्लाने की आवाज सुनकर, सभी सक्षम पुरुषों को अपराधी का पीछा करने के लिए यह उत्साहित करता है।

औपनिवेशिक विरासत (Colonial Legacy):

- 'ह्यु एंड क्राई' शब्द की उत्पत्ति 1285 में इंग्लैंड के राजा एडवर्ड प्रथम द्वारा पुलिस प्रणाली में सुधार करके स्थानीय स्तर पर सुरक्षा और शांति व्यवस्था से निपटने के लिए 'विंचेस्टर के कानून' पर हस्ताक्षर करने से हुई थी।
- इस नियम ने 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान सामुदायिक पुलिस प्रणाली को सक्षम बनाया।
- भारतीय कानून व्यवस्था में पुलिस से लेकर न्यायिक प्रणाली तक विभिन्न क्षेत्रों में औपनिवेशिक काल के कई कानून शामिल हैं। कानून और व्यवस्था के नियमों के अनुसार, पंजाब सहित कई न्यायालयों में ह्यू एंड क्राई नोटिस एक कानूनी प्रक्रिया है।

नोटिस कब जारी किया जाता है?

- जब पुलिस को लापता व्यक्तियों का पता लगाने, लावारिस शवों की पहचान करने, अन्य लोगों के बीच एक संदिग्ध की तलाश करने जैसे मामलों में जनता की मदद की आवश्यकता होती है, तब पुलिस 'ह्यू एंड क्राई' नोटिस जारी करती है।
- पंजाब पुलिस ने ह्यू एंड क्राई नोटिस का उपयोग कम से कम किया है और यह ज्यादातर उन मामलों में किया जाता है जहां वह वास्तव में मामले की गंभीरता पर जोर देना चाहती है। भगोड़े के बारे में दूसरे राज्यों को सचेत करने के लिए भी इसका इस्तेमाल एक कानूनी प्रक्रिया के रूप में किया जा सकता है।

अमृतपाल सिंह मामले में पंजाब पुलिस को झटका:

अमृतपाल सिंह, सिख आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले का अनुयायी है, जो कुछ महीनों से पंजाब में खालिस्तान अलगाववादी आंदोलन के विचार का प्रचार कर रहा है। उसे पकड़ने की लगातार कोशिशों के बावजूद वह अब तक पंजाब पुलिस की पहुंच से बाहर है।

आगे की राह:

पंजाब पुलिस की ओर से जारी किया गया यह नोटिस पुलिस व्यवस्था में सामुदायिक भागीदारी के महत्त्व को दर्शाता है। भारतीय पुलिस प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि चाहे वह स्थानीय अपराधी हो या आतंकवादी, स्थानीय लोगों की मदद से वह लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी या सशस्त्र बलों से बचने का प्रबंध करता है। इसलिए देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए और अपराधियों पर नजर रखने के लिए पुलिसिंग पद्धति में प्रभावी बदलाव की आवश्यकता है।

4 राज्यसभा ने प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, 2023 पारित किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, राज्यसभा ने प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, 2023 पारित किया, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास के लिए दो दशक पुराने एंटी-ट्रस्ट कानून का आधुनिकीकरण करना है। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023, 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम में संशोधन करता है, जो प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों को प्रतिबंधित करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को सशक्त बनाता है।

प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, 2023:

- विधेयक को अगस्त 2022 में, संसद में पेश किया गया और आंकलन के लिए वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया। समिति ने दिसंबर 2022 में अपने निष्कर्ष जारी किए और फरवरी 2023 में कुछ बदलावों के साथ विधेयक को फिर से पेश किया गया। इस विधेयक को लोकसभा ने 29 मार्च, 2023 को मंजूरी दी।
- प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 भारत, के 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम में कई संशोधनों का प्रस्ताव करता है, जो कि अविश्वास और प्रतिस्पर्धा विनियमों को नियंत्रित करता है।
- विधेयक के तहत विलय और अधिग्रहण 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य होने पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को सूचित किया जाना चाहिए, बशर्ते कि अधिग्रहण की जा रही पार्टी का भारत में पर्याप्त व्यावसायिक संचालन हो।
- यह विधेयक एक नया सेटलमेंट फ्रेमवर्क भी पेश करता है, जो संस्थाओं को कथित उल्लंघनों के लिए सेटलमेंट का प्रस्ताव देने की अनुमति देता है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI):

- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) भारत सरकार की एक वैधानिक इकाई है, जिसे 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम को क्रियान्वित करने का प्रभार दिया गया है। इसकी स्थापना मार्च 2009 में की गई थी।
- यह अधिनियम प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौतों, प्रभुत्व की स्थिति के उद्यम के दुरुपयोग और ऐसे संयोजनों पर प्रतिबंध लगाता है जिनका भारत के अंदर प्रतिस्पर्धा पर महत्त्वपूर्ण हानिकारक प्रभाव पड़ता है।
- आयोग में एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा चुने गए छह सदस्य शामिल हैं।
- आयोग एक अर्ध-न्यायिक इकाई है जो वैधानिक अधिकारियों को सलाह प्रदान करती है और अविश्वास विवादों को संभालती है।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002:

- प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था जो भारतीय प्रतिस्पर्धा कानून की निगरानी करता है।
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए की गई थी।
- यह प्रतिस्पर्धा नीति को लागू करने के साथ-साथ उद्यमों की प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यावसायिक गतिविधियों और बाजार में अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप को रोकने व दंडित करने का एक तंत्र है।
- अधिनियम का उद्देश्य एकाधिकार के साथ-साथ अवांछित सरकारी हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करना है। 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं:
  1. प्रतिस्पर्धा आयोग के निर्माण के लिए आधार तैयार करना।
  2. एकाधिकार को रोकने और बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना।
  3. बाजार सहभागियों (व्यक्तियों और व्यवसायों) के लिए व्यापार स्वतंत्रता की रक्षा करना।
  4. उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना आदि।

आगे की राह:

प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2023 पिछले 20 वर्षों में प्रतिस्पर्धा अधिनियम में एक महत्त्वपूर्ण सुधार है। यह विशेष रूप से डिजिटल मार्केटप्लेस में कॉर्पोरेट संचालन में समकालीन विकास के साथ, प्रतिस्पर्धा व्यवस्था को गति देने का प्रयास करता है। प्रतिस्पर्धा कानून समीक्षा समिति द्वारा सुझाए गए कई संशोधनों में शामिल हैं। विधेयक में प्रतिस्पर्धा प्रणाली का व्यापक संशोधन शामिल नहीं है, जिसे नवगठित डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून समिति पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया है।

5 प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन (NMNF) नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। यह स्वतंत्र योजना रसायन मुक्त, जलवायु-स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने के सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप है।

इस राष्ट्रीय मिशन के बारे में:

- भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) को बढ़ाकर राष्ट्रीय प्राकृतिक निर्माण मिशन तैयार किया गया है। यह कदम प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना (PPKVY) के दायरे में आता है।

लक्ष्य और उद्देश्य:

- इस मिशन का उद्देश्य पूरे देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। प्राकृतिक खेती स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित एक रसायन मुक्त कृषि पद्धति है। यह पारंपरिक स्वदेशी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है।

एनएमएनएफ के तहत प्रमुख पहलें:

प्राकृतिक खेती के क्षेत्र का विस्तार:

- यह मिशन 15000 कलस्टर विकसित करके 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगा। इसके द्वारा अपने क्षेत्र में, प्राकृतिक खेती को लागू करने के इच्छुक किसानों को क्लस्टर सदस्यों के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। प्रत्येक क्लस्टर में 50 हेक्टेयर भूमि वाले 50 या अधिक किसान शामिल होंगे।

मास्टर-ट्रेनर्स का प्रशिक्षण:

- कृषि मंत्रालय राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान तथा जैविक और प्राकृतिक खेती के राष्ट्रीय केंद्र (NCONF) के माध्यम से मास्टर ट्रेनरों, 'चैंपियन' किसानों और प्राकृतिक खेती की तकनीकों का अभ्यास करने वाले किसानों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण दे रहा है।

वेब पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सहायता:

- कार्यान्वयन ढांचे, किसानों के पंजीकरण तथा कार्यान्वयन की प्रगति आदि की जानकारी के साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है।

इनपुट के लिए वित्तीय सहायता:

- किसानों को 3 वर्ष तक प्रति हेक्टेयर 15000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। यह उन्हें ऑन-फार्म इनपुट प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में मदद करेगा। किसानों को प्रोत्साहन तभी प्रदान किया जाएगा, जब वे प्राकृतिक खेती के लिए प्रतिबद्ध हों और वास्तव में इसे अपना चुके हों। प्राकृतिक खेती बंद करने की स्थिति में वित्तीय सहायता को वितरित नहीं किया जायेगा।

बीआरसी की स्थापना:

- जैव-संसाधनों और आसानी से उपलब्ध जैविक या जैव उर्वरकों (गाय के गोबर-मूत्र निर्माण) तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार 15,000 भारतीय प्राकृतिक खेती जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) स्थापित करेगी।

सुनिश्चित लाभ:

- हालाँकि यह मिशन प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर देता है। यह निश्चित रूप से फसलों पर रसायनों के नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करेगा और अंतत: लोगों के लिए पोषण सुरक्षा को बढ़ाएगा। यह कृषि को किसानों के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाएगा। यह मिट्टी की उर्वरता को भी बहाल करने हेतु टिकाऊ कृषि का विकास करेगा।

भविष्य की चुनौतियां:

- पारंपरिक कृषि पद्धतियों को अपनाने और ऑन-फार्म बायोमास रीसाइक्लिंग केंद्रों की स्थापना के लिए उत्पादक परिणामों में लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, देश भर में सिंचाई सुविधा के कम कवरेज के साथ आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक आदानों (Inputs) और फसल विविधीकरण की कमी मिशन के सामने चुनौतियां खड़ी करती हैं।

आगे की राह:

पारंपरिक भारतीय खेती के तरीकों के लिए वर्तमान कृषि पैटर्न में कई बदलावों की आवश्यकता है, लेकिन अगर यह मिशन सफलतापूर्वक लागू हो जाता है तो यह कृषि को भविष्य की पीढ़ी के लिए एक जलवायु-स्मार्ट और टिकाऊ साधन के रूप में उपलब्ध होगा।

6 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (आईजेआर) 2022 में कर्नाटक राज्य ने एक करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में शीर्ष रैंक हासिल की है। यह रिपोर्ट न्याय वितरण के संदर्भ में राज्यों के समग्र प्रदर्शन का आकलन करने के लिए पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता जैसे कई मापदंडों पर विचार करती है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- दिसंबर 2022 तक, 1108 न्यायाधीशों की स्वीकृत के बावजूद, उच्च न्यायालय केवल 778 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहे थे। अधीनस्थ न्यायालयों को 24631 न्यायाधीशों की स्वीकृत के विरुद्ध 19288 न्यायाधीश मामलों की सुनवाई कर रहे हैं।
- **आधारभूत संरचना:** राष्ट्रीय स्तर पर न्यायाधीशों के लिए कोर्ट हॉल की संख्या पर्याप्त नहीं है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में क्रमश: 86, 82 और 35 सेवारत न्यायाधीशों के लिए कोई कोर्ट हॉल नहीं था। यदि प्रत्येक राज्य अपने स्वीकृत न्यायाधीशों में से प्रत्येक को नियुक्त करता है, तो केवल चार राज्यों और चार केंद्रशासित प्रदेशों में पर्याप्त कोर्ट हॉल हैं।
- **न्यायालय में लंबित मामले:** पिछले पांच वर्षों में अधिकांश राज्यों में प्रति जज लंबित मामलों की संख्या बढी है, जबकि स्वीकृत संख्या कमोबेश वही रही है। उच्च न्यायालय स्तर पर, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक औसत पेंडेंसी 11.34 वर्ष और पश्चिम बंगाल में 9.9 वर्ष है। सबसे कम औसत पेंडेंसी त्रिपुरा 1 वर्ष, सिक्किम 1.9 वर्ष और मेघालय 2.1 वर्ष है।
- 1 करोड़ से अधिक की आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक न्याय वितरण में पहले स्थान पर है जिसके बाद क्रमश: तमिलनाडु और तेलंगाना हैं, उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है। रिपोर्ट में 1 करोड़ से कम आबादी वाले 7 छोटे राज्यों में सिक्किम सबसे ऊपर है जिसके बाद त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश हैं।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) के बारे में:

- इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) को टाटा ट्रस्ट द्वारा सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के साथ मिलकर 2019 में शुरू किया गया था।
- यह रिपोर्ट न्याय वितरण के 4 स्तंभों अर्थात् पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता के समग्र आंकड़ों पर आधारित है। इस तीसरे संस्करण में देश के 25 राज्य मानवाधिकार आयोगों की अलग-अलग क्षमता का आंकलन भी किया गया है। इसकी दूसरी रिपोर्ट वर्ष 2020 में प्रकाशित की गयी थी।

आगे की राह:

न्यायाधीशों और न्यायालयों में बुनियादी ढांचे की कमी भारतीय न्यायपालिका के लिए एक महत्त्वपूर्ण चिंता का विषय है, जिससे लंबित

मामलों में वृद्धि हुई है। सरकार को न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरकर, पर्याप्त बुनियादी ढाँचे का विकास करके न्यायिक प्रणाली की दक्षता में सुधार करना चाहिए।

7 बाघ गणना 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेशन रिपोर्ट 2022 कर्नाटक के मैसूरु में 'प्रोजेक्ट टाइगर' के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी की गई। इस 5वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बाघों की आबादी 2018 से 2022 के बीच 6.7% बढ़ी है। 2018 में बाघों की संख्या 2,967 थी जो 2022 में बढ़कर 3,167 हो गयी है। प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के उद्घाटन के दौरान यह गणना जारी की है।

बाघ गणना:

- प्रत्येक चार वर्ष में सरकार बाघों की आबादी निर्धारित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी बाघ गणना आयोजित करती है। इस गणना में 20 राज्यों के जंगली क्षेत्र शामिल हैं। इसमें मांसाहारी जानवरों के चिह्नों के लिए फुट सर्वे, शिकार, गणना और चित्रों के लिए कैमरा ट्रैप आदि उपयोग की जाने वाली विधियां शामिल की जाती हैं।

प्रोजेक्ट टाइगर:

- प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू की गई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह बाघ अभयारण्यों (वर्तमान में - 53) के संरक्षण के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करती है और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए संस्थागत सुरक्षा उपायों को मजबूत करती है।
- यह वैज्ञानिक, आर्थिक, सौंदर्यपरक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्यों के लिए भारत में बाघों की आबादी के रखरखाव को सुनिश्चित करता है।

आईबीसीए:

- इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की स्थापना पृथ्वी पर रहने वाली सात बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए की गई थी जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा आदि शामिल हैं। यह 97 सदस्यीय समूह हिमायत, सहयोग, क्षमता विकास, पर्यावरण पर्यटन और वित्त पोषण पर काम करेगा।

रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या की स्थिति:

उत्तर भारत में:

- शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में बाघों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य और हिमाचल प्रदेश में यमुना के उत्तर-पश्चिम में बाघों के नए साक्ष्य दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आनुवंशिक रूप से भिन्न आबादी की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मध्य और पूर्वी भारत में:

- 2022 में मध्य हाइलैंड्स और पूर्वी घाटों में सबसे ज्यादा बाघों की आबादी दर्ज की गई है, जबकि छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और तेलंगाना में बाघों की संख्या में कमी आई है। सुंदरबन में बाघों की सबसे कम संख्या (100) दर्ज की गई, यहाँ बाघ मैंग्रोव आवासों तक ही सीमित हैं।

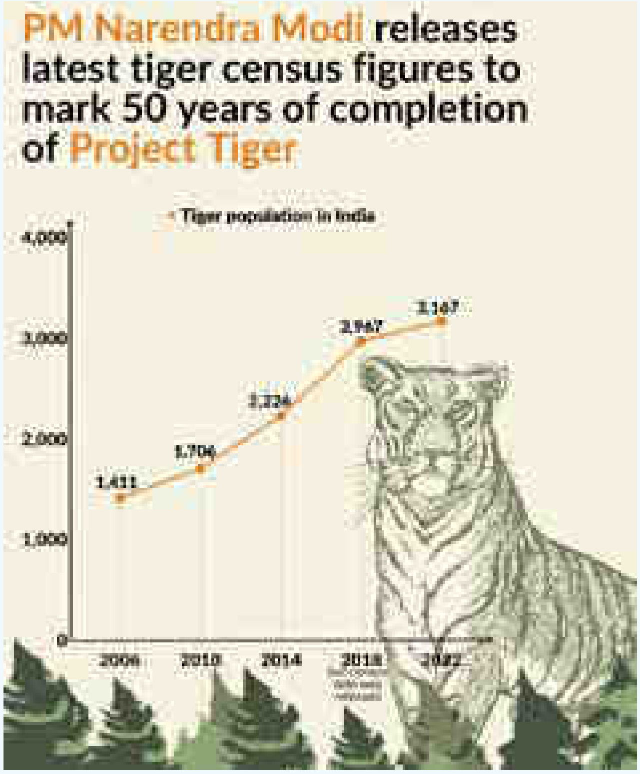

पश्चिमी और दक्षिण भारत में:

- पश्चिमी घाट में बाघों की संख्या में भी कमी आई है। संरक्षित क्षेत्रों के अंदर आबादी स्थिर रही, जबकि संरक्षित क्षेत्रों के बाहर रहने वालों की संख्या में कमी आई है। वायनाड क्षेत्र और बिलिगिरिरंगा (Biligiriranga) पहाड़ियों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई।
- उत्तर-पूर्वी पहाड़ी में बाघों की आबादी आनुवंशिक रूप से अलग है, लेकिन ब्रह्मपुत्र मैदानों और उत्तर-पूर्व पहाड़ियों के संरक्षित क्षेत्रों तक सीमित है।
- यहाँ संरक्षित क्षेत्रों में इन्फ्रा-विकास का अभाव है जो नकारात्मक तरीके से मानव-पशु संघर्षों को जन्म देता है।
- निवास स्थान का विनास, विखंडन और अवैध शिकार बाघों की आबादी के विलुप्त होने के संबंधित कारक हैं।

आगे की राह:

बाघ पारिस्थितिक, सांस्कृतिक और आर्थिक (पर्यटक) मूल्य के साथ शीर्ष परभक्षी हैं जो संरक्षित क्षेत्रों के भीतर हरित बुनियादी ढाँचे की स्थापना, शिकार, आधार प्रबंधन बाघों के अस्तित्व के लिए महत्त्वपूर्ण कारक हैं। भारत में बाघों की आबादी को लंबे समय तक संरछित रखने के लिए संरक्षण पहल, आवास बहाली और अवैध शिकार विरोधी कानूनों का मजबूत प्रबंधन प्रदान करता है।

1 ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ब्रिटेन ने व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने के लिए सहमति प्रदान की, जो पैसिफिक रिम के आसपास आधारित एक व्यापार समझौता है। ब्रिटेन की सहमति को अन्य सदस्य देशों द्वारा पुष्टि करने की जरुरत है। यूरोपीय यूनियन को छोड़ने के बाद ब्रिटेन उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ लगातार समझौते कर रहा है।

व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) के बारे में:

- वर्ष 2005 में ब्रुनेई, चिली, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे पैसिफिक रिम देशों के प्रस्ताव पर 12 राष्ट्र-राज्यों ने मिलकर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) का गठन किया था। जब 2017 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर लिया।
- इसके पश्चात शेष ग्यारह हस्ताक्षरकर्ता (जिन्हें TPP-11 के रूप में जाना जाता था) ने बातचीत जारी रखी और 8 मार्च, 2018 को सैंटियागो (चिली) में व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए थे।
- यह ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है। ब्रिटेन जल्द ही इस पार्टनरशिप का 12वां सदस्य देश होगा।

सीपीटीपीपी से सम्बंधित महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- समझौते का मतलब होगा कि 99% से अधिक ब्रिटिश निर्यात जिसमें पनीर, कार, चॉकलेट, मशीनरी, जिन (gin) और व्हिस्की जैसे प्रमुख बाजार शामिल हैं, पर शून्य टैरिफ होंगे। इससे दीर्घावधि में यूके की अर्थव्यवस्था में सालाना 2.2 बिलियन डॉलर का लाभ होगा। वर्ष 2023 में CPTPP आयोग की अध्यक्षता न्यूजीलैंड के पास है।
- यह हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के लिए एक प्रवेश द्वार है जो भविष्य में वैश्विक आर्थिक विकास के बहुमत (54%) के लिए जिम्मेदार होगा। CPTPP सदस्य के रूप में ब्रिटेन इस बात पर भी वीटो प्राप्त करेगा कि चीन संधि में शामिल होगा या नहीं, क्योंकि बीजिंग ने सितंबर 2021 में इसका सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था।
- इस पार्टनरशिप के सदस्य देशों की कुल जनसँख्या 500 मिलियन से अधिक है, जबकि कुल देशों की अर्थव्यवस्था लगभग 13.5 ट्रिलियन डॉलर की है। ब्रिटेन के शामिल होने के बाद सदस्य देशों का सकल घरेलू उत्पाद, कुल वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 15% के बराबर होगा।

आगे की राह:

ब्रिटेन द्वारा इस पार्टनरशिप में शामिल होने से निश्चित रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तथा किसी एक देश के एकतरफा नियमों को चुनौती मिलेगी। ब्रिटेन को अपने सामानों के निर्यात के लिए एक बड़ा बाजार मिलेगा, जिससे देश की शिथिल अर्थव्यवस्था में तेजी आने की संभावना है।

2 संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत चार वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है। इस वोटिंग प्रक्रिया के दौरान भारत को 53 देशों में 46 ने समर्थन दिया था। भारत का चयन दो दशकों बाद हुआ है, जबकि कार्यकाल 01 जनवरी, 2024 से शुरू होगा। दूसरे सदस्य के रूप में गुप्त मतदान के दो अनिर्णायक दौरों के बाद लॉटरी के माध्यम से दक्षिण कोरिया को दूसरी सीट के लिए चुना गया था।

संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के बारे में:

- वर्ष 1947 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग वैश्विक सांख्यिकीय प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है जो दुनिया भर के सदस्य देशों के प्रमुख सांख्यिकीविदों को एक साथ लाता है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जो सांख्यिकीय मानकों को स्थापित करने और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्यान्वयन सहित अवधारणाओं और विधियों के विकास के लिए जिम्मेदार है।
- आयोग में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा समान भौगोलिक वितरण के आधार पर चुने गए संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देश शामिल हैं। ये सभी देश 4 वर्षों के कार्यकाल हेतु चुने जाते हैं।
- जुलाई 1999 में आर्थिक और सामाजिक परिषद ने निर्णय लिया कि आयोग वर्ष 2000 से प्रत्येक सत्र में चार दिनों के लिए वार्षिक रूप से बैठक करेगा।

अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों में भारत का चयन:

- भारत को नारकोटिक ड्रग्स आयोग हेतु अर्जेंटीना, चीन, केन्या, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 अन्य देशों के साथ चुना गया है। इसके अतिरिक्त भारत को कार्यक्रम और समन्वय समिति के लिए चुना गया है, जो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के कार्यों के समन्वय तथा एकीकरण में मदद करती है।
- भारत और कंबोडिया को एशिया-प्रशांत राज्यों के लिए एचआईवी/एड्स (UNAIDS) पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड के लिए भी चुना गया है। यह बोर्ड इस क्षेत्र में यूएनएड्स के काम का मार्गदर्शन करता है और एचआईवी/एड्स महामारी से लड़ने के लिए रणनीतियों के विकास में मदद करता है।

आगे की राह:

पिछले कुछ वर्षों से वैश्विक स्तर पर भारत का कद लगातार बढ़ रहा है, चाहे वह जी-20 की अध्यक्षता हो या फिर एससीओ की। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न कार्यक्रमों में भारत के योगदान को निर्देशित करने वाला

दर्शन 'वसुधैव कुटुम्बकम' या 'विश्व एक परिवार है' रहा है। यह दर्शन मानवता की परस्पर संबद्धता पर जोर देकर समझ और आपसी सम्मान के आधार पर संबंधों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है।

3 भारत- भूटान संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक तीन दिवसीय दौरे पर भारत आये। यह यात्रा चीन के साथ भूटान के सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग की टिप्पणियों के बाद हुई। इस यात्रा के दौरान दो पहलुओं ने बड़े पैमाने पर ध्यान आकर्षित किया है: पहला, भूटानी क्षेत्रों के भीतर चीनी घुसपैठ और बुनियादी ढांचे की स्थापना से इंकार, जबकि दूसरा यह कहना कि डोकलाम मुद्दे पर भारत और भूटान के बराबर चीन भी हितधारक है।

भारत-भूटान संबंध:

- भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंध 1968 में थिम्फू में भारत के एक विशेष कार्यालय की स्थापना के साथ स्थापित हुए थे। भारत-भूटान द्विपक्षीय संबंधों का मूल ढांचा दोनों देशों के बीच 1949 में हस्ताक्षरित और फरवरी 2007 में संशोधित मित्रता और सहयोग की संधि है। भारत और भूटान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना की स्वर्ण जयंती वर्ष 2018 में मनाई गई थी।
- भारत 1960 के दशक की शुरुआत से ही भूटान के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आर्थिक सहायता दे रहा है, जब भूटान ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत ने 4500 करोड़ रुपये का योगदान दिया था, जो भूटान के कुल बाहरी अनुदान का 73% था।
- भूटान के लिए, पनबिजली विकास सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक महत्त्वपूर्ण उत्प्रेरक बना हुआ है। कुल 2136 मेगावाट की चार पनबिजली परियोजनाएं (HEP) भूटान में पहले से ही चालू हैं जो बिजली की आपूर्ति कर रही हैं। अगस्त 2019 में 720 मेगावाट की मंगदेछू (Mangdechhu) को चालू किया गया था।
- भारत से भूटान को प्रमुख निर्यात खनिज उत्पाद, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, विद्युत उपकरण, वाहन, वनस्पति उत्पाद हैं। भूटान से भारत को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में बिजली, फेरो-सिलिकॉन, पोर्टलैंड सीमेंट, डोलोमाइट, सिलिकॉन के कैल्शियम कार्बाइड, सीमेंट क्लिंकर आदि हैं।
- भारत भूटानी छात्रों के लिए सबसे लोकप्रिय शैक्षिक गंतव्य है, जहां लगभग 4000 भूटानी छात्र भारतीय विश्वविद्यालयों में नामांकित हैं। दोनों देशों के बीच जीवंत सांस्कृतिक आदान-प्रदान हैं। कई भूटानी तीर्थयात्री भारत में पवित्र बौद्ध स्थलों की यात्रा करते रहे हैं।
- भारत-भूटान दोनों दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) के संस्थापक सदस्य हैं जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास से संबंधित है। ये दोनों देश बिम्सटेक के भी सदस्य हैं। दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंध लगभग 1 बिलियन डॉलर है जिसे बढ़ाने की असीम संभावना है।

आगे की राह:

चीन से सीमा की सुरक्षा दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है। इसलिए इस मुद्दे पर दोनों पक्षों को मिलकर काम करने की जरूरत है। पड़ोसी होने के नाते यह आवश्यक है कि दोनों देश एक-दूसरे के मूल्यों को पहचानें। भारत को लगातार भूटान के साथ सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने की आवश्यकता है। भूटान में इसरो के ग्राउंड स्टेशन की स्थापना का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है, जो भूटान को उसके दूर-दराज के क्षेत्रों में मौसम संबंधी संदेश प्रदान करने में मदद करेगा।

4 संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जॉर्ज सोरोस के नेतृत्व वाले फाउंडेशन की आलोचना की। एक रिपोर्ट से पता चला है कि 2015 के बाद, सुशासन को मजबूत करने के लिए यूएनडीईएफ द्वारा वित्त पोषित 276 परियोजनाओं में से 68 को व्यवसायी जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन या उसके सहयोगियों से जुड़े सिविल सोसाइटी संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया गया है।

यूएनडीईएफ के बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष, संयुक्त राष्ट्र का एक सामान्य ट्रस्ट फंड है जिसे दुनिया भर में लोकतंत्रीकरण के प्रयासों का समर्थन करने के लिए बनाया गया था।
- यह 2005 में विश्व शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था और भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर उनकी चर्चा की पृष्ठभूमि में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश द्वारा सह-प्रायोजित किया गया था।
- यूएनडीईएफ का अधिकांश धन नागरिक समाज संगठनों को वितरित किया गया है जिसका उद्देश्य नागरिक समाज, मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करने वाली परियोजनाओं को आर्थिक रूप से समर्थन देना है।
- भारत एक संस्थापक सदस्य के रूप में, 2005 के बाद से UNDEF में $32 मिलियन से अधिक का योगदान देने वाला चौथा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। 2022 में, भारत ने $150,000 का योगदान दिया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन और जर्मनी के बाद सभी 45 दानदाताओं में चौथा सबसे बड़ा योगदान है।
- फंड की देखरेख एक सलाहकार बोर्ड (19 सदस्य) द्वारा की जाती है, जिसमें विभिन्न देश (भारत सहित) और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

यूएनडीईएफ द्वारा वित्त पोषण:

- यूएनडीईएफ सालाना आधार पर दुनिया भर के एनजीओ से लगभग 3,000 प्रस्ताव आमंत्रित करता है।
- सलाहकार बोर्ड इन प्रस्तावों पर विचार करता है और लगभग 30-50 संगठनों को वित्त पोषण के लिए चुने जाने के साथ अनुमोदन के लिए महासचिव को अनुशंसा करता है।
- यूएनडीईएफ द्वारा आयोजित वित्त पोषण के 15 वार्षिक दौर के दौरान, इसने 130 से अधिक देशों में 880 से अधिक दो-वर्षीय

परियोजनाओं को सहयोग दिया है।

आगे की राह:

एस. जयशंकर की सोरोस की आलोचना की पृष्ठभूमि में, ऐसी राय भी सामने आई कि एक ओर भारत सोरोस और ओएसएफ के खिलाफ देश में कठोर रुख अख्तियार कर रहा है, तो वहीं वह यूएनडीईएफ में वित्तपोषण से लाभान्वित होने वाले फाउंडेशन पर समान दृष्टिकोण नहीं अपना रहा। इसके जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र-लोकतंत्र कोष में भारत के वित्तपोषण से अमेरिकी व्यवसायी जॉर्ज सोरोस के नेतृत्व वाले फाउंडेशन लाभान्वित होने और विदेश मंत्री एस. जयशंकर द्वारा सोरोस की आलोचना दो अलग-अलग मुद्दे हैं। इन्हें एकसाथ जोड़ा नहीं जाना चाहिए।

5 भारत और यूक्रेन संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूक्रेन के विदेश मामलों की प्रथम उपमंत्री, एमीन दजापरोवा भारत में आधिकारिक यात्रा पर आई जो उनकी भारत की पहली आधि कारिक यात्रा थी। यात्रा के दौरान दजापरोवा ने आर्थिक, रक्षा, मानवीय सहायता और पारस्परिक हित के वैश्विक मुद्दों जैसे द्विपक्षीय एजेंडे के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। उन्होंने यूक्रेन की मौजूदा स्थिति के बारे में भी जानकारी दी।

बैठक के मुख्य बिंदु:

- भारतीय मेडिकल छात्रों के मुद्दे पर डिप्टी एफएम ने उल्लेख किया कि यूक्रेन विदेशी मेडिकल छात्रों को उनके देश के अधिवास में एकीकृत राज्य योग्यता परीक्षा देने की अनुमति देगा।
- भारत से दवाओं और चिकित्सा उपकरणों सहित अतिरिक्त मानवीय आपूर्ति के लिए अनुरोध किया।
- इस बात पर सहमति हुई कि दोनों देशों के बीच अगला अंतर-सरकारी आयोग पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर भारत में आयोजित किया जाएगा।

भारत-यूक्रेन संबंध के बारे में:

- भारत यूक्रेन को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। भारत सरकार ने दिसंबर 1991 में यूक्रेन गणराज्य को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता दी। भारत और यूक्रेन ने जनवरी 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित किए।
- भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में यूक्रेन का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य और पांचवां सबसे बड़ा समग्र निर्यात गंतव्य है। यूक्रेन से भारत को निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं कृषि उत्पाद, धातुकर्म उत्पाद, प्लास्टिक और पॉलिमर आदि हैं, जबकि फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, रसायन, खाद्य उत्पाद आदि यूक्रेन के लिए प्रमुख भारतीय निर्यात हैं।
- मार्च, 1992 में भारत-यूक्रेन के बीच मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे भारत-यूक्रेन व्यापार संबंधों को एक प्रमुख बढ़ावा मिला।
- भारत के यूक्रेन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, भले ही यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था। यूक्रेन ने शिमला समझौते के आधार पर जम्मू-कश्मीर के मुद्दे के समाधान का समर्थन किया। यूक्रेन संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में सुधारों का भी समर्थन करता है।
- यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दोनों में, यूक्रेन में रूस के कार्यों की निंदा करने के उद्देश्य से कई प्रस्तावों के समर्थन में मतदान से तटस्थ रुख बनाए रखा।

आगे की राह:

रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण ने भारत को एक कठिन स्थिति में रखा क्योंकि रूस एक ऐतिहासिक भागीदार है जिसके साथ भारत के गहरे रक्षा संबंध रहे हैं। रूस की आक्रामकता यूक्रेन की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। युद्ध ने भारत के अपने पश्चिमी भागीदारों के साथ संबंधों को भी जटिल बना दिया है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में ट्रांस-अटलांटिक शक्तियों ने रूस के खिलाफ आर्थिक युद्ध शुरू कर दिया है। इस संघर्ष के प्रति भारत की नीति इसकी रणनीतिक तटस्थता में निहित है जिसे पीड़ित के साथ अधिक मुखर रूप से सहानुभूति रखनी चाहिए। सभी देशों की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बनाए रखने का आह्वान करना चाहिए, साथ ही संघर्ष के व्यावहारिक और स्थायी समाधान पर जोर देना चाहिए।

6 चीन ने ताइवान की नाकाबंदी हेतु सैन्य अभ्यास किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में 'ज्वाइंट स्वार्ड-Joint Sword' नामक अभ्यास किया। यह पहली बार था जब चीन ने विमान वाहक पोत का उपयोग करके ताइवान के पास अभ्यास किया। ताइवान की नाकेबंदी का अनुकरण करने के प्रयास में चीनी नौसेना के जहाजों द्वारा हवाई आक्रमण जारी रहा। ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा और बाद में स्पीकर केविन मैककार्थी के साथ बैठक के बाद ताइवान के लिए एक कड़ी चेतावनी के रूप में चीन द्वारा 'ज्वाइंट स्वार्ड' अभ्यास किया गया।

चीन-ताइवान तनाव का कारण:

- ताइवान खुद को एक संप्रभु राज्य मानता है। बीजिंग, ताइवान को एक टूटे हुए प्रांत के रूप में देखता है, जिसे चीन के मुख्य भूमि के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।
- चीन ने 'एक देश, दो प्रणाली' विकल्प का प्रस्ताव रखा है, जिसने ताइवान को स्वायत्तता दिया। हालांकि, ताइवान ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिससे बीजिंग ने ताइवान की सरकार को आमान्य घोषित कर दिया।
- 2018 में बीजिंग ने अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों पर दबाव बनाया है कि अगर वे अपनी वेबसाइटों पर ताइवान को चीन के एक हिस्से के रूप में सूचीबद्ध नहीं करते, तो उन्हें चीन में व्यापार करने की इजाजत नहीं होगी।

चीन-ताइवान संघर्ष और अमेरिका:

- यूएस-चीन संबंध 'वन चाइना पॉलिसी' पर आधारित है, जो मानता

है कि केवल एक चीनी सरकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के साथ अपने आधिकारिक संबंधों को मान्यता देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ताइवान के साथ स्वतंत्र, मजबूत और अनौपचारिक संबंध हैं।

- अमेरिका ने ताइवान को रक्षात्मक हथियारों की आपूर्ति करने का भी वादा किया तथा इस बात पर जोर दिया कि चीन द्वारा किसी भी हमले से समस्या उत्पन्न हो सकती है।
- ताइवान का मुद्दा अमेरिका और चीन के बीच विवाद का कारण रहा है। बीजिंग ने ताइवान के लिए वाशिंगटन से किसी भी समर्थन की निंदा की है और ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों को बढ़ाकर जवाब दिया है।

ताइवान का रणनीतिक महत्त्व:

ताइवान का द्वीप चीन के तट से लगभग 100 मील की दूरी पर है। इस स्थिति के कारण यह अमेरिकी विदेश नीति के लिए महत्त्वपूर्ण है। इसके अलावा, ताइवान की स्थिति चीन को दक्षिण चीन सागर पर पूर्ण नियंत्रण का दावा करने और अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूर्व की ओर अपनी नौसेना का विस्तार करने से रोकती है। ताइवान भी एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक शक्ति है जो कंप्यूटर और ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल होने वाले चिप का उत्पादन करता है।

आगे की राह:

ताइवान जलडमरूमध्य में शांति और स्थिरता न केवल क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की स्थिरता के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में कोई भी अस्थिरता वैश्विक व्यापार को नुकशान पंहुचा सकती है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने समस्या उत्पन्न कर सकती है जो पहले से ही मंदी की शिकार है।

7 विदेश मंत्री एस. जयशंकर की युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा की। यह यात्रा इन अफ्रीकी देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंध एवं सामरिक अभियान को रेखांकित करती है।

युगांडा की यात्रा:

- यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर ने युगांडा के अपने समकक्ष विदेश मंत्री जनरल जेजे ओडोंगो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की।
- उन्होंने जिन्जा (Jinja) में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) के ट्रांजिट परिसर का उद्घाटन किया। भारत के बाहर एनएफएसयू के अब तक के पहले परिसर की स्थापना के लिए भारत सरकार और युगांडा सरकार के बीच एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।
- उन्होंने युगांडा में सौर ऊर्जा संचालित जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी।
- उन्होंने युगांडा के व्यावासिक समुदाय को भी संबोधित किया और भारतीय डायस्पोरा के साथ बातचीत की।
- पूर्व में दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय राजनीतिक यात्राएं होती रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की राजकीय यात्रा की थी और युगांडा की संसद को संबोधित किया था। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने 2015 में तीसरे भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के दौरान देश की आधिकारिक यात्रा की थी।

मोजाम्बिक की यात्रा:

- डॉ. एस. जयशंकर ने यात्रा के अगले पड़ाव में 13 से 15 अप्रैल तक मोजाम्बिक का दौरा किया। यह भारत के किसी विदेश मंत्री द्वारा मोजाम्बिक की पहली यात्रा थी।
- यात्रा के दौरान उन्होंने मोजाम्बिक की विदेश मंत्री वेरोनिका मैकामो से मुलाकात की।
- उन्होंने मोजाम्बिक में बसे भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत की।
- मोजाम्बिक चैनल एक प्रमुख वैश्विक शिपिंग मार्ग है जो वैश्विक टैंकर यातायात का लगभग 30 प्रतिशत वहन करता है। यह धीरे-धीरे हिंद महासागर में प्रमुख सुरक्षा हॉटस्पॉट बन रहा है।
- दक्षिण अफ्रीका के अलावा, मोजाम्बिक एकमात्र दूसरा अफ्रीकी देश है जिसके साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी है। मोजाम्बिक ने आतंकवाद और कट्टरवाद के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए भारत से सहयोग मांगा है, जिस पर भारत ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। 2019 में राजनाथ सिंह की मापुटो यात्रा किसी भारतीय रक्षा मंत्री की पहली ऐतिहासिक यात्रा थी, जिसके दौरान व्हाइट शिपिंग जानकारी साझा करने पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

आगे की राह:

विदेश मंत्री की युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा से इन दोनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत होने की संभावना है। भारत भौगोलिक रूप से अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। भारत अपनी हिंद-प्रशांत रणनीति के लिए अफ्रीका के हिंद महासागर के देशों को महत्त्वपूर्ण मानता है तथा उनमें से कई के साथ भारत ने संयुक्त अभ्यास सहित रक्षा और शिपिंग समझौतों पर हस्ताक्षर किए भी किए हैं। अफ्रीका महाद्वीप में बढ़ते चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत ने 11 अरब डॉलर से अधिक के अपने निवेश के माध्यम से अफ्रीकी महाद्वीप के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया है।

पर्यावरणीय मुद्दे

1 ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने अरावली को पुनर्जीवित करने के लिए 'ग्रीन वॉल' नामक एक व्यापक वनीकरण और वृक्षारोपण परियोजना शुरू की, जो बड़े पैमाने पर खनन, कचरे के डंपिंग और अतिक्रमणों से खतरे में है।

ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में:

- अरावली की हरित दीवार परियोजना भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए देश भर में हरित गलियारे बनाने के केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के दृष्टिकोण का एक हिस्सा है।
- इस परियोजना की संकल्पना अफ्रीकी ग्रीन वॉल कार्यक्रम (2007) की तर्ज पर की गई है, जो अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में बिगड़े हुए परिदृश्य को बहाल करने के लिए लाया गया था।
- इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर खनन, कचरे के डंपिंग और अतिक्रमणों से खतरे में पड़ी अरावली को पुनर्जीवित करना है।
- यह अरावली रेंज के चारों ओर 1,400 किमी लंबी और 5 किमी चौड़ी हरित पट्टी बफर बनाने के लिए एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली राज्य शामिल हैं।
- परियोजना के प्रारंभिक चरण में 75 जल निकायों का कायाकल्प शामिल है।

परियोजना का उद्देश्य:

- अरावली रेंज के पारिस्थितिक स्वास्थ्य में सुधार।
- थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकने के लिए तथा हरी बाधाओं (वनीकरण करके) को बनाकर भूमि क्षरण को कम करने के लिए यह मिट्टी के कटाव, मरुस्थलीकरण और धूल भरी आंधियों को रोकेंगे।
- यह हरित दीवार देशी पेड़ प्रजातियों को लगाकर, वन्यजीवों के लिए आवास साबित करने, पानी की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करके अरावली रेंज की जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ाने के लिए कार्बन पृथक्करण और जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करेगी।
- वनीकरण, कृषि-वानिकी और जल संरक्षण गतिविधियों में स्थानीय समुदायों को शामिल करके सतत विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना जिससे आय, रोजगार, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक लाभ उत्पन्न होंगे।

अरावली रेंज के बारे में:

- अरावली-दिल्ली ओरोगन नामक प्रीकेम्ब्रियन पूर्व घटना में इस श्रेणी में वृद्धि हुई।
- यह पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है जिसका निर्माण ओरोजेनिक प्रक्रिया द्वारा हुआ था।
- वलित पर्वत, अभिसारी प्लेट सीमाओं के संचालन और बाद के वलन द्वारा बनते हैं।
- अरावली श्रेणी को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
    1. सांभर सिरोही रेंज।
    2. सांभर खेतड़ी रेंज; राजस्थान में।
- सबसे ऊँची चोटी माउंट आबू की गुरु चोटी है।
- मानसून के दौरान, अरावली पर्वत शृंखला मानसून के बादलों को शिमला और नैनीताल की ओर निर्देशित करती है। इस प्रकार उप-हिमालयी नदियों को उत्तर भारतीय मैदानों को स्रोत बनाने में मदद करती है।

आगे की राह:

ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट यूएनसीसीडी, जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) और यूएनएफसीसीसी जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं में योगदान देता है।

2 एनजीटी ने केरल सरकार पर लगाया जुर्माना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने वेम्बनाड और अष्टमुडी झीलों की रक्षा करने में विफल रहने के लिए केरल सरकार पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। ये दोनों झीलें आर्द्रभूमि की रामसर सूची में शामिल हैं। ये आर्द्रभूमि झीलें लंबे समय से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण, प्रदूषण और पारिस्थितिक तंत्र की कमी के लिए अतिसंवेदनशील रही हैं।

एनजीटी के बारे में:

- यह राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम (2010) के तहत स्थापित एक विशेष निकाय है जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों को प्रभावी ढंग से निपटाना है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' के अनुसार लगाया गया ये जुर्माना रिंग-फेंस खाते में जमा किया जाएगा। मुख्य सचिव के अधिकार के तहत उपयोग की जाने वाली राशि को संरक्षण या बहाली के उपायों के लिए नियोजित किया जाएगा।
- राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस कार्यवाही के तहत रिपोर्ट दायर की। इस रिपोर्ट ने "आर्द्रभूमि की रक्षा के अनिवार्य कर्त्तव्य को पूरा करने में निराशाजनक स्थिति" का चित्रण किया।
- ऑक्सीजन की कमी के स्तर के साथ यहां पानी की गुणवत्ता में गिरावट आयी है।
- पिछले 120 वर्षों में विशाल अतिक्रमण और इसकी पारिस्थितिकी की तबाही के कारण वेम्बनाड झील की जल धारण क्षमता में 85 प्रतिशत की कमी आई है।
- झील और आस-पास के क्षेत्रों के दौरे के दौरान कोल्लम केएसआरटीसी स्टॉप, कुरीपुझा कचरा उपचार संयंत्र और सांबरनिकोडी सहित बड़ी मात्रा में अपशिष्ट संचय की सूचना मिली।
- पानी की गुणवत्ता के आधार पर झील के पास के क्षेत्रों को वर्गीकृत करने और मासिक परिणाम प्रकाशित करने का सुझाव दिया गया है।

- झील में अवैध विध्वंस और नावों की डंपिंग को नियंत्रित करने के लिए तत्काल नियमों की सिफारिश की।
- समिति ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हर तीन महीने में झील में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया और ऑक्सीजन के स्तर की जांच करने का निर्देश दिया।
- साथ ही प्राकृतिक बैकवाटर पारिस्थितिकी तंत्र पर यहां के पर्यटन के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए एक अध्ययन का भी सुझाव दिया है।

आगे की राह:

मत्स्य पालन, जैव विविधता और यहां तक कि पर्यटन भी बैकवाटर के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये समुद्र के साथ निरंतर विनिमय में हैं। वेम्बनाड और अष्टमुडी झीलों के अवैध कचरे के डंपिंग से प्रभावित वैधानिक तथा प्रशासनिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए उपचारात्मक कार्यवाही विफल रही हैं। राज्य स्तर पर की गई कार्यवाही भी स्थिति को सुधारने के लिए अपर्याप्त थी। ऐसे में राज्य नागरिकों के गारंटीकृत अधिकारों को लागू करने, पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने में लाचारी की दलील नहीं दे सकता है। यदि ऐसे ही रहा तो जल्द ही केरल के सबसे बड़े आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र वेम्बनाड के बड़े हिस्से गायब हो जाएंगे। अत: राज्य सरकार को आर्द्रभूमि तथा संबंधित पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण, बाढ़ और सूखे की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मास्टर प्लान विकसित करना चाहिए।

3 मिष्टी (MISHTI)

चर्चा में क्यों?

इस वर्ष के बजट भाषण में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के समुद्री तटों और आसपास के मैदानों में मैंग्रोव लगाने हेतु मिष्टी का अनावरण किया था।

मिष्टी (MISHTI) के बारे में:

- इस पहल को मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम (मिष्टी) के नाम से जाना जाता है।
- यह पहल मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट के साथ भारत की भागीदारी के बाद पेश की गई थी, जो नवंबर 2022 में मिस्र में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संधि के फ्रेमवर्क के 27वें सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था।

मैंग्रोव के बारे में:

- मैंग्रोव छोटे पेड़ों और झाड़ियों के समूह होते हैं जो आमतौर पर उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के तटों पर पाए जाते हैं।
- भारत में, मैंग्रोव वनस्पति 4,975 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है, जो देश के पूरे भूभाग का 0.15% है।

विशेषताएँ:

- मैंग्रोव बेहद प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहते हैं।
- मैंग्रोव पर्यावरण को मिट्टी में सीमित ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।

महत्त्व:

- मैंग्रोव तूफानों के विनाशकारी प्रभाव से बचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- ये पारिस्थितिकीय तंत्रों और जन जीवन के साधनों के विस्तारित नुकसान को कम करने के लिए प्राथमिक बाधा के रूप में काम करते हैं।
- वे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने, नीले कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र में आवश्यक जीवों को आश्रय प्रदान करने और तटीय क्षरण को रोकने में सहायता करते हैं।
- मैंग्रोव रनऑफ से पोषक तत्वों को अवशोषित करके पानी की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए नुकसान को रोकने में सहायक होते हैं।

मैंग्रोव वनों का नुकसान:

- इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने कहा कि पिछले पचास वर्षों में दुनिया के 50% मैंग्रोव वन गायब हो गए हैं।
- तटीय क्षेत्रों का व्यावसायीकरण से संवेदनशील पेड़ों और उनके द्वारा समर्थित पारिस्थितिक तंत्रों को तेजी से बदल रहा है।
- झींगा की खेती में वृद्धि से ही कुल नुकसान का कम से कम 35% नुकसान हुआ है।
- जहां मैंग्रोव उगते हैं वहां की मिट्टी में ऑक्सीजन की भारी कमी इन पौधों के लिए एक बड़ी बाधा प्रस्तुत करती है।
- मानव अवसंरचना की उन्नति एक बाधा बन गई है जो मैंग्रोव वनों के संभावित प्रवास को बाधित करती है।
- तटीय पारिस्थितिकी तंत्र मैंग्रोव की उपस्थिति पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जो इसे बनाए रखने और संरक्षित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राकृतिक या मानवीय गतिविधियों के परिणामस्वरूप किसी भी क्षतिग्रस्त वनस्पति को बदलने के लिए रोपण पहल करना महत्त्वपूर्ण है।

आगे की राह:

मैंग्रोव को प्रभावी ढंग से संरक्षित करने के लिए स्थानीय समुदाय को

सम्मिलित करने, पर्यावरण सुरक्षा और प्राकृतिक आपदा जोखिम को ध्यान में रखने वाली एक संपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। नए द्वीप या तटरेखा बनाने के बजाय, वर्तमान मैंग्रोव आवासों को पुनर्स्थापित करना एक बेहतर तरीका है। मौजूदा मैंग्रोव कवरेज की रक्षा करके, कार्बन प्रच्छादन को बनाए रखने की अधिक संभावना है।

4 आंध्र प्रदेश में 15 दुर्लभ पृथ्वी के तत्वों की खोज की गई

चर्चा में क्यों?

जम्मू और कश्मीर में लिथियम भंडार के बाद, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 15 दुर्लभ पृथ्वी के तत्वों (REE) के बड़े भंडार पाए गए। ये तत्व हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान (NGRI) द्वारा खोजे गए हैं। इन्हें गैर-पारंपरिक चट्टानों जैसे साइनाइट्स से सफलतापूर्वक पहचाना गया। जिन प्रमुख आरईई की पहचान की गई उनमें एलानाइट, सेरीएट, थोराइट, कोलम्बाइट, टैंटेलाइट, एपेटाइट, जिरकोन, मोनाजाइट, पाइरोक्लोर, यूक्सेनाइट और फ्लोराइट हैं।

दुर्लभ-पृथ्वी तत्व (Rarest Earth Elements) :

दुर्लभ पृथ्वी के तत्व सत्रह रासायनिक तत्वों का एक समूह है जो आवर्त सारणी में एक साथ होते हैं। इस समूह में येट्रियम, स्कैंडियम और 15 लैंथेनाइड तत्व होते हैं। स्कैंडियम और येट्रियम को दुर्लभ-पृथ्वी का तत्व माना जाता है, क्योंकि वे लैंथेनाइड्स के समान अयस्क में जमा होते हैं और समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं जिनके विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और चुंबकीय गुण होते हैं।

महत्त्व:

- वर्तमान समाज की जरूरतों को पूरा करने और विविध तकनीकों के उपयोग के कारण ये रणनीतिक रूप से बहुत महत्त्वपूर्ण हैं।
- आरईई का व्यापक रूप से उच्च प्रौद्योगिकी में इसके ल्यूमिनसेंट और उत्प्रेरक गुणों के कारण उपयोग किया जाता है। जैसे- लेजर, मैग्नेट, बैटरी, फाइबर-ऑप्टिक दूरसंचार केबल आदि।
- ये तत्व सेल फोन, टीवी, कंप्यूटर और कारों सहित उपभोक्ता तथा औद्योगिक अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला में पाए जाने वाले महत्त्वपूर्ण घटक हैं। ये अक्षय ऊर्जा, विमान, रक्षा और चुम्बकों के उत्पादन में भी सहायक हैं।

आगे की राह:

अगले दशक में ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा-कुशल व्यवस्था और उत्प्रेरकों की वैश्विक मांग में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है। आरईई इन प्रौद्योगिकियों/उद्योगों के भविष्य के लिए एक महत्त्वपूर्ण कच्चा माल है। रिचार्जेबल बैटरी की मांग में वृद्धि के कारण रेयर अर्थ मैग्नेट की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। चिकित्सा प्रौद्योगिकी में नए विकास से सर्जिकल लेजरों, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग और पॉजिट्रॉन उत्सर्जन टोमोग्राफी सिंटिलेशन डिटेक्टरों के उपयोग में वृद्धि होने की उम्मीद है। भविष्य में सैन्य और नौसेना के शस्त्रागार बेहतर दक्षता तथा हैंडलिंग के लिए आरईई का उपयोग कर सकते हैं।

5 भविष्य में दलदलीय नमक क्षेत्र के नष्ट होने की संभावना

चर्चा में क्यों?

साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि से जल्द ही दुनिया के 90% से अधिक नमक दलदलीय क्षेत्र (Salt Marshes) को नष्ट कर देगी। वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण इस सदी के अंत तक दलदल नमक क्षेत्र डूबने से कम हो जाएगा। दुनिया भर में नमक के दलदलीय क्षेत्र समुद्र के तटीय क्षेत्रों में पाये जाते हैं जिसमें समुद्र के स्तर में वृद्धि तथा मानवजनित गतिविधियों से इनकी गतिशीलता बाधित होती है।

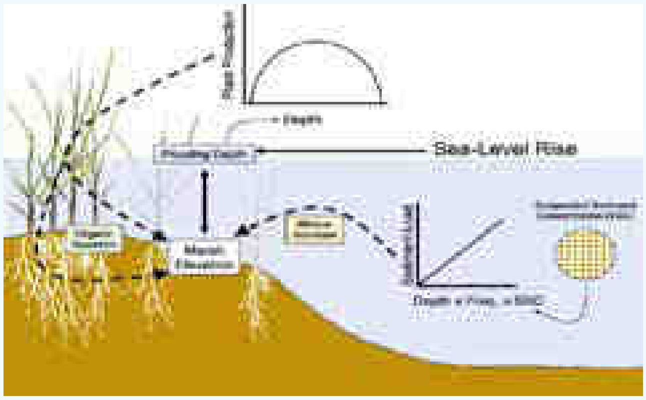

वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि:

- आईपीसीसी की छठी आंकलन रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक समुद्र स्तर 1970 से तेजी से बढ़ रहा है। यह तटीय समुदायों पर पर्याप्त प्रभाव डालता है, जिसमें दुनिया भर में 1960 के दशक के बाद से तटीय बाढ़ में वृद्धि लगभग दोगुनी हो गई है।

नमक दलदलीय क्षेत्र (Salt Marshes) क्या हैं:

- साल्ट मार्शेस तटीय आर्द्रभूमि वाले क्षेत्र हैं, जो ज्वार द्वारा लाए गए खारे पानी से भर जाते हैं। ये दलदली हैं क्योंकि इनकी जमीन मैला तलछट और सड़ने वाले पौधों से बनी है। नमक दलदलीय क्षेत्र, मध्य से उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र में इनकी भूमिका:

साल्ट मार्शेस पर्यावरण स्थिरीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और निम्नलिखित प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र में सेवाओं की आपूर्ति करते हैं:

- तरंग गति को बफर करके और तलछट को बनाए रखकर, तटरेखाओं को अपरदन से बचा सकते हैं।
- तूफान के दौरान, नमक दलदलीय क्षेत्र बाढ़ के पानी को अवशोषित कर लेता है। एक एकड़ साल्ट मार्शेस 1.5 मिलियन गैलन बाढ़ के पानी को अवशोषित कर सकता है।
- बहते पानी को छानकर और अतिरिक्त पोषक तत्वों को मेटाबोलाइज (Metabolize) करके पानी की गुणवत्ता को सुरक्षित रख सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रदूषकों को छानकर, दलदल सीप की चट्टानों और समुद्री घास की मदद से इन्हें जीवित रख सकते हैं।

- ये ब्लू कार्बन (दुनिया के महासागर और तटीय पारिस्थितिक तंत्र द्वारा कब्जा कर लिया गया कार्बन) को अनुक्रमित और संग्रहीत करते हैं। नमक दलदल और तटीय आर्द्रभूमि परिपक्व उष्णकटिबंधीय वनों की तुलना में 10 गुना अधिक दर पर कार्बन को अलग संग्रहीत करते हैं। इस प्रकार वे वैश्विक जलवायु परिवर्तन के समाधान का एक अनिवार्य हिस्सा हैं।

भारत में नमक दलदलीय क्षेत्र:

भारत में नमक दलदल का कुल क्षेत्रफल लगभग 290 वर्ग किलोमीटर होने का अनुमान है। भारतीय तट के साथ, 14 विभिन्न नमक दलदली प्रजातियाँ पाई जाती हैं। लक्षद्वीप में नमक दलदल का सबसे अधिक घनत्व पाया गया, जिसके बाद तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात का स्थान है।

आगे की राह:

समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए नमक के दलदल का संरक्षण महत्त्वपूर्ण है। भारत में यूएनडीपी कार्यक्रम के तहत नमक दलदलीय क्षेत्र को संरक्षित किया जा रहा है, जिसका शीर्षक है 'भारत के तटीय समुदायों के जलवायु लचीलेपन में वृद्धि'। यह ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा वित्त पोषित है। इंटरनेशनल ब्लू कार्बन इनिशिएटिव तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण तथा बहाली के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को कम करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

6 राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 जारी किया है। इसे नई दिल्ली में राज्यों और राज्य की आरपीएम (समीक्षा, योजना और निगरानी) बैठक के दौरान जारी किया गया है।

राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) 2021-22:

- इसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) द्वारा एलायंस फॉर एन एनर्जी-एफिशिएंट इकोनॉमी (AEEE) के सहयोग से स्थापित किया गया है।
- एसईईआई 2021-22 में राष्ट्रीय लक्ष्यों से जुड़े 50 संकेतकों का एक अद्यतन ढांचा है। इस वर्ष राज्य स्तरीय ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों में कुछ विशिष्ट संकेतक जोड़े गए हैं।

राज्यवार प्रदर्शन:

- **फ्रंट रनर श्रेणी:** एसईईआई 2021-22 में 5 राज्यों को (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना) फ्रंट रनर श्रेणी (>60 अंक) में रखा गया है।
- **अचीवर श्रेणी (50-60 अंक):** 4 राज्यों को (असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब) अचीवर श्रेणी (50-60 अंक) में रखा गया है।
- **शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य:** कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और चंडीगढ़ अपने समूह में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पिछले सूचकांक के बाद से अधिक सुधार आया है।

लक्ष्य और उद्देश्य:

यह ऊर्जा दक्षता में परिवर्तन लाने में सरकार की सहायता के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता है जो SDGs और NDC की उपलब्धि में योगदान देगा-

- यह प्राथमिकता वाले उद्योगों में ऊर्जा दक्षता के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है।
- यह ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन में बढ़ती आवश्यकताओं और समस्याओं को संभालने के लिए राज्य तथा क्षेत्रीय संस्थागत क्षमता में वृद्धि करता है।
- यह राज्यव्यापी ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन में वित्तीय संस्थानों, ऊर्जा सेवा फर्मों और ऊर्जा विशेषज्ञों के बीच क्रॉस-फंक्शनल इंटरैक्शन में सुधार करता है।
- यह सभी उद्योगों में ऊर्जा डेटा रिपोर्टिंग और निगरानी का एकीकरण करता है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो:

- 2001 के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के बाद, इसकी स्थापना 1 मार्च, 2002 को की गई थी।
- बीईई का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ ऊर्जा दक्षता नीतियों के विकास में सहायता करना है।
- 2001 के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अनुसार, बीईई विनियामक कार्यों का प्रभारी है और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए यह मौजूदा संसाधनों तथा बुनियादी ढांचे को नियोजित करता है।
- बीईई ऊर्जा बचत उपायों के कार्यान्वयन में सुधार के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग करता है।
- ऊर्जा दक्षता पर बीईई भारत को अपने जलवायु संबंधी वादों को पूरा करने और एक सतत भविष्य सुनिश्चित करने में मदद करता है।

एलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी (AEEE) के बारे में:

- एलायंस फॉर एन एनर्जी-एफिशिएंट इकोनॉमी (AEEE) भारत में एक महत्त्वपूर्ण समूह है जो एक संसाधन के रूप में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देता है।
- AEEE एक गैर-लाभकारी ऊर्जा दक्षता बाजार सुविधाप्रदाता है जो नीति कार्यान्वयन को सुगम बनाता है।
- यह साक्ष्य-आधारित, डेटा-संचालित ऊर्जा दक्षता नीति और शोध प्रदान करता है।

आगे की राह:

यह राज्य और स्थानीय स्तर पर ऊर्जा दक्षता नीतियों तथा कार्यक्रमों को चलाने में प्रगति करेगा। राज्यों के ऊर्जा पदचिह्न का प्रबंधन करेगा और उपभोक्ताओं को बीईई के तहत ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करेगा। यह सेवाओं को कम किए बिना उपकरणों की ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करेगा।

7 विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी (IRENA) द्वारा जारी वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण के लिए अधिक आक्रामक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। यह रिपोर्ट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के स्तर का वर्णन करता है और उन कठिनाईयों पर प्रकाश डालता है, जिन्हें पेरिस समझौते में निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दूर किया जाना चाहिए था।

विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक का उद्देश्य:

- यह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और उपलब्ध तकनीकों पर आधारित कार्यवाहियों को निर्धारित करता है जिन्हें 2030 तक प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि शताब्दी के मध्य तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त किया जा सके।
- यह अब तक के सभी ऊर्जा उपयोग में हुई प्रगति का भी जायजा लेता है, जो दर्शाता है कि नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित परिवर्तन की वर्तमान गति और पैमाना क्या है?
- यह उन दो क्षेत्रों का गहराई से विश्लेषण करता है जो विशेष रूप से अंतिम उपयोग क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन के लिए प्रासंगिक हैं जैसे-विद्युतीकरण और बायोएनर्जी।
- यह 1.5 डिग्री सेल्सियस (पेरिस समझौते के तहत) के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की भी जाँच करता है और स्वच्छ ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच की दिशा में प्रगति का मार्ग प्रदान करता है।

रिपोर्ट के बारे में:

- वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य से कम होने के कारण 'ऑफ ट्रैक' बना हुआ है।
- 1.5°C लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्रति वर्ष 1,000 GW की दर से नियोजन स्तर को लगभग 3,000 (GW) से बढ़ाकर 2030 में 10,000 GW से अधिक करना होगा।
- समान रूप से निवेश को राष्ट्रों तक पहुंचाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक है।
- ऊर्जा परिवर्तन प्रौद्योगिकियों में वैश्विक निवेश 2022 में $1.3 ट्रिलियन के एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया, 1.5 डिग्री सेल्सियस मार्ग पर बने रहने के लिए वार्षिक निवेश को चार गुना से अधिक $5 ट्रिलियन करने की आवश्कता है।
- 2030 तक, कुल निवेश का 80 प्रतिशत या $35 ट्रिलियन का प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रांजिशन तकनीकों के साथ संचयी निवेश 44 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होना चाहिए जिससे दक्षता, विद्युतीकरण, ग्रिड विस्तार और लचीलेपन को प्राथमिकता मिले।
- रिपोर्ट में दो प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें COVID-19 महामारी तथा यूक्रेन संकट के समय में ऊर्जा परिवर्तन का सामना करने वाली चुनौतियों को जटिल बना दिया है और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को धीमा कर दिया है। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 2022 में अफ्रीका में अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का केवल 1% हिस्सा होने की उम्मीद है, जो इस क्षेत्र में अधिक निवेश की आवश्यकता को दर्शाता है।

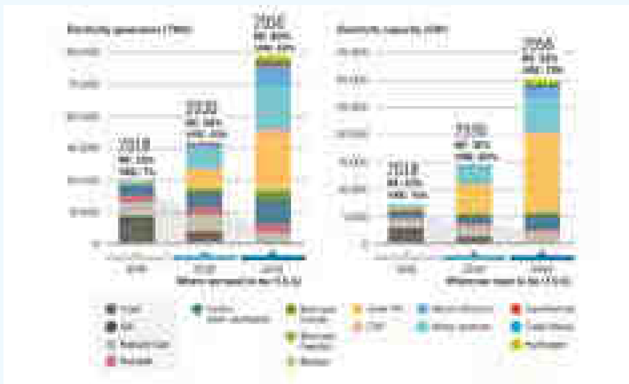

IRENA के बारे में:

- अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों को एक स्थायी ऊर्जा भविष्य के लिए उनके संक्रमण में सहायता करता है।
- इसकी आधिकारिक तौर पर स्थापना 26 जनवरी, 2009 को बॉन (जर्मनी) में हुई थी।
- इसका मुख्यालय अबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात) में है जिसमें 167 सदस्य देशों के साथ-साथ यूरोपीय संघ भी शामिल है।
- भारत 2009 में इस संगठन का 77वां संस्थापक सदस्य बना जो एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक भी है।

आगे की राह:

वर्तमान ऊर्जा संकट को कम करने के लिए अल्पकालिक पहलों को मध्य और दीर्घकालिक ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों पर दृढ़ता से जोर देना चाहिए। सरकार कई मुद्दों पर जोर दे रही है जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक सुधार, लोगों और कंपनियों के लिए ऊर्जा लागत की सामर्थ्यता आदि शामिल है। यह एक व्यापक वैश्विक नीति ढांचा है जो नकदी, क्षमता और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी सदस्य देशों को एक साथ ला सकता है।

1 अपवर्ड लाइटनिंग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, ब्राजील के शोधकर्ताओं ने बहुत हाई रिजॉल्यूशन पर उच्च गति वाले वीडियो कैमरा के साथ अपवर्ड लाइटनिंग या अपवर्ड फ्लैश की तस्वीरें लेने में सफलता प्राप्त की।

अपवर्ड लाइटनिंग (Upward Lightning) की घटना:

- यह एक ऐसी घटना है जिसमें एक लंबी वस्तु से एक स्व-आरंभित बिजली की लाइन विकसित होती है जो विद्युतीकृत तूफानी बादल की ओर यात्रा करती है, जोकि एक सामान्य प्रक्रिया के विपरीत होता है।
- ऐसा होने के लिए, झंझावात लाइटनिंग और इसके परिणामस्वरूप क्लाउड चार्ज क्षेत्र की उपस्थिति समर्थकारी कारक हैं।
- एक लंबी वस्तु का ऊर्ध्वाधर उन्नयन जमीन पर स्थानीय रूप से विद्युत क्षेत्र को बल देता है, जिसके परिणामस्वरूप एक लंबी वस्तु से ऊपर की ओर लाइन (जिसे सीढ़ी कहा जाता है) की शुरुआत के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं।
- यह निकटवर्ती बिजली चमकने से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र परिवर्तन की प्रतिक्रिया में भी विकसित हो सकता है।

प्रक्रिया: स्टेप्ड लीडर ट्रिगर

- यह प्रक्रिया स्टेप्ड लीडर (अनिवार्य रूप से ऋणात्मक आवेश का एक चैनल है जो बादल से एक टेढ़ी मेढ़ी पैटर्न में नीचे की ओर यात्रा करता है, जो मानव आंखों के लिए लगभग अदृश्य है) के विकास से शुरू होती है।
- स्टेप्ड लीडर एक मिलीसेकंड में जमीन की यात्रा करता है, जिससे जमीन पर धनात्मक आवेश की तीव्रता बढ़ जाती है।
- जैसे-जैसे स्टेप्ड लीडर की लाइन जमीन की ओर बढ़ती जाती हैं, लीडर टिप्स और जमीन पर ऊँची वस्तुओं के शीर्ष के बीच विद्युत आवेश बढ़ता रहता है।
- समय के साथ, ये बल इन ऊंची इमारतों या टावरों के ऊपर की हवा को आयनित कर देते हैं जिससे ये अधिक प्रवाहकीय हो जाते हैं।
- नेगेटिव चार्ज के बार-बार जमीन की ओर बढ़ने से ऊंची वस्तुओं के ठीक ऊपर हवा का चैनल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जो ऊपर की ओर स्ट्रीक करना शुरू कर देता है जिसे अपवर्ड स्ट्रीमर कहते हैं।
- नियत समय में नकारात्मक रूप से आवेशित नीचे की ओर बढ़ने वाला लीडर, विकसित हो रहे धनात्मक रूप से ऊपर की ओर प्रवाहित होने वाले स्ट्रीमरों में से एक के साथ संपर्क बनाता है।
- अपवर्ड लाइटनिंग की तीव्रता और अवधि आमतौर पर Downward लाइटनिंग की तुलना में कम होती है।
- झंझावातों के दौरान इसकी घटना की आवृत्ति भी अधिक होती है।

शामिल जोखिम:

- अपवर्ड लाइटनिंग गिरने से इमारत और टावर जैसी संरचनाओं को नुकसान पहुंच सकता है।
- यह विमानन के लिए भी जोखिम पैदा कर सकता है, विशेष रूप से उन विमानों के लिए जो गरज के समय ऊंचे आसमानों के पास उड़ते हैं।
- इससे संचार और नेविगेशन प्रणालियों को प्रभावित करने वाले विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप भी हो सकते हैं।

सुरक्षा उपाय:

- अपवर्ड लाइटनिंग गिरने से बचाने के लिए विद्युत आवेश को नष्ट करने के लिए लंबी संरचनाओं पर बिजली की छड़ें और अन्य ग्राउंडिंग सिस्टम स्थापित किए जा सकते हैं।
- Downward लाइटनिंग गिरने के लिए, गरज के समय घर के अंदर आश्रय लेने और बाहरी गतिविधियों से बचने की सिफारिश की जाती है।

आगे की राह:

वर्तमान निष्कर्ष अपवर्ड लाइटनिंग गिरने की घटना में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसका उपयोग संभावित नुकसान के खिलाफ बेहतर तैयारी के लिए किया जा सकता है।

2 इसरो के LVM-3 ने सफलतापूर्वक 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने लगातार 6वीं बार अपना सबसे भारी रॉकेट एलवीएम-3 से अपने दूसरे व्यावसायिक प्रक्षेपण में 36 वनवेब उपग्रहों को कक्षा (Orbit) में स्थापित किया।

इसरो के LVM-3 मिशन के बारे में:

- LVM-3 (लॉन्च व्हीकल मार्क) भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, जो पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में 17,600 पाउंड (8000 किलोग्राम) पेलोड पहुंचाने में सक्षम है।
- NSIL (अंतरिक्ष विभाग के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम) ने 2 चरणों में 72 उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए OneWeb के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे।
- अक्टूबर 2022 में एलवीएम3-एम2/वनवेब इंडिया-1 मिशन में 36 उपग्रहों के साथ पहला चरण लॉन्च किया गया था।
- यह दूसरा वनवेब फ्लीट है जिसे इसरो ने लॉन्च किया है।

वनवेब तारामंडल (Constellation) क्या है?

- वनवेब एक वैश्विक संचार नेटवर्क है, जो अंतरिक्ष से संचालित है। यह सरकारों, व्यवसायों और समुदायों के लिए कनेक्टिविटी को सक्षम बनाता है।
- यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के साथ साझेदारी में ब्रिटेन स्थित वनवेब और इसरो के बीच सहयोग है।
- वनवेब तारामंडल एक LEO ध्रुवीय कक्षा में संचालित होता है, जिसमें 49 उपग्रहों के 12 रिंगों में स्थित 588 सक्रिय उपग्रहों का एक नेटवर्क है, जो 109 मिनट में पृथ्वी के चारों ओर एक पूर्ण

यात्रा पूरी करता है।

- कक्षीय तल ध्रुव (87°) के पास झुके हुए हैं।

महत्त्व:

- यह नेटवर्क हाई-स्पीड, लो-लेटेंसी कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जिससे दुनिया को इंटरनेट का उपयोग करने और एक-दूसरे से जुड़ने में मदद मिल सकती है।
- यह समूह न केवल उद्यमों बल्कि कस्बों, गांवों, नगर पालिकाओं और स्कूलों के लिए भी सुरक्षित समाधान लाएगा, जिसमें देश भर के सबसे कठिन पहुंच वाले क्षेत्र भी शामिल हैं।
- **मापनीयता-** बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष आधारित ब्रॉडबैंड सिस्टम को तेजी से और आसानी से बढ़ाया जा सकता है, जो उन क्षेत्रों में आवश्यक है जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है या आपदा के कारण मांग में अचानक वृद्धि हुई है।
- यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) उपकरणों की बढ़ती संख्या का भी समर्थन करेगा और मशीन-से-मशीन संचार को सक्षम बनायेगा।

आगे की राह:

वनवेब तारामंडल विश्व से जुड़ाव और संचार तरीके को बदलने की क्षमता रखता है। समय की मांग है कि ब्रॉडबैंड सिस्टम को पोषित किया जाए जो दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं को उच्च गति और विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु एक आशाजनक समाधान प्रदान करता है।

3 नया यौगिक कालाजार संक्रमण के इलाज हेतु विकसित

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कोलकाता स्थित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस (IACS) के शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला में विकसित चूहों के लीशमैनिया डोनोवानी (काला बुखार) को तेजी से कम करने में प्रभावी होने के लिए एक नोवेल क्विनोलिन व्युत्पन्न विकसित किया है जो औषधीय रसायन विज्ञान के जर्नल में प्रकाशित हुआ था।

क्विनोलिन (Quinoline) का प्रभाव:

- क्विनोलिन व्युत्पन्न, टोपोइजोमेरेज 1 (LdTop1) नामक एंजाइम का प्रबल अवरोधक है।
- यह एंजाइम परजीवियों में डीएनए संरचना के रखरखाव के लिए आवश्यक है जो मनुष्यों में पाए जाने वाले एंजाइम से अलग है।
- LdTop1 की विषाक्तता सैंडफ्लाई वैक्टर (प्रोमास्टिगोट्स) के आंत में पाए जाने वाले लीशमैनिया परजीवी के साथ-साथ संक्रमित मनुष्यों (एमास्टिगोट्स) में पाए जाने वाले रूप में साइटोटॉक्सिसिटी का एक महत्त्वपूर्ण स्तर प्रदान कर सकती है। यह साइटोटॉक्सिसिटी कालाजार को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- यह मानव और चूहों के होस्ट (Host) कोशिकाओं के लिए किसी भी घातकता को प्रेरित नहीं करती है।

कालाजार रोग-लीशमैनियासिस के बारे में:

- कालाजार एक वेक्टर-जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है जो जीनस लीशमैनिया के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है।
- यह संक्रमित मादा सैंडफ्लाई के काटने से फैलता है।
- ज्यादातर मामलों में, एक व्यक्ति जो परजीवी से संक्रमित होता है, उसमें संक्रमण के लक्षण नहीं होते हैं।
- हालांकि कुछ 20 अलग-अलग परजीवी हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं, लीशमैनियासिस के केवल तीन अलग-अलग प्रकार हैं:
  - **विसेरल लीशमैनियासिस-** यह कई अंगों को प्रभावित करता है जो रोग का सबसे गंभीर रूप है।
  - **त्वचीय लीशमैनियासिस-** यह त्वचा के घावों का कारण बनता है जो सबसे आम रूप है।
  - **म्यूकोक्यूटेनियस लीशमैनियासिस-** यह त्वचा और म्यूकोसल घावों का कारण बनता है।
- विसेरल लीशमैनियासिस, जिसे आमतौर पर भारत में कालाजार के रूप में जाना जाता है, 95% से अधिक मामलों में घातक है, यदि इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए।
- यह सबसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों में से एक है जिसके लगभग 95% मामले बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, इथियोपिया, भारत, केन्या, नेपाल, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सूडान से रिपोर्ट किए जाते हैं।

आगे की राह:

क्लिनिकल लीशमैनियासिस में दवा प्रतिरोध पर काबू पाना ग्रामीण भारत में एक गंभीर चुनौती है। कालाजार के खिलाफ वर्तमान उपचार ऐसे फॉर्मूलेशन का उपयोग करता है जो जहरीले होते हैं और दवा-प्रतिरोध के उच्च स्तर को प्रेरित करते हैं। लीशमैनिया परजीवियों को लक्षित करने वाले नोवेल अवरोधक की पहचान उन्हें पुन: संयोजक लीशमैनिया टोपोइजोमेरेज 1 एंजाइम के खिलाफ स्क्रीनिंग करके की गई थी जो कालाजार को कम कर सकेगा।

4 टेम्पो उपकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने नासा के एक नए उपकरण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया जो उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषण को ट्रैक कर सकता है।

टेम्पो उपकरण के बारे में:

- टेम्पो (Tropospheric Emissions Monitoring of Pollution) नासा का एक उपकरण है जो अंतरिक्ष से उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषण को ट्रैक कर सकता है। यह वैज्ञानिकों को वायु प्रदूषकों और उनके उत्सर्जन स्रोतों को निगरानी करने में मदद करेगा।
- NASA का टेम्पो वाणिज्यिक Intelsat 40e संचार उपग्रह पर एक होस्टेड पेलोड है जो उत्तरी अमेरिका के ऊपर भूस्थैतिक कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा।
- यह वायुमंडलीय प्रदूषण को 4 वर्ग मील या पड़ोस के स्तर (Neighbourhood level) के स्थानिक विभेदन तक मापने में सक्षम होगा।
- टेम्पो में विभिन्न प्रदूषकों के स्तर को मापने से लेकर वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान प्रदान करने और उत्सर्जन-नियंत्रण रणनीतियों के विकास

में मदद करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

- डेटा का उपयोग अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA), राष्ट्रीय समुद्रीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) और वायुमंडलीय प्रदूषण से निपटने के लिए जिम्मेदार अन्य एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।

भूस्थैतिक कक्षा के बारे में:

भूस्थैतिक कक्षा मौसम उपग्रहों और संचार उपग्रहों के लिए एक सामान्य कक्षा है। यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा से 35,785 किमी (22,236 मील) ऊपर एक गोलाकार कक्षा है जिसमें एक उपग्रह की कक्षीय अवधि, पृथ्वी की घूर्णन अवधि 23 घंटे और 56 मिनट के बराबर होती है। इस कक्षा में एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर एक पर्यवेक्षक को आकाश में स्थिर दिखाई देता है। इस कक्षा में रखे गए टेम्पो का अर्थ है कि यह पृथ्वी के घूर्णन के अनुरूप होगा, अर्थात यह हर समय एक ही स्थान पर रहेगा।

आगे की राह:

टेम्पो मिशन केवल प्रदूषण का अध्ययन करने से कहीं अधिक है। यह पृथ्वी पर सभी के लिए जीवन को बेहतर बनाने में बहुमूल्य साबित होगा। भीड़-भाड़ वाले ट्रैफिक से लेकर जंगल की आग तथा ज्वालामुखियों से प्रदूषण तक हर चीज के प्रभावों की निगरानी करके, नासा डेटा पूरे उत्तरी अमेरिका में हवा की गुणवत्ता में सुधार करने और हमारे ग्रह की रक्षा करने में मदद करेगा। टेम्पो द्वारा ट्रैक किए गए प्रदूषकों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होंगे जो जीवाश्म ईंधन, फॉर्मलाडिहाइड और ओजोन के दहन से उत्पन्न होते हैं। लोगों को उनके स्थानीय क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की जानकारी की निगरानी के लिए डेटा ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।

5 पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार जर्नल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री लेटर्स में प्रकाशित एक नए शोध में तरल पदार्थों में पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव की पहचान की है। अभी तक यह प्रभाव सिर्फ ठोस पदार्थों में ही देखा गया था।

पीजोइलेक्ट्रिक (Piezoelectric) प्रभाव क्या है?

- यह एक ऐसा प्रभाव है जिसके कारण शरीर को संकुचित करने पर उसमें विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है। अर्थात जब किसी वस्तु पर यांत्रिक तनाव लगाया जाता है, तो उसके अणुओं के बीच घर्षण से कम मात्रा में वोल्टेज उत्पन्न होता है।
- यह घटना 143 वर्षों से ज्ञात है और क्वाट्र्ज सबसे अधिक क्रिस्टल होने पर प्रदर्शित करता है। क्वाट्र्ज सिलिकॉन डाइऑक्साइड (SiO2) है, जिसका उपयोग एनालॉग कलाई घड़ी, दीवाल घड़ियों और अन्य उपकरणों में किया जाता है जो यांत्रिक तनाव को विद्युत प्रवाह में परिवर्तित करते हैं।

यह द्रवों में क्यों नहीं देखा जाता है?

- यह प्रभाव अब तक केवल ठोस पदार्थों में ही देखा गया है, क्योंकि संकुचन के लिए शरीर को एक सुव्यवस्थित संरचना की आवश्यकता होती है। चूंकि तरल पदार्थ अपने बर्तनों का आकार ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनमें एक विशिष्ट आकार का अभाव होता है।
- इस घटना की व्याख्या करने के लिए अब तक परावैद्युत पदार्थों की विशेषताओं और हुक के नियम का उपयोग किया जाता रहा है। हुक के नियम के अनुसार, किसी वस्तु को संकुचित करने के लिए आवश्यक दबाव की मात्रा रैखिक रूप से (घातांकीय रूप से नहीं) इसे संपीड़ित करने के लिए आवश्यक बल से संबंधित होती है। जब कोई वस्तु आसानी से संकुचित नहीं होती है, तो यह कम स्पष्ट होती है।

नवीनतम अध्ययन में क्या पता चला?

- प्योर 1-ब्यूटाइल-3-मिथाइलिमिडाजोलियम बिसिमाइड और 1-हेक्सिल 3 मिथाइलिमिडाजोलियम बिसिमाइड, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिया प्रदर्शित करते हैं। ये कमरे के तापमान पर दोनों आयनिक तरल होते हैं तथा अणुओं के बजाय आयनों से बने होते हैं।
- आयनिक तरल पदार्थों में इस प्रभाव का निरीक्षण करने के लिए एक प्रकार के संगठन की आवश्यकता होती है, जो सामान्य तरल पदार्थों में नहीं देखा जाता है। इसके अलावा सामान्य और आयनिक तरल पदार्थ बहुत अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं जब उन पर विद्युत आवेश लगाया जाता है।

अनुप्रयोग:

यह अध्ययन इलेक्ट्रॉनिक्स और मेक्ट्रोनिक्स अनुप्रयोगों के द्वार खोलता है जो पहले अकल्पनीय थे। इसके अलावा, आयनिक तरल पदार्थ वर्तमान पीजोइलेक्ट्रिक सामग्रियों की तुलना में अधिक पर्यावरण के अनुकूल हैं जिन्हें पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। साथ ही, इन तरल पदार्थों ने व्युत्क्रम पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रदर्शन किया, जिसका अर्थ है कि जब एक विद्युत आवेश लगाया जाता है, तो वे विकृत हो जाते हैं।

आगे की राह:

इस खोज ने मानव जाति के कल्याण एवं पीजोइलेक्ट्रिक्स विज्ञान और सैद्धांतिक ढांचे के विकास के पुनर्विचार की आवश्यकता पर बल दिया है। भविष्य में इसके अनुप्रयोग से लाभ होने की संभावना है।

6 भारत की पहली क्लोन देसी गिर गंगा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने स्वदेशी गिर गाय की नस्ल के मादा बछड़े का पहला क्लोन तैयार किया है। बछड़े का नाम गंगा रखा गया है। यह दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास का हिस्सा है।

संस्थान के प्रयास के बारे में:

- संस्थान के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी गिर गाय की पूंछ की दैहिक कोशिका से एक मादा क्लोन बछड़ा तैयार किया है, जो गुजरात में अपनी विनम्र प्रकृति, रोग-प्रतिरोधक क्षमता, गर्मी-सहिष्णुता और उच्च दूध उत्पादन के लिए लोकप्रिय है। उन्होंने इस क्लोन के लिए तीन जानवरों का इस्तेमाल किया। ओसाइट (Oocyte) को साहीवाल नस्ल से लिया गया था, सोमेटिक सेल को गिर नस्ल से लिया गया और सरोगेट एक संकर नस्ल का इस्तेमाल किया गया। वैज्ञानिकों ने बछड़ा गंगा के उत्पादन के लिए प्रजनन क्लोनिंग विधि

का इस्तेमाल किया।

प्रजनन क्लोनिंग विधि के बारे में:

- प्रजनन प्रतिरूपण में, एक परिपक्व दैहिक कोशिका जैसे-एक त्वचा कोशिका, एक जानवर से जिसे वे कॉपी करना चाहते हैं, ले लिया जाता है। फिर दाता जानवर के दैहिक कोशिका के डीएनए को ओसाइट में स्थानांतरित किया जाता है, जिसका डीएनए युक्त नाभिक हटा दिया गया हो।
- फिर सोमैटिक सेल डीएनए ओसाइट में दो अलग-अलग तरीकों से जुड़ सकता है। पहली विधि में, वे सोमैटिक सेल के डीएनए युक्त नाभिक को एक सुई से निकालते हैं जिसे खाली अंडे (Empty egg) में इंजेक्ट किया जाता हैं। दूसरे दृष्टिकोण में, खाली अंडे के साथ संपूर्ण दैहिक कोशिका को फ्यूज करने के लिए विद्युत प्रवाह का उपयोग किया जाता है।
- दोनों प्रक्रियाओं में, अंडे को टेस्ट-ट्यूब में एक प्रारंभिक चरण के भ्रूण में विकसित करने की अनुमति दी जाती है और फिर एक वयस्क मादा पशु सरोगेट के गर्भ में प्रत्यारोपित किया जाता है।
- अंततः वयस्क मादा एक ऐसे जानवर को जन्म देती है जिसकी आनुवंशिक रचना उस जानवर के समान होती है जिसने दैहिक कोशिका का दान किया था। इस नये जानवर को क्लोन कहा जाता है।

राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (NDRI) के बारे में:

- राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (NDRI), करनाल 1956 में स्थापित भारत का एक प्रमुख डेयरी अनुसंधान संस्थान है, जिसे वर्ष 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था।
- यह 2021 से गिर और साहीवाल जैसी स्वदेशी उच्च उपज वाली गाय की नस्लों को क्लोन करने की परियोजना पर काम कर रहा है।

आगे की राह:

गिर, साहीवाल, थारपारकर और रेड सिंधी भारतीय मवेशियों की नस्लों में से हैं जो भारतीय डेयरी उद्योग के विकास के साथ-साथ दूध उत्पादन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। इन नस्लों के क्लोनिंग से स्वस्थ बछड़े पैदा करने में मदद मिल सकती है जिससे देश में दूध उत्पादन में वृद्धि हो सकती है और भारतीय डेयरी उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है।

7 रीयूजबल लांच व्हीकल टेक्नोलॉजी

चर्चा में क्यों?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज (ATR), चित्रदुर्ग (कर्नाटक) में एक रीयूजबल लांच व्हीकल (RLV) प्रणाली के लिए सटीक लैंडिंग प्रयोग का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। इस ऑपरेशन को सफल बनाने में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना का प्रमुख सहयोग रहा है।

आरएलवी परियोजना:

- इसरो के अनुसार, पंख वाले आरएलवी-टीडी परीक्षणों को रीयूजेबल लांच व्हीकल बनाने के लिए आवश्यक कोर प्रौद्योगिकियों पर शोध करने हेतु लक्षित किया गया है, जिससे अंतरिक्ष पहुंच अधिक आसान हो जायेगा।
- रीयूजेबल लांच व्हीकल- ऑटोनामस लैंडिंग (आरएलवी-एलईएक्स) इस तरह के परीक्षण का दूसरा उदाहरण है। RLV या RLV-TD (HEX) मिशन के साथ पहला परीक्षण इसरो द्वारा 23 मई, 2016 को किया गया था। संपूर्ण आरएलवी-टीडी मिशन में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे:
  - हाइपरसोनिक उड़ान (HEX)
  - ऑटोनामस लैंडिंग (LEX)
  - रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरीमेंट (REX)
  - संचालित क्रूज उड़ान।
  - इन प्रौद्योगिकियों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए स्क्रैमजेट प्रोपल्सन एक्सपेरीमेंट (SPEX)

आरएलवी क्या है?

- रीयूजेबल लांच व्हीकल वह प्रणाली है, जो कुछ या सभी घटक चरणों को पुनः उपयोग की अनुमति देता है। इसरो का आरएलवी-टीडी एक विमान जैसा दिखता है। इसमें एक नोज कैप, डबल डेल्टा विंग्स, ट्विन वर्टिकल टेल आदि शामिल होते हैं।
- भविष्य में इस वाहन को भारत के टू स्टेज टू ऑर्बिट ऑर्बिटल (TSTO) लॉन्च व्हीकल के पहले चरण के रूप में विकसित किया जाएगा।

महत्त्व:

- यह मिशन अंतरिक्ष में कम लागत वाली पहुंच को सक्षम करने के लिए पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन हेतु आवश्यक प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के उद्देश्य से हुआ है। अंतरिक्ष एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार आरएलवी का उपयोग करके प्रक्षेपण की लागत को वर्तमान लागत से लगभग 80% तक कम किया जा सकता है।
- यह संसाधनों का इष्टतम उपयोग भी सुनिश्चित करेगा और आरएलवी-ऑर्बिटल री-एंट्री (ओआरवी) वाहन के विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। यह भारत के अंतरिक्ष पर्यटन कार्यक्रम को भी लाभान्वित करेगा।
- यह अंतरिक्ष मलबे की कमी को सुनिश्चित करने के लिए विकल्प भी विकसित करेगा।
- चूंकि आरएलवी प्रौद्योगिकी प्रमुख अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में से एक है, इसलिए इसने दुनिया भर में भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी दक्षता को मजबूत किया है।
- नासा के अंतरिक्ष शटल लंबे समय से दर्जनों मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों को सफल बना रहे हैं, इसलिये रीयूजेबल लांच व्हीकल स्पेसएक्स पूरी तरह से स्टारशिप नामक एक आरएलवी सिस्टम पर भी काम कर रहा है।

आगे की राह:

RLV-LEX के सफल परीक्षण से यह पता चलता है कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसियों और अन्य संबंधित निकायों के दृढ़ तथा लगातार प्रयास सही दिशा में हैं। इससे इसरो को अपने प्रक्षेपणों की लागत कम करने में मदद मिलेगी और आगे के कार्यक्रमों में लाभ प्राप्त होगा।

आर्थिक मुद्दे

1 पीपीआई लेनदेन के लिए यूपीआई के नियमों में बदलाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने प्रीपेड भुगतान साधन (PPI) मर्चेंट लेनदेन के लिए एक इंटरचेंज शुल्क शुरू करने की घोषणा की है लेकिन यह शुल्क ग्राहकों से नहीं लिया जाएगा।

एनपीसीआई का नवीनतम सर्कुलर:

- एनपीसीआई ने एक सर्कुलर प्रकाशित किया जिसमें कहा गया है कि पीपीआई उपकरणों जैसे वॉलेट या कार्ड का उपयोग करके किए गए यूपीआई लेनदेन हेतु 1.1% इंटरचेंज चार्ज होगा। यह शुल्क 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर लागू होगा।

प्रीपेड भुगतान साधन (PPI):

- ऑनलाइन वॉलेट (जैसे पेटीएम वॉलेट, अमेजॉन पे वॉलेट, फोनपे वॉलेट) और प्रीपेड उपहार कार्ड पीपीआई के उदाहरण हैं। यूपीआई पर किया गया PPI भुगतान, UPI QR कोड का उपयोग करके ऐसे वॉलेट के माध्यम से किए गए लेन-देन को संदर्भित करता है।
- एनपीसीआई द्वारा कार्यान्वित वर्तमान इंटरचेंज शुल्क केवल पीपीआई मर्चेंट लेनदेन के लिए लागू होती है और उपभोक्ताओं के लिए कोई शुल्क नहीं है। इसके अलावा, एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते पर आधारित यूपीआई भुगतान (यानी सामान्य यूपीआई भुगतान) के लिए कोई शुल्क नहीं है।
- एनपीसीआई के अनुसार, यूपीआई लेनदेन का प्राथमिक उद्देश्य भुगतान करने के लिए किसी भी यूपीआई सक्षम ऐप में बैंक खाते को जोड़ना है, जो कुल यूपीआई लेनदेन का 99.9% से अधिक है। ये बैंक खाते ग्राहकों और व्यापारियों के लिए खुले रहेंगे।

इसका प्रभाव:

- यह कार्य बैंकों द्वारा किए गए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए किया जाता है, जब बैंक खातों से बड़ी मात्रा में धनराशि भुगतान वॉलेट में स्थानांतरित की जाती है। इसमें केवल 2000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर शुल्क लिया जाएगा, इसलिए छोटे व्यापारियों जैसे कि साइड रोड स्टॉल या खुदरा दुकानें इससे प्रभावित नहीं होंगी। इससे पीपीआई विधियों की अंतर-संचालनीयता भी बढ़ेगी। यह कदम डिजिटल यूपीआई आधारित भुगतान लेनदेन को तेज और सुगम बनाने के लिए है।
- जैसा कि एनपीसीआई द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सामान्य यूपीआई लेनदेन के लिए ग्राहकों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम:

- यह एक संगठन है जिसे 2008 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-8 के तहत गैर लाभकारी निगम के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय मुम्बई में स्थित है।
- यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत RBI और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) की एक पहल है, जो भौतिक और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तथा निपटान प्रणालियों के लिए भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली हेतु बुनियादी ढाँचा प्रदान करता है।

आगे की राह:

इस नवीनतम कदम से बड़े पीपीआई संगठनों पर असर पड़ने की संभावना है, इसलिए ग्राहकों पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। अतः सरकार को चाहिए कि सभी पक्षों से राय ले एवं व्यवस्था को सुचारू बनाने हेतु कार्य करें।

2 राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत की स्वतंत्र ऑडिट वॉचडॉग संस्था, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने राजस्व के मापन के संबंध में भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के गैर-अनुपालन के लिए 'एक बड़ी सूचीबद्ध फर्म' को तलब किया है।

गैर-अनुपालन का मुद्दा:

- प्राधिकरण ने माना कि ये फर्में ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व और उचित मूल्य पर व्यापार प्राप्तियों का लेखा-जोखा जारी रखती हैं, लेकिन इंड एएस के लिए उन्हें लेनदेन मूल्य पर मान्यता देना आवश्यक है।
- भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) भारत में उद्यमों द्वारा अपनाया गया लेखा मानक है जो लेखा मानक बोर्ड (1977) द्वारा प्रशासित है जिसे इंड एएस कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-133 के तहत पंजीकृत किया गया है।
- हालांकि उचित मूल्य को उस मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी विशेष दिन बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त होता है या एक दायित्व को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है।
- दूसरी ओर, चूंकि वास्तविक लेन-देन बाद में होता है, इसलिए लेन-देन का मूल्य, उचित मूल्य से भिन्न हो सकता है।
- गवर्निंग अथॉरिटी की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, कई व्यवसाय अपनी लेखा प्रक्रियाओं में गलत तरीके से दावा करते हैं। व्यापार प्राप्तियों को पहले उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जो कि इंड एएस नियमों के विरुद्ध है।
- व्यापार प्राप्य वित्तीय संपत्ति हैं, जो माप आवश्यकताओं के दायरे में आती हैं।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण:

- भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-132(1) के तहत 2018 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (मुख्यालय-नई दिल्ली) की स्थापना की। यह लेखापरीक्षा के लिए एक नियामक निकाय है। यह विभिन्न व्यावसायिक योजनाओं में कथित विफलताओं में लेखापरीक्षकों की भूमिकाओं की स्वीकृति के जवाब में गठित किया गया था।

➤ केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रतिष्ठित व्यक्ति अध्यक्ष होता है जो अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, वित्त या कानून में विशेषज्ञता रखता हो। निकाय संरचना में 15 सदस्यों से अधिक नहीं होना चाहिए।
➤ यह समिति केंद्र सरकार को लेखांकन और लेखापरीक्षा नियमों तथा मानकों पर सिफारिशें करती है जिनका निगमों को पालन करना चाहिए। यह विभिन्न प्रकार की फर्मों और कॉर्पोरेट संगठनों की जाँच भी कर सकता है जिन्हें जनहित संस्थाओं के रूप में जाना जाता है।
➤ इसके खाते की निगरानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा की जाती है।

आगे की राह:

इस प्राधिकरण ने लेखांकन मानकों और लेखापरीक्षा मानकों की निगरानी तथा सख्त अनुपालन को लागू करने का कार्य किया है। इसलिए ये कार्य पेशेवरों की सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने और सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि निजी/कॉर्पोरेट निकायों द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करने का लक्ष्य होता है।

3 विदेश व्यापार नीति 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वाणिज्य, व्यापार और कपड़ा मंत्रालय ने एक नई विदेश व्यापार नीति, 2023 जारी की।

विदेश व्यापार नीति 2023 के बारे में:

➤ यह 2015-2020 तक चली विदेश व्यापार नीति का स्थान लेगी जिसको मार्च, 2023 तक विस्तारित कर दिया गया था।
➤ यह नीति 4 स्तंभों पर आधारित है:
1. छूट के लिए प्रोत्साहन।
2. निर्यातकों, राज्यों, जिलों, भारतीय मिशनों के बीच सहयोग के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन।
3. व्यापार करने में आसानी, लेन-देन की लागत में कमी तथा ई-इनिशिएटिव।
4. उभरते हुए क्षेत्र निर्यात हब के रूप में ई-कॉमर्स विकासशील जिले और स्कोमेट (स्पेशल केमिकल्स, आर्गेनिज्म, मैटिरियल, इक्विपमेंट एण्ड टेक्नॉलाजी-SCOMET) नीति को सुव्यवस्थित करना।

➤ उद्देश्य- 2022-23 में अनुमानित 760 बिलियन डॉलर से 2030 तक भारत के वस्तु और सेवाओं के निर्यात को लगभग तिगुना करके 2 ट्रिलियन डॉलर करना।

नीति की महत्त्वपूर्ण विशेषताएं:

➤ प्रोसेस री-इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन नीति एक प्रोत्साहन व्यवस्था के अतिरिक्त एक नई व्यवस्था पर जोर देती है जो प्रौद्योगिकी इंटरफेस और सहयोग के सिद्धांतों के आधार पर सुविधा प्रदान कर रही है।
➤ यह छोटी फर्मों के लिए कुछ लागत कम करता है और तेजी से मंजूरी का वादा करता है।
➤ निर्यात उत्पादन के लिए शुल्क छूट योजनाओं को अब मैन्युअल इंटरफेस की आवश्यकता को समाप्त करते हुए नियम-आधारित आईटी सिस्टम वातावरण में क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से लागू किया जाएगा।
➤ **निर्यात उत्कृष्टता के शहर (TEE)**- मौजूदा 29 शहरों के अलावा फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी नाम के चार शहरों को इसमें नामित किया गया है।
➤ पीएम मित्रा के तहत सभी टेक्सटाइल फर्म सामान्य सेवा प्रदाता के रूप में लाभ के पात्र होंगे।
➤ **कोई समाप्ति तिथि नहीं**- नई नीति की कोई समाप्ति तिथि नहीं होगी और उभरते विश्व व्यापार परिदृश्य विज्ञापन उद्योग प्रतिक्रिया के आधार पर इसमें बदलाव किया जा सकता है।
➤ **वन टाइम एमनेस्टी**- नई नीति, निर्यातकों के लिए पुराने लंबित प्राधिकरण को बंद करने और नए सिरे से शुरू करने के लिए वन टाइम एमनेस्टी स्कीम शुरू करेगी।
➤ **विकास के नए क्षेत्र**- इस नीति में 'मर्चेंटिंग ट्रेड' को इसके दायरे में शामिल किया गया है। भारत में निर्यातक दूसरे देश से सामान मंगाकर, भारत में लाये बिना उन्हें किसी तीसरे देश में भेज सकते हैं।

➤ **अग्रिम प्राधिकरण योजना**- यह वस्त्र और परिधान क्षेत्र के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है।
➤ यह जिला स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देगा जो जमीनी व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाएगा।

आगे की राह:

नई विदेश व्यापार नीति सही दिशा में एक कदम है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करती है और निर्यातकों को राहत प्रदान करती है। इस नीति का उद्देश्य भारत को वैश्विक निर्यात केंद्र बनाना है।

4 सेकेंडरी मार्केट के लिए एएसबीए जैसी सुविधा

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (ASBA) जैसी सुविधा के लिए एक फ्रेमवर्क को मंजूरी दी, जो द्वितीयक बाजार व्यापार के निवेशकों के लिए उपलब्ध होगी। सेबी ने कहा कि यह सुविधा एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) के माध्यम से द्वितीयक बाजार में व्यापार के लिए धन को अवरुद्ध (block the amount) करने पर आधारित है जो निवेशकों के साथ-साथ स्टॉक ब्रोकरों के लिए वैकल्पिक होगी।

एएसबीए के बारे में:

- एएसबीए, प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) की सदस्यता हेतु बैंक खाते में आवेदन राशि को ब्लॉक करने के लिए एक आवेदन है।
- एएसबीए बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सुविधा है जो निवेशकों को जारीकर्ता को धन हस्तांतरित करने के बजाय अपने बैंक खाते में आवेदन राशि को अवरुद्ध करके आईपीओ या राइट्स इश्यू के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है।
- एएसबीए के तहत, निवेशक का आवेदन पैसा उनके बैंक खाते में रहता है और आईपीओ आवेदन राशि के लिए धन पर केवल एक ब्लॉक बनाया जाता है।
- आवंटन प्रक्रिया पूरी होने तक यह अवरुद्ध राशि निवेशक के बैंक खाते में रहती है।
- एक बार जब निवेशक को शेयर आवंटित कर दिए जाते हैं, तो ब्लॉक जारी कर दिया जाता है और केवल आवंटित शेयरों की राशि निवेशक के खाते से काट ली जाती है।
- पब्लिक इश्यू और राइट्स इश्यू में सभी निवेशकों को अनिवार्य रूप से एएसबीए के माध्यम से आवेदन करना होता है।
- एप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (एएसबीए) को पहली बार 2008 में सेबी द्वारा पेश किया गया था।

सेबी के हालिया निर्णय:

- सेबी ने सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग हेतु एएसबीए जैसी सुविधा के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
- वर्तमान में एएसबीए केवल प्राथमिक बाजार के लिए उपलब्ध है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के बारे में:

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारत में प्रतिभूति और विनिमय का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल, 1988 में हुई तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसे वैधानिक मान्यता 30 जनवरी, 1992 को प्राप्त हुई। सेबी का मुख्य उद्देश्य शेयर बाजार में निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही, यह संस्था ट्रेडर्स और निवेशकों को किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी तथा स्कैम के खिलाफ मदद प्रदान करती है।

आगे की राह:

सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग में एएसबीए यह सुनिश्चित करेगा कि डेबिट होने तक ग्राहक अपने बचत खाते में अवरुद्ध धन पर ब्याज अर्जित कर सकें। बिचौलियों के पूल खातों से गुजरे बिना क्लियरिंग कॉर्पोरेशन (CC) के साथ सीधा समझौता होगा। इसलिए, यह सीसी को ग्राहक-स्तरीय निपटान दृश्यता प्रदान करेगा जो ग्राहकों के धन और प्रतिभूतियों के सह-मिलन के जोखिम से बचने में मदद करेगा। यह सुविधा मार्जिन और निपटान दायित्वों के लिए समान अवरुद्ध राशि के उपयोग की अनुमति देकर द्वितीयक बाजार पारिस्थितिकी तंत्र में दक्षता लाएगी।

5 प्रत्यक्ष कर संग्रह

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आयकर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि 2021-22 में प्रत्यक्ष करों के उच्चतम संग्रह के साथ महाराष्ट्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात का स्थान है।

आंकड़ों से संबंधित प्रमुख बिन्दु:

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी 2021-22 तक के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 2022-23 में 173% बढ़कर 19.7 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 2013-14 में 7.2 लाख करोड़ रुपये था।
- शुद्ध प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां 2013-14 के 6.4 लाख करोड़ रुपये से 2022-23 में 160% से अधिक बढ़कर 16.6 लाख करोड़ रुपये हो गया।
- आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 2013-14 में 6.4 लाख करोड़ रुपये से 121% बढ़कर 2021-22 में 14.1 लाख करोड़ रुपये हो गया था।
- 2021-22 में प्रत्यक्ष कर उछाल 2.5% पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक दर्ज किया गया है। डायरेक्ट-टैक्स-टू-जीडीपी अनुपात 2013-14 में 5.6% से बढ़कर 2021-22 में लगभग 6% हो गया है।
- आंकड़ों से यह भी पता चला है कि संग्रह की लागत 2013-14 में कुल संग्रह के 0.57% से घटकर 2021-22 में 0.53% हो गई है।
- 2021-22 में कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का योगदान 52.3% था, जो 2020-21 में दर्ज 46.8% से अधिक था। 2000-01 में यह 36.3% था।

- आंकड़ों से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव के कारण 2020-21 में कर वृद्धि दर लगभग 10% रह गई।

प्रत्यक्ष कर के बारे में:

- प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जो एक व्यक्ति या संगठन सीधे उस इकाई को भुगतान करता है जिसने इसे लगाया है। प्रत्यक्ष कर में आयकर, वास्तविक संपत्ति कर, व्यक्तिगत संपत्ति कर और संपत्तियों पर कर शामिल हैं, जिनमें से सभी का भुगतान एक व्यक्तिगत करदाता द्वारा सीधे सरकार को किया जाता है।

प्रत्यक्ष कर के प्रकार:

निगमित कर:

- भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के तहत भारतीय और विदेशी संगठन दोनों सरकार को कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

न्यूनतम वैकल्पिक कर:

- एमएटी प्रत्यक्ष कर कानूनों में कंपनियों द्वारा प्राप्त कर छूट को सीमित करने का एक प्रावधान है, ताकि वे सरकार को कम से कम कॉर्पोरेट कर की न्यूनतम राशि का भुगतान करें। एमएटी की शुरूआत का मुख्य कारण भारत में सभी घरेलू और विदेशी कंपनियों के लिए कराधान के न्यूनतम स्तर को सुनिश्चित करना है। मैट सरकार द्वारा जीरो टैक्स कंपनियों पर लगाया जाता है।

पूंजीगत लाभ कर:

- किसी 'पूंजीगत संपत्ति' की बिक्री से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ को 'पूंजीगत लाभ से आय' के रूप में जाना जाता है। इस तरह के पूंजीगत लाभ उस वर्ष में कर योग्य होते हैं जिसमें पूंजीगत संपत्ति का हस्तांतरण होता है जिसे कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। पूंजीगत लाभ दो प्रकार के होते हैं: अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (STCG) और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG)। केवल वे पूंजीगत संपत्तियां अल्पकालिक लाभ के लिए उत्तरदायी हैं, जो अधिग्रहण के 3 साल के भीतर बेची जाती हैं।

प्रत्यक्ष कर उछाल (Buoyancy) के बारे में:

- प्रत्यक्ष कर उछाल सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के खिलाफ व्यक्तिगत आयकर और निगम कर के संग्रह में वृद्धि को मापता है।

कर लोच (Elasticity) के बारे में:

- कर लोच का तात्पर्य कर दरों में परिवर्तन के जवाब में कर राजस्व में परिवर्तन से है। कर लोच वह स्थिति है जिस पर कर की दर में वृद्धि, कर आधार में बदलाव का कारण बनती है।

आगे की राह:

प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि और कर उछाल में वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए अच्छे सरकारी उपाय को प्रमाणित करता है। साथ ही यह दर्शाता है कि भारत का मैक्रो-इकोनॉमिक फंडामेंटल बहुत मजबूत है।

6 विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के ऋण में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रकाशित हुई एक नई रिपोर्ट के अनुसार, 2008-2021 के बीच उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (EDME) का संप्रभु ऋण 178 प्रतिशत बढ़कर 1.4 ट्रिलियन डॉलर से 3.9 ट्रिलियन डॉलर हो गया। यह ग्लोबल साउथ में बढ़ते ऋण संकट को दर्शाता है।

बढ़ते ऋण के कारण:

- ग्लोबल साउथ एक ऋण संकट से जूझ रहा है।
- कोविड-19 महामारी से धीमी गति से रिकवरी के साथ-साथ, यूक्रेन-रूस युद्ध के कारण खाद्य और ऊर्जा की उच्च कीमतों के कारण कमजोर आर्थिक विकास होना है।
- बढ़ते जलवायु प्रभावों से देशों का वित्तीय बोझ बढ़ा है। जलवायु परिवर्तन की चपेट में आने वाले देश सबसे महत्त्वपूर्ण ऋण संकट का सामना कर रहे हैं।
- मजबूत अमेरिकी डॉलर और कई ईएमडीई के लिए मूल्यह्रास वाली मुद्राओं ने समस्या को ओर बढ़ा दिया है।
- उच्च ऋण सेवा भुगतान से देशों को ऋण चुकाने के लिये अपने विदेशी भंडार के प्रमुख हिस्से को खर्च करना होता है।
- EDME को तत्काल ऋण राहत प्रदान करने से उनके ऋण भार में कमी होने के साथ, इन्हें कम कार्बन उत्सर्जन एवं सामाजिक रूप से समावेशी भविष्य को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- ऋण राहत प्रदान करने हेतु बनाए गए G20 के 'कॉमन फ्रेमवर्क' में त्रुटियाँ पहचानी गई हैं, क्योंकि यह निजी और वाणिज्यिक लेनदारों सहित सभी लेनदारों को पटल पर लाने तथा ऋण राहत को विकास एवं जलवायु लक्ष्यों से जोड़ने में विफल रहा है।

बढ़ते ऋण संकट के समाधान हेतु प्रस्तावित सुझाव:

- रिपोर्ट में कॉमन फ्रेमवर्क में सुधार पर बल देने के साथ इस मुद्दे को हल करने हेतु तीन स्तंभों को प्रस्तावित किया गया है।
- पहले स्तंभ में सार्वजनिक लेनदार जो संकटग्रस्त देश को ऋण स्थिरता में वापस लाने के लिए ऋण में महत्त्वपूर्ण कटौती करते हैं तथा विकास और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करते हैं, इसमें शामिल हैं।
- दूसरे स्तंभ में निजी और वाणिज्यिक ऋणदाता जो सार्वजनिक लेनदारों के बराबर ऋण कटौती प्रदान करते हैं, शामिल हैं।
- अंतिम स्तंभ भारत जैसे देशों के लिए है जो ऋण संकट के जोखिम में नहीं हैं। चूंकि पूंजी की लागत अधिक है तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान इन देशों को ऋण वृद्धि प्रदान कर सकते हैं।

आगे की राह:

उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था एक विकासशील राष्ट्र की अर्थव्यवस्था है जो वैश्विक बाजारों के साथ बढ़ती जा रही है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के रूप में वर्गीकृत देशों में भारत, मैक्सिको, रूस, पाकिस्तान, सऊदी अरब, चीन और ब्राजील जैसे विकसित बाजार की कुछ विशेषताएँ शामिल हैं। क्रेडिट वृद्धि एक जोखिम कम करने वाली तकनीक है जो तनावग्रस्त परिदृश्यों के तहत नुकसान को कवर करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में सुरक्षा प्रदान करती है। रिपोर्ट के

अनुसार 61 देश जो ऋण संकट के उच्च जोखिम में हैं, उन्हें 812 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। ऋण पुनर्गठन के माध्यम से लेनदार, देनदार को रियायतें प्रदान कर सकते हैं। अनुमान है कि 55 सबसे अधिक ऋणग्रस्त देशों के लिए अगले पांच वर्षों में कम से कम 30 अरब डॉलर के ऋण को निलंबित कर दिया जाना चाहिए।

7 ब्लू इकोनॉमीः समय की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ लगभग 7,517 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा साझा करता है। हिंद महासागर में भारत की अवस्थिति पूर्ण विकसित समुद्री अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी के विकास का अवसर प्रदान करती है। मछली पकड़ने के ठोस और टिकाऊ क्षेत्र का विकास नीली अर्थव्यवस्था के लिए आधारशिला प्रदान कर सकता है।

मत्स्य पालन क्षेत्र का महत्त्वः

- सोवियत एडमिरल गोर्शोकोव (अपनी पुस्तक Sea Power of the State में) के शब्दों में 'मछली पकड़ने का बेड़ा राज्य की समुद्री शक्ति का महत्त्वपूर्ण घटक है। इस बेड़े की भूमिका तेजी से बढ़ी है, जिसका सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य मानव जाति के सामने तीव्र खाद्य समस्या का समाधान सुनिश्चित करना है।'
- पूर्व में, बंदरगाह-रक्षा और माइनस्वीपिंग जैसे लड़ाकू कार्यों के लिए मछली पकड़ने वाले जहाजों का उपयोग किया जाता था।
- मत्स्य पालन उद्योग पशु प्रोटीन की सस्ती और भरपूर आपूर्ति प्रदान करता है। यह भूख और कुपोषण से निपटने का सबसे पौष्टिक तरीका है। जब कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता कम हो रही हो और खाद्यान्न की मांग क्षमता से अधिक हो, तो एक विकल्प के रूप में मछली पकड़ने के क्षेत्र का विकास महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
- मछली पकड़ने का क्षेत्र पशु प्रोटीन का सस्ता और समृद्ध स्रोत प्रदान करता है। यह भूख और कुपोषण को कम करने का सबसे स्वास्थ्यप्रद विकल्प है। इसके अलावा, यह एक महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक उद्यम भी है और 2022 में वैश्विक मछली पकड़ने के बाजार का आकार 611 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है जिसे भविष्य में 6.23% बढ़ने की उम्मीद है। यह विदेशी मुद्रा का भी एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
- प्राथमिक स्तर पर मत्स्य पालन लगभग 15 मिलियन मछुआरों और मछली-किसानों को आजीविका प्रदान करता है जो आपूर्ति मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजित करता है।
- यह तटीय पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत के लिए एक प्रमुख आधार प्रदान करता है। उदाहरण के लिए श्रीलंका और भारत के बीच व्यापक समुद्री सीमा समझौते के अभाव के कारण पाक-जलडमरूमध्य में मछली पकड़ने के क्षेत्र कम विकसित हैं।

भारत में नीली अर्थव्यवस्था के विकास में बाधाएँः

- भारत के समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र पर पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने वाले मछुआरों (Artisanal Sector) का प्रभुत्व रहा है जो गरीब व छोटे पैमाने के मछुआरे हैं तथा मशीनीकृत और मोटरयुक्त जहाज का खर्च नहीं उठा सकते। ये मछुआरे बाजार में केवल 2% समुद्री मछली पकड़ने में अपना योगदान देते हैं।
- भारतीय ईईजेड के समृद्ध संसाधनों का अभी तक दोहन नहीं हुआ है, जबकि इंडो-पैसिफिक देशों के बेहतर सुसज्जित मछली पकड़ने के बेड़े बड़ी संख्या में मत्स्य पालन करते हैं। चीन विश्व में सबसे गहरे पानी में मछली पकड़ने में अग्रणी देश है।
- प्रसंस्करण इकाईयों की कमी और मछली पकड़ने के क्षेत्र में निम्न स्तर के मूल्यवर्धन से आर्थिक प्रभाव पड़ता है।

मत्स्यन क्षेत्र की ओवरहॉलिंग (Overhauling) के लिए सुझावः

भारत के वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए मत्स्य पालन उद्योग के विकास के लिए एक दीर्घकालिक नीति की तत्काल आवश्यकता है, जिसमें निम्नलिखित निम्न क्षेत्रों पर जोर दिया जाना चाहिएः

- एक संचार लिंक और मछली का पता लगाने वाले उपकरणों को खोज कर मछली पकड़ने वाले जहाजों का मशीनीकरण और आधुनिकीकरण करना।
- प्रशीतन सुविधाओं (Refrigeration facilities) से लैस समुद्र में जाने वाले ट्रॉलरों से लैस गहरे पानी में मछली पकड़ने के बेड़े का विकास करना।
- डीडब्ल्यूएफ का बेड़ा 'मदर शिप' (Mother Ship) जिसमें सभी सुविधाएं हों।

आगे की राहः

भारत में मछली पकड़ने के क्षेत्र के विकास की संभावना बहुत अधिक है लेकिन इसके मार्ग में कई बाधाएं मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना जैसी सरकार की पहल और इंडो-श्रीलंकन फिशिंग कॉरपोरेशन की स्थापना से भारत में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। यह मिशन-सागर के उद्देश्यों को भी पूरी तरह से सफल बनाएगा।

विविध मुद्दे

1 यूरोपीय आयोग ने कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्रदान किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूरोपीय आयोग (EC) ने भारत की अनूठी कांगड़ा चाय को संरक्षित भौगोलिक संकेत (PGI) प्रदान किया है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाती है।

कांगड़ा चाय के बारे में:

- कांगड़ा चाय का इतिहास 1849 से शुरू होता है, जब बॉटैनिकल टी गार्डन के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. जेम्सन ने इस क्षेत्र को चाय की खेती के लिए आदर्श बताया।
- 19वीं सदी के मध्य से उगाई जाने वाली कांगड़ा चाय अपने अनोखे स्वाद के लिए जानी जाती है।
- यह काली और हरी चाय के रूप में उपलब्ध है।
- जहां काली चाय का स्वाद बाद में मीठा रहता है, वहीं हरी चाय में एक नाजुक वुडी (Woody) सुगंध होती है।
- कांगड़ा चाय स्वाद के मामले में दार्जिलिंग चाय की तुलना में थोड़ी हल्की होती है।
- कांगड़ा चाय के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं–
  - ऊंचाई: समुद्र तल से 900 से 1,400 मीटर ऊपर।
  - वार्षिक वर्षा: 270-350 सेमी।
- यह कांगड़ा घाटी में खेती की जाने वाली कैमेलिया साइनेंसिस प्रजाति की पत्तियों, कलियों और कोमल तनों से बनाया जाता है।
- जलवायु विशिष्ट इलाके, मिट्टी की स्थिति और कांगड़ा क्षेत्र में बर्फ से ढके पहाड़ों की ठंडक, सभी गुणवत्तापूर्ण चाय के आनंदमय कप को तैयार करने में एक भूमिका निभाते हैं।
- इसका उत्पादन पश्चिमी हिमालय की धौलाधार पर्वत श्रृंखला के ढलानों में होता है।
- भारत में कांगड़ा चाय को 2005 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। 1999 से लगातार इसके कल्टीवेशन में सुधार हुआ है।

यूरोपीय आयोग के संरक्षित जीआई टैग:

- संरक्षित भौगोलिक संकेत (PGI) प्रणाली विशिष्ट क्षेत्रीय उत्पादों की प्रतिष्ठा की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए तथा उच्च गुणवत्ता, विशिष्ट उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित करके ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास का समर्थन करने हेतु स्थापित की गई थी।
- यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संघ (EU) की कार्यकारी शाखा है। यह इसके प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करता है।
- मुख्यालय: ब्रसेल्स, बेल्जियम।

आगे की राह:

यूरोपीय आयोग द्वारा पीजीआई टैग देने से कांगड़ा चाय को ब्रांडिंग और यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा, जिससे देश के कृषि-निर्यात में वृद्धि होने की संभावना है।

2 कौशांबी महोत्सव-2023

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में 'कौशांबी महोत्सव-2023' का उद्घाटन किया तथा 'संसद खेल स्पर्धा' के विजेताओं को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर कौशांबी की महान स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा भाभी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

कौशांबी का महत्त्व:

- कौशांबी भगवान बुद्ध और महावीर के काल में 16 जनपदों में वत्स जनपद की राजधानी हुआ करती थी। उस समय मगध जैसे अनेक बड़े जनपदों का विकास होते हुए भी कौशाम्बी को सबसे समृद्ध माना जाता था।
- भगवान श्री राम और कलिंग चक्रवर्ती सम्राट अशोक, विजय प्राप्त करने के बाद इस समृद्ध स्थान पर आए थे।
- दुर्गा भाभी ने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी। वह नौजवान भारत सभा की सक्रिय सदस्या थीं।
- इन्होंने भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव के फांसी की सजा का बदला लेने हेतु अक्टूबर, 1930 में ब्रिटिश सार्जेंट पर गोली चलाया था।

कौशांबी महोत्सव-2023 से संबंधित महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- कौशांबी महोत्सव के दौरान लोक निर्माण विभाग की 405 करोड़ रुपये की 70 योजनाओं और 24 करोड़ रुपये की 24 परियोजनाओं का लोकार्पण किया।
- युवा कल्याण, खेल, नगरीय विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा सहित 12 विभागों को 51 करोड़ रूपये दिये।
- साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण-तीन की 151 करोड़ रुपये की 19 योजनाओं तथा स्वास्थ्य एवं शहरी विकास विभाग की छह करोड़ रुपये की चार योजनाओं का भी शिलान्यास किया।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'खेलो इंडिया' का मूल मंत्र स्वस्थ शरीर और तेज दिमाग का निर्माण करना है।
- संसद सदस्यों द्वारा शुरू की गई 'संसद खेलकूद स्पर्धा' में भाग लेने के लिए लगभग 16000 युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया जिनमें से 3324 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया।
- साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौशांबी के करेंटी पुल का नाम बदलकर दुर्गा भाभी (स्वतंत्रता सेनानी) पुल किया गया।
- दुर्गा भाभी स्थल शहजादपुर में पांच करोड़ की लागत से म्यूजियम बनाया जायेगा।
- यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना तथा स्वनिधि योजना के तहत बड़ी सरकारी योजनाओं की सराहना करते हुए बताया कि इन योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाया गया है। इससे न केवल उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है, बल्कि भारत ने विश्व मंच पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है।

आगे की राह:

आज भारत विकास की नई ऊंचाईयों को छू रहा है जिससे विश्व एक आशा के साथ भारत की ओर देख रहा है। कौशांबी महोत्सव के माध्यम से क्षेत्र के पारंपरिक मूल्यों को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना, देश के युवाओं को खेल गतिविधियों में भाग लेने, स्वस्थ जीवन जीने और देश के विकास में योगदान देने हेतु प्रेरणा देता है।

3 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर सीमा शुल्क से राहत

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध सभी दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए विशेष चिकित्सा उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दवाओं और भोजन पर बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट दे दी है। दवाओं पर आम तौर पर 10% का सीमा शुल्क लगता है, जबकि जीवनरक्षक दवाओं/टीकों की कुछ श्रेणियों पर 5% की रियायत मिलती है। इस छूट का लाभ उठाने के लिए, व्यक्ति को केंद्रीय या राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक या जिला चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है।

दुर्लभ बीमारियाँ क्या हैं?

एक दुर्लभ बीमारी वह है, जो अन्य सामान्य बीमारियों की तुलना में कम संख्या में लोगों को प्रभावित करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दुर्लभ बीमारी को प्रति 1000 लोगों में 1 या उससे कम लोगो में पाया जाने वाला माना है। आनुवंशिक विकार, असामान्य दुर्दमता, संक्रामक उष्णकटिबंधीय रोग और अपक्षयी रोग दुर्लभ बीमारियों के उदाहरण हैं। 80% असामान्य बीमारियों का एक वंशानुगत आधार होता है और इसलिए यह व्यक्ति में जीवन भर बनी रहती है।

राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021:

सरकार ने दुर्लभ बीमारी के मरीजों के इलाज हेतु मार्च 2021 में राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 शुरू की है। एनपीआरडी, 2021 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- इसके अन्तर्गत किसी भी श्रेणी के दुर्लभ रोग से ग्रसित रोगी को 50 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता एवं किसी भी उत्कृष्ट केन्द्र में उपचार हेतु प्रावधान किया गया है।
- दुर्लभ रोगों के निदान, रोकथाम और उपचार के लिए आठ उत्कृष्ट केंद्रों को चिह्नित किया गया है।
- आनुवंशिक परीक्षण और परामर्श सेवाओं के लिए पाँच निदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- इसमें दुर्लभ बीमारियों के निदान तथा उपचार के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने का प्रावधान हैं।
- इसमें स्थानीय विकास और दवाओं के निर्माण को बढ़ावा देने तथा सस्ती कीमतों पर दुर्लभ बीमारियों के लिए दवाओं के स्वदेशी निर्माण हेतु अनुकूल वातावरण बनाने का भी प्रावधान शामिल है।

आगे की राह:

इन रोगों के इलाज के लिए आवश्यक दवाएं या विशेष खाद्य पदार्थ महंगे हैं जिन्हें आयात करने की आवश्यकता है। यह अनुमान लगाया गया है कि 10 किलो वजन वाले बच्चे के लिए, कुछ दुर्लभ बीमारियों के इलाज की वार्षिक लागत 10 लाख से 1 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो सकती है। दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए दवाओं पर सीमा शुल्क की इस छूट से लागत में काफी बचत होगी और इससे रोगियों को बहुत हद तक राहत मिलने की भी सम्भावना है।

4 लद्दाख की वुड कार्विंग को मिला जीआई टैग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लद्दाख को वुड कार्विंग का पहला जीआई टैग मिला है। यह कला का महत्त्व, विशिष्टता और अद्वितीय शिल्प कौशल है जिसने इसे भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त करने वाली पहली स्थानीय कला का दर्जा दिया। लद्दाख पर्यटक आकर्षण के रूप में अपनी प्राचीन महिमा के लिए जाना जाता है। लद्दाख की कला, संस्कृति और शिल्प कौशल अद्वितीय है जो इसे एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है।

वुड कार्विंग (Wood Carving) के बारे में:

- वुड कार्विंग, जिसे लद्दाख में शिंगकोस (Shingskos) के रूप में जाना जाता है, हस्तकला क्षेत्र में कला का एक पारंपरिक रूप है और लद्दाख की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में ज्ञान के पांच प्रमुख क्षेत्रों का हिस्सा है।
- वुड कार्विंग, शिल्प जीवन के सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों का एक अभिन्न अंग है।
- इमारतों की वास्तुकला से लेकर मठों, मस्जिदों और चर्चों जैसे पूजा स्थलों के सौंदर्य मूल्य में वृद्धि से लेकर घर की सजावट तक, वुड कार्विंग इस क्षेत्र के सौंदर्यशास्त्र में अत्यधिक महत्त्व रखती है।
- वुड कार्विंग उद्योग का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण पहलू है जिसका धार्मिक महत्व, समावेश और स्वीकृति है।
- चोकत्से तालिका में कमल, जवाहरात, ड्रेगन और अन्य बौद्ध प्रतीकों की वुड कार्विंग कला उत्कीर्णन है जो लंबे जीवन का अग्रदूत माना जाता है। लद्दाख की वुड कार्विंग कला सर्वव्यापी है। होटल, रिसॉर्ट, गेस्ट हाउस और यहां तक कि होम-स्टे में इस कला का प्रदर्शन होता है जो एक आकर्षण के रूप में काम करता है।

भौगोलिक संकेत टैग के बारे में:

भौगोलिक संकेत एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान से आने वाले उत्पादों को दिया जाने वाला नाम या संकेत है। जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही उत्पाद के नाम का उपयोग कर सकते हैं। जीआई टैग दस साल के लिए वैध होता है।

भौगोलिक संकेत कौन देता है?

- भौगोलिक संकेत एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है जिसे औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त है।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर समझौता (TRIPS), अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई की सुरक्षा के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
- भारत में जीआई का पंजीकरण और संरक्षण वस्तु के भौगोलिक

संकेत (पंजीकरण तथा संरक्षण) अधिनियम, 1999 द्वारा शासित होता है, जो सितंबर 2003 में लागू हुआ।

- जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला उत्पाद दार्जिलिंग चाय था, जिसे वर्ष 2004-05 में जीआई टैग प्रदान किया गया था।

आगे की राह:

लद्दाख में लकड़ी की नक्काशी के लिए जीआई टैग का अनुदान स्थानीय कारीगरों के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। यह कदम न केवल वुड कार्विंग की महत्त्वपूर्ण पारंपरिक कला को संरक्षित करेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

5 कर्नाटक की बिदरी कला

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कर्नाटक के एक प्रसिद्ध बिदरी शिल्प कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया।

खबर की मुख्य बातें:

- शाह रशीद अहमद कादरी को बिदरी कला और उनकी असाधारण शिल्प कौशल में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- वह बहमनी साम्राज्य की एक लोकप्रिय कलात्मक तकनीक 'फूलझड़ी' पैटर्न को नया रूप देने और शीट वर्क के उपयोग को पुनर्जीवित करने के लिए प्रसिद्ध हैं।
- पद्म श्री पुरस्कार भारत में चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।

बिदरी कला (Bidri Art):

- हैदराबाद में हस्तशिल्प का एक प्रसिद्ध रूप बिदरीवेयर, एक लोकप्रिय निर्यात वस्तु है जिसका नाम कर्नाटक में बिदर तालुका के नाम पर रखा गया है।
- इस कला रूप को भौगोलिक संकेत (GI) टैग मिला है।
- बिदरीवेयर बनाने की प्रक्रिया में कास्टिंग, पॉलिशिंग, उत्कीर्णन, जड़ना और मिश्र धातु को काला करने सहित कई चरण शामिल हैं।
- बिदरीवेयर कला के रूप में दमिश्क के काम का उपयोग किया जाता है, जिसमें लोहे की वस्तुओं पर सोने या चांदी की परत चढ़ाना शामिल है।
- जड़े हुए आइटम चांदी, सोना या पीतल जैसी धातुओं का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं जो विस्तृत पैटर्न में जस्ता और तांबे के मिश्र धातु में जड़े होते हैं।
- बिदरीवेयर के उत्पादन के लिए एक विशिष्ट प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है जो इस शिल्प की विशेषता वाले कला के जटिल कार्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

बिदरी कला का इतिहास:

- बिदरी एक प्राचीन धातु कला रूप है जिसकी शुरूआत लगभग 500 साल पहले की गई थी।
- यह मूल रूप से बहमनी राजवंश के शासनकाल के दौरान विकसित किया गया था।
- 14वीं शताब्दी में, भारत में बीदर पर शासन करने वाले फारसी शासकों ने इस क्षेत्र में कला को प्रारम्भ किया।
- बीदर में कारीगरों को फारस के विशेषज्ञों द्वारा शाही परिवारों के लिए उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण करने हेतु प्रशिक्षित किया गया था।

बिदरीवेयर की मान्यताएं और पुरस्कार:

- अपनी असाधारण शिल्प कौशल और सांस्कृतिक महत्त्व के लिए विख्यात बिदरीवेयर को कई पुरस्कारों तथा सम्मानों से सम्मानित किया गया है।
- 2006 में, इसकी विशिष्ट उत्पत्ति और पारंपरिक क्राफ्टिंग विधियों को स्वीकार करते हुए, इसे भारत सरकार द्वारा सम्मानित भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया था।
- बिदरीवेयर को यूनेस्को द्वारा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी मान्यता दी गई है, जो इसके वैश्विक सांस्कृतिक महत्त्व की पुष्टि करता है।

आगे की राह:

ऐसे कला रूपों को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन कलाओं और कलाकारों को पुरस्कार देना जो पारंपरिक कला रूपों का संरक्षण करते हैं, सराहनीय कदम है। इससे अन्य कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है जो कला और साहित्य के संरक्षण में मदद करते हैं।

6 आईजीएनसीए ने वैदिक हेरिटेज पोर्टल किया लॉन्च

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। इस पोर्टल का प्रमुख उद्देश्य वैदिक ज्ञान एवं विरासत के बारे में जानकारी को बढ़ावा देना है।

मुख्य विशेषताएं:

- वैदिक विरासत पोर्टल भारत की वैदिक विरासत को चित्रित करने का एक प्रयास है।
- इसके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों/पांडुलिपियों और औजारों के रूप में मौखिक परंपराओं तथा शाब्दिक परंपराओं पर गहन जानकारी प्रदान करता है।
- इस पोर्टल का प्रमुख लक्ष्य वेदों को लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने और जानकारी को एकत्र करना है।
- यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 'वेदों' का रखरखाव करता है, जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के अनुसार मानव जाति की एक अमूर्त विरासत है।
- इस पोर्टल में 550 घंटे से अधिक की अवधि के साथ चारों वेदों के 18 हजार से अधिक मंत्र हैं।

चार वेद:

ऋग्वेद:

- विद्वानों का मानना है कि यह वेदों में सबसे महत्त्वपूर्ण और सबसे पुराना है।
- इसे दस खंडों (मंडल के रूप में जाना जाता है) में व्यवस्थित

किया गया है जिसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति करने वाले 1028 सूक्त शामिल हैं। इसमें इंद्र, अग्नि, विष्णु, रुद्र, वरुण और अन्य 'वैदिक सूक्त' भी शामिल हैं।

- इसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, पुरुष सूक्त और प्रार्थना भी शामिल है।

यजुर्वेद:

- इसमें यज्ञ से संबंधित विधान है जिसे दो वर्गों कृष्ण और शुक्ल में विभाजित किया गया है।

सामवेद:

- इसमें पूजा तथा यज्ञ के दौरान किए जाने वाले मंत्र और धुन शामिल हैं। यह चारों वेदों में सबसे छोटा है।

अथर्ववेद:

- इसमें ऐसे भजन, मंत्र शामिल हैं जो यज्ञ से संबंधित नहीं हैं।

आईजीएनसीए के बारे में:

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है, कला के अध्ययन और अनुभव के केंद्र के रूप में जाना जाता है। यह संरचना और ब्रह्माण्ड विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। आईजीएनसीए संस्कृति मंत्रालय का हिस्सा है।
- 1980 के दशक के अंत में अमेरिकी वास्तुकार राल्फ लर्नर के डिजाइन को एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल द्वारा चुना गया था जिसमें ब्रिटिश वास्तुकार जेम्स स्टर्लिंग और भारत के बी. वी. दोशी शामिल थे।
- यह तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा नवंबर 1985 में स्थापित किया गया था।

वेद का महत्त्व:

- यह माना जाता है कि वेद मानव जाति का प्राचीनतम साहित्य है।
- संस्कृत में गद्य और पद्य के रूप में वेद को आधिकारिक ज्ञान माना गया है। वेद हिंदू धर्म और संस्कृति का स्रोत है।
- इसमें उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान (परा विद्या) के साथ-साथ विश्व ज्ञान (अपरा विद्या) भी शामिल हैं।
- यह अपनी शुद्धता और पवित्रता में अद्वितीय है।

आगे की राह:

इस पोर्टल का उद्देश्य सार्वभौमिक कल्याण के लिए वैदिक ज्ञान में निहित संदेश को संप्रेषित करना और उपयोगकर्ता के लिए वन-स्टॉप साधन उपलब्ध कराना है, जो वैदिक विरासत के बारे में कोई भी जानकारी खोजना चाहता है।

7 मानसिक बीमारी के इलाज पर होने वाला खर्च भारतीय परिवारों में गरीबी का कारण

चर्चा में क्यों?

एक नए शोध में, इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कम से कम 20% भारतीय परिवार मानसिक बीमारियों के इलाज पर पैसा खर्च करने के कारण गरीब हो जाते हैं। शोध में यह पाया गया कि किसी सदस्य की मानसिक बीमारी के कारण परिवार के मासिक उपभोग व्यय का 18.1% स्वास्थ्य पर खर्च किया गया था।

विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में मानसिक बीमारी पर व्यय:

- राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे दमन और दीव (19.4%), हिमाचल प्रदेश (18.0%), सिक्किम (17.4%), लक्षद्वीप (14.6%), महाराष्ट्र (13.7%), तेलंगाना (13.3%), पंजाब (12.7%), उत्तराखंड (12.5%) और भारत के लिए राष्ट्रीय औसत (10.4%) ने मानसिक बीमारी के कारण उच्च स्वास्थ्य देखभाल की सूचना दी।
- दूसरी ओर, मिजोरम (0.5%), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (1.2%), पुडुचेरी (1.7%), दादरा और नगर हवेली (2.0%), अरुणाचल प्रदेश (3.0%) और नागालैंड (3.5%) ने कम स्वास्थ्य देखभाल की सूचना दी।

मानसिक बीमारी का बोझ:

- मानसिक बीमारी की निम्न और मध्यम आय वाले देशों में अधिकांश लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाती है, जिससे चिरकालिकता, पीड़ा और देखभाल की लागत में वृद्धि होती है। इस अध्ययन ने भारत में मानसिक बीमारी के कारण खर्च (OOPE), भयावह स्वास्थ्य व्यय (CHE) और गरीबी के प्रभाव का आंकलन किया है।
- ओओपीई आमतौर पर उन खर्चों को संदर्भित करता है जिनके लिए किसी को वैकल्पिक स्रोत के बजाय अपने स्वयं के पैसे से भुगतान करना पड़ता है। CHE स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च किया जाने वाला वह धन है, जो किसी निर्दिष्ट अवधि में घरेलू कुल आय से कुछ निर्दिष्ट महत्त्वपूर्ण स्तर की सहनशीलता या सीमा से अधिक है।
- शहरी (17%) की तुलना में, मानसिक बीमारी के इलाज पर खर्च के कारण गरीबी में गए 20% परिवारों में से अधिकांश ग्रामीण (22.5%) थे। कम और मध्यम आय वाले देशों (LMIC) में मानसिक स्वास्थ्य विकारों का कारण कुल रोग का 11.1% सर्वाधिक है।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति, 2014 और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 में जागरूकता को बढ़ावा देने, इससे जुड़े कलंक को समाप्त करने तथा देश में मानसिक बीमारियों के लिए अच्छी गुणवत्ता और सस्ती देखभाल के प्रावधान के माध्यम से मानसिक बीमारियों का मुकाबला करने हेतु कई कदम प्रस्तावित किए गए हैं।

आगे की राह:

भारत में गरीबी के प्रभाव को कम करने के लिए भारत में मानसिक बीमारी के शीघ्र निदान और प्रबंधन में तेजी लाने की अत्यंत आवश्यकता है। आयुष्मान भारत सहित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं जैसी सस्ती सेवाएं प्रदान करने से मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों की व्यापक संभव सीमा को कवर किया जाना चाहिए। भारत में मानसिक बीमारी से प्रभावित लोगों के लिए वित्तीय जोखिम सुरक्षा नीतियों को बनाने और मजबूत करने की आवश्यकता है। लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने, उन्हें बढ़ावा देने और उनकी देखभाल करने के लिए पूरे समाज के दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी ताकि उन्हें गरीबी में जाने से रोका जा सके।

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें

1. पाकिस्तान में मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाला विधेयक पारित

- पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने एक विधेयक पारित किया है जिसका उद्देश्य मुख्य न्यायाधीश की विवेकाधीन शक्तियों को कम करना है। इस विधेयक में तीन महत्त्वपूर्ण प्रावधान हैं:
  - मुख्य न्यायाधीश के बजाय केवल एक समिति तय करेगी कि कौन से मामले स्वत: संज्ञान में लिए जा सकते हैं?
  - इन मामलों की सुनवाई के लिए बेंच का निर्धारण भी शीर्ष न्यायाधीश के बजाय समिति द्वारा तय की जाएगी।
  - ऐसे मामलों में किए गए निर्णय पर अपील की जा सकेगी।
- इस विधेयक ने पाकिस्तान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए इसके निहितार्थों के बारे में कानूनी विशेषज्ञों के बीच चिंता पैदा कर दी है।
- यह विधेयक उस समय पारित हुआ, जब पाकिस्तान बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता के साथ आर्थिक, सुरक्षा और शासन की चुनौतियों का सामना कर रहा है।
- इस विधेयक ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान भी आकर्षित किया है तथा कुछ मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों ने पाकिस्तान में कानून के शासन व लोकतांत्रिक शासन के लिए इसके निहितार्थों के बारे में चिंता व्यक्त की है।

2. यूक्रेन के लिए 15.6 बिलियन डॉलर की सहायता

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने संघर्ष-ग्रस्त देश यूक्रेन की आर्थिक सुधार में सहायता के लिए $15.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समर्थन पैकेज को मंजूरी दी है।
- यह ऋण 115 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पैकेज का हिस्सा है, जो देश की तत्काल धन की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है।
- आईएमएफ द्वारा स्वीकृत कुल राशि में से 2.7 बिलियन डॉलर यूक्रेन को तुरंत उपलब्ध कराया जा रहा है और शेष धनराशि अगले चार वर्षों में जारी की जाएगी।

विस्तारित निधि सुविधा (Extended Fund Facility):

- विस्तारित फंड सुविधा, युद्ध में शामिल देश के लिए आईएमएफ द्वारा अनुमोदित पहला प्रमुख वित्तपोषण कार्यक्रम है। यह समर्थन पैकेज गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे देशों को प्रदान किया जाता है। EFF को देश के आर्थिक सुधार कार्यक्रम का समर्थन करने और अन्य IMF वित्तपोषण कार्यक्रमों की तुलना में लंबी अवधि में धन उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है। EFF एक मध्यम अवधि का कार्यक्रम है जो तीन से चार वर्षों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसका पुनर्भुगतान आमतौर पर चार से दस वर्षों की अवधि के लिए देय होता है। यह कार्यक्रम किसी देश की आर्थिक नीतियों को लागू करने में मदद करने के लिए स्थापित किया जाता है जो उनकी भुगतान संतुलन की समस्याओं को दूर करने और स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा। EFF अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक देश को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि उसके पास एक स्थायी आर्थिक सुधार कार्यक्रम है जो भुगतान संतुलन की समस्याओं के अंतर्निहित कारणों को प्रभावी बनाता है।

3. गरीब छात्रों के लिए बुक बैंक की पहल

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रांची से लोकसभा सदस्य संजय सेठ की बुक बैंक स्थापित करने की पहल की सराहना की है।
- अरगोरा, झारखंड में लोकसभा सदस्य के कार्यालय में स्थित बुक बैंक में विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों द्वारा दान की गई पुस्तकों की छात्रों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करता है।
- छात्र किताबें ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्हें वापस कर सकते हैं, जिससे संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित हो सकता है।
- यह पहल सहानुभूति, करुणा, सामुदायिक भागीदारी, स्वयंसेवा, जिम्मेदारी और कर्त्तव्य के मूल्यों को दर्शाती है।
- यह बुक बैंक वंचित छात्रों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाकर असमानता के मुद्दे को संबोधित करता है और वंचित व्यक्तियों को सशक्त बनाता है। किताबें दान करने और इस पहल का समर्थन करने में लोगों की भागीदारी युवाओं की शिक्षा के प्रति जिम्मेदारी की भावना को प्रदर्शित करती है।

4. बेडाक्वीलिन (Bedaquiline)

- भारत में पेटेंट कार्यालय ने जॉनसन एंड जॉनसन की टीबी की दवा बेडाक्वीलिन के प्रयास को खारिज कर दिया, जिसका उपयोग दवा प्रतिरोधी संक्रमण वाले लोगों के इलाज के लिए किया जाता है।
- इस साल जुलाई में इसका प्राथमिक पेटेंट समाप्त होने के बाद, इस श्रेणी की दवा को अगले चार वर्षों के लिए पेटेंट होने से रोक दिया।
- इस फैसले का विशेषज्ञों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने स्वागत किया क्योंकि जेनेरिक संस्करणों से दवा की कीमत कम होने तथा पहुंच में सुधार होने की संभावना है।

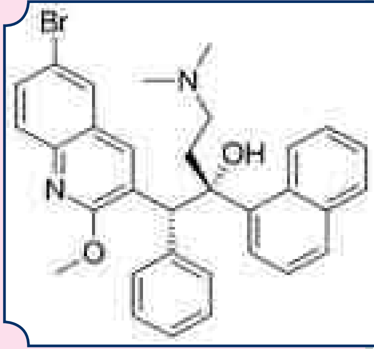

बेडाक्वीलिन:

- 40 साल के बाद 2012 में, बेडाक्वीलिन उपलब्ध होने वाली पहली नई टीबी थेरेपी बन गई। इसकी पहली दवा 2015 में सरकार के टीबी कार्यक्रम के तहत भारत में उपलब्ध हुई। बेडाक्वीलिन दवा, तपेदिक के लिए उपलब्ध सबसे प्रभावी उपचारों में से एक माना जाता है।
- कैनामाइसिन जैसी मौजूदा दवाओं की तुलना में इसके न्यूनतम दुष्प्रभाव हैं जो गुर्दे की क्षति और स्थायी हानि का कारण बन सकता है। इस दवा ने ऐसे प्रतिरोधी टीबी के उपचार के छोटे-छोटे कोर्स के विकास को भी प्रभावित किया जो दो साल के कोर्स को आधा करने से भी ज्यादा नौ महीने से एक साल तक प्रभावी बनाता है। यह कैनामाइसिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन के विपरीत एक दवा है जिसका एक छोटा-सा कोर्स, सभी-मौखिक दवा से लोगों के अपना इलाज पूरा करने और दवा प्रतिरोधी टीबी के अधिक मामलों को रोकने की संभावना बढ़ जाती है।

5. यांगली महोत्सव (Yangli Festival)

- हाल ही में असम के मोरीगांव जिले के गुवा गांव में तिवा आदिवासियों द्वारा यांगली उत्सव अथवा लक्ष्मी पूजा मनाया गया।
- यांगली तिवासों का एक महत्त्वपूर्ण त्यौहार है जो एक भरपूर फसल का जश्न मनाने तथा कीट और आपदाओं से फसलों की रक्षा करने का अवसर है। कृषि उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है।
- यह त्यौहार तीन दिनों तक मनाया जाता है। लोग अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना, गीत और पारंपरिक नृत्य करते हैं। इसमें प्रत्येक दिन का अपना महत्त्व और अनुष्ठान होता है।

तिवा आदिवासी के बारे में:

- तिवा, पूर्वोत्तर भारत में असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में रहने वाले लोगों की एक स्वदेशी जनजाति है।
- इन्हें भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- तिवा लोगों की अपनी भाषा है, जिसे तिवा के नाम से भी जाना जाता है।
- परंपरागत रूप से तिवा लोग प्रकृतिप्रेमी हैं जो पहाड़ों, नदियों और जंगलों की पूजा करते हैं।
- तिवा समाज मातृसत्तात्मक है, जिसका अर्थ है कि वंश और वंशानुक्रम माता के माध्यम से चलाया जाता है। तिवा समाज में महिलाओं की एक प्रमुख भूमिका है तथा निर्णय लेने में उनकी राय को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है।

6. आकाश वेपन सिस्टम

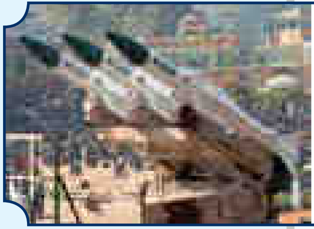

हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (Bharat Dynamics Limited – BDL) ने भारतीय सेना के दो रेजिमेंटों के लिए आकाश हथियार प्रणाली (Akash Weapon System – AWS) के उत्पादन और आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ 8,161 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। आकाश वेपन सिस्टम (AWS) एक मोबाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा डिजाइन तथा विकसित किया गया है। यह मिसाइल 30 किमी दूर तक विमान को निशाना बना सकती है और 18 किमी की ऊंचाई तक लक्ष्य को भेद सकती है। इस सिस्टम में एक उन्नत रडार है जो कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। मिसाइल प्रणाली को भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया है।

7. मुकुपिरना फोर्टिडेंटाटा (Mukupirna Fortidentata)

- हाल ही में फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया में एक प्राचीन जीव के जीवाश्म की खोज की है। मुकुपिरना फोर्टिडेंटाटा नामक यह जीव लगभग 25 मिलियन वर्ष पहले यहाँ पाया जाता था। यह खोजी गई नई प्रजाति मुकुपिरना नामबेंसिस नामक एक अन्य जीवाश्म से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि इसका वजन 50 किलोग्राम तक था, जो उस समय जीवित सबसे बड़े मारसुपियल जीवों में से एक था। इस वॉम्बैट-जैसे प्राणी के पास एक शक्तिशाली दांत थे और माना जाता है कि उसने कड़े फल और मेवे खाए थे। शोधकर्ताओं के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण मुकुपिर्निड्स का विलुप्त हुए थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में प्राचीन वन क्षेत्र तेजी से शुष्क हो गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मुकुपिर्निड्स ओलिगोसीन के अंत से कुछ समय पहले विलुप्त हो गए थे, जो कि 23-25 मिलियन वर्ष पहले था।
- मुकुपिरना फोर्टिडेंटाटा की खोज प्राचीन मार्सुपियल वंशावली के विकास और विलुप्त होने पर प्रकाश डालने में महत्त्वपूर्ण साबित होगी।

8. स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब

- हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) ने अहमदाबाद में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया है। लैब का मुख्य फोकस स्टार्ट-अप्स को न्यूनतम पुनरावृत्तियों के साथ प्रोटोटाइप बनाने में सक्षम बनाना है, जिससे टर्नअराउंड समय तथा अनुसंधान और विकास लागत में काफी कमी आती है।
- यह गैर-सरकारी संस्थाओं को अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करेगा। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, IN-SPACe डिजाइन लैब में मिशन सिमुलेशन, मॉडलिंग, विजुअलाइजिंग, पेलोड और अंतरिक्ष यान, ग्राउंड स्टेशन और लॉन्च वाहन एवियोनिक्स सिमुलेशन सॉफ्टवेयर शामिल हैं। इस लैब में कंप्यूटिंग संसाधन भी हैं जो स्टार्ट-अप्स को निर्माण प्रक्रिया शुरू करने से पहले उनके डिजाइन विचारों को कल्पना करने में मदद कर सकते हैं।

9. कैलटोरिस ब्रोमस सदासिव

हाल ही में केरल के अक्कुलम और वेम्बनाड झीलों के किनारे से एक तितली उप-प्रजाति Caltoris Bromus sadasiva की खोज की गई है। यह पश्चिमी घाट और प्रायद्वीपीय भारत में ब्रोमस स्विफ्ट (कैल्टोरिस ब्रोमस) तितली की पहली रजिस्टर्ड उप-प्रजाति है जो लेपिडोप्टेरा के स्किपर तितली परिवार से संबंधित है। इस तितली को पहली बार 2005 में अक्कुलम झील में और बाद में डॉ. सदासिवन द्वारा 2009 में वेम्बनाड में देखा गया था। कैल्टोरिस, इंडो-ऑस्ट्रेलियाई वर्ग की 15 से अधिक प्रजातियाँ दक्षिण-पूर्व एशिया में पाई जाती हैं। कैल्टोरिस ब्रोमस उनमें से एक है तथा दो अन्य उप-प्रजातियाँ कैल्टोरिस ब्रोमस ब्रोमस एवं कैल्टोरिस यानुका हैं।

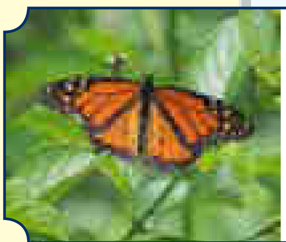

10. विलनियस रेजीडेंट मिशन

हाल ही में भारत ने विलनियस (लिथुआनिया) में नए रेजीडेंट मिशन का संचालन किया। यह मिशन द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक जुड़ाव के विकास को सक्षम करने में मदद करेगा तथा लोगों के बीच मजबूत संपर्क को सुगम बनाएगा। यह बहुपक्षीय रूप में अधिक निरंतर राजनीतिक पहुंच को सक्षम करेगा। लिथुआनिया में यह भारतीय समुदाय की बेहतर सहायता और उनके हितों की रक्षा करेगा।

11. लिंक्स-यू2 (Lyns-U2) फायर कंट्रोल सिस्टम

- भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 13 स्वदेशी रूप से विकसित लिंक्स-यू2 अग्नि नियंत्रण प्रणालियों की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
- लिंक्स-यू2 फायर कंट्रोल सिस्टम एक गन फायर कंट्रोल सिस्टम (GFCS) है जो हवा/सतह के लक्ष्यों की सटीक निगरानी करता है। हथियार लक्षित स्थानों को निर्धारित करने तथा हवा व सतह के लक्ष्यों की सटीकता से जानकारी हासिल करने और फिर उनको भेदने में सक्षम है।

- यह प्रणाली दो दशकों से अधिक समय से प्रचलन में है जो भारतीय नौसेना के विभिन्न प्रकार के जहाजों जैसे विध्वंसक, फ्रिगेट, मिसाइल बोट, कार्वेट आदि की सामरिक जरूरतों को पूरा कर रही है।
- यह संपार्श्विक क्षति को कम करते हुए अधिक सटीकता के साथ लक्ष्यों का पता लगाने और उन्हें भेदने में नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा।
- लिंक्स-यू2 प्रणाली को समुद्री अव्यवस्था के बीच लक्ष्यों को ट्रैक करने और संलग्न करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो नौसेना के संचालन में एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है।
- इस सिस्टम का खुला तथा स्केलेबल ढांचा मौजूदा सिस्टम के साथ आसान एकीकरण की अनुमति देता है, निर्बाध अंत:क्रियाशीलता को सक्षम करता है और परिचालन जटिलताओं को कम करता है।
- सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल का समर्थन करते हुए स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित प्रणालियों की खरीद से देश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- इससे विदेशी (मूल उपकरण निर्माता) ओईएम पर निर्भरता कम होगी, जिसके परिणामस्वरूप लागत बचत, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कौशल विकास होगा। लिंक्स-यू2 प्रणाली की विश्वसनीयता और प्रदर्शन का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है।

12. दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट

- हाल ही में विश्व बैंक ने अपनी दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट जारी की है, जो 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 6.3% रहने का अनुमान लगाती है।
- रिपोर्ट के अनुसार सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योग हैं जबकि उच्च उधार लागत तथा धीमी आय वृद्धि के परिणामस्वरूप कमजोर खपत हुई है। सरकार के सख्त राजकोषीय व्यय इस गिरावट का प्रमुख कारण रहा है।
- विश्व बैंक ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारत ने शेष दक्षिण एशियाई क्षेत्र की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन अभी भी दो प्रमुख चिंताएँ हैं:
  - महिला श्रम भागीदारी दर 20% से नीचे गिरना।
  - अनौपचारिक क्षेत्र में भी स्थिरता व्याप्त रहना।

13. इदु मिश्मी

हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने यह घोषणा की कि अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को जल्द ही बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। इस घोषणा से इदु मिश्मी नामक जनजाति में अशांति उत्पन्न हो गई है क्योंकि उनका मानना है कि टाइगर रिजर्व वन उनकी पहुँच में बाधा बनेगा।

इदु मिश्मी कौन है?

- इदु मिश्मी अरुणाचल प्रदेश और पड़ोसी तिब्बत में बड़े मिश्मी समूह (अन्य दो मिश्मी समूह दिगारू और मिजू हैं) की एक उप-जनजाति है। बुनाई और शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध इदु मिश्मी मुख्य रूप से तिब्बत की सीमा पर स्थित मिश्मी पहाड़ियों में रहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार इस जनजाति में लगभग 12,000 जनसँख्या का अनुमान है, जिनकी भाषा (जिसे इदु मिश्मी भी कहा जाता है) को यूनेस्को द्वारा लुप्तप्राय माना जाता है।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1. प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक के कार्यक्रम 'मेकिंग इट पर्सनल: हाउ बिहेवियरल चेंज कैन टैकल क्लाइमेट चेंज' को संबोधित किया।
2. भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) ने अहमदाबाद में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया है।
3. प्रधानमंत्री ने असम के गुवाहाटी स्थित श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में आयोजित गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित किया।
4. प्रधानमंत्री ने अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया।
5. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की वर्तमान अध्यक्षता के अंतर्गत, भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) द्वारा तैयार कार्यक्रमों के कैलेंडर के भाग रूप में 12-13 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन युवा लेखक सम्मेलन की मेजबानी की।
6. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबितू में 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' का शुभारंभ किया।
7. केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण आईएमएफ-विश्व बैंक की वसंतकालीन वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए यूएसए की आधिकारिक यात्रा पर रवाना गई।
8. केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास एवं 4583 करोड़ रूपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
9. केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सालंगपुर धाम में हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसके अलावा 55 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित श्री कष्टभंजनदेव भोजनालय का उद्घाटन किया।
10. यूआईडीएआई ने एक टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ हाथ मिलाया।
11. हिमाचल प्रदेश ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की।
12. ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने 50 किलो के वारहेड के साथ कामिकेज ड्रोन का सफल परीक्षण किया है।
13. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में मॉरीशस से भारतीय पूंजी बाजारों में विदेशी पूंजी का प्रवाह सबसे अधिक रहा।
14. भारत बायोटेक ने विश्व वैक्सीन कांग्रेस में पुरस्कार जीता है।
15. प्रियांशु राजावत ने ऑरलियन्स मास्टर्स सुपर 300 टूर्नामेंट में पुरुष एकल ट्रॉफी जीती।
16. भारत निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी (AAP) को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है।
17. मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला।
18. भारत की पहली सेमी-हाई-स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम 'RAPIDX' रखा गया।
19. युगांडा में ईएएम जयशंकर द्वारा 'तुलसी घाट बहाली परियोजना' शुरू की गई।
20. अप्पासाहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण दिया जाएगा।
21. स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने 49 विश्वविद्यालयों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया।
22. सेबी ने अपने 35वें स्थापना दिवस पर अपने नए लोगो का अनावरण किया।
23. भारतीय सौर ऊर्जा निगम को 'मिनीरत्न श्रेणी-I' का दर्जा मिला।
24. महिंद्रा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन केशब महिंद्रा का 12 अप्रैल को 99 साल की उम्र में निधन हो गया।
25. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वार्षिक एआई इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे अधिक एआई में निवेश वाले देशों की सूची में 5वें स्थान पर है।
26. केनरा बैंक और भारत बिलपे ने ओमान में भारतीयों के लिए सीमा पार बिल भुगतान के लिए साझेदारी की है।

सिविल20 भारत 2023

सिविल20 के बारे में

- सी20 इंडिया 2023 जी20 के आधिकारिक जुड़ाव समूहों में से एक है जो दुनिया भर के सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओ) को जी20 में दुनिया के नेताओं के सामने लोगों की आकांक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- आध्यात्मिक नेता माता अमृतानंदमयी, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में बैठक का उद्घाटन किया गया।

चर्चा में क्यों?

सिविल20 इंडिया 2023 की कार्यसमिति का उद्घाटन मार्च 2023 में नागपुर में किया गया। सिविल20 इंडिया 2023 का आदर्श वाक्य #You Are The Light है।

भारत में सिविल सोसायटीयों की भूमिका

- यूरोपीय संघ के अनुसार, सिविल सोसाइटी का अर्थ है 'व्यक्तियों या समूहों द्वारा की जाने वाली सभी प्रकार की सामाजिक क्रियाएं जो राज्य से संबंधित या प्रबंधित नहीं हैं'।
- लोगों, समुदायों या समग्र रूप से लोकतंत्र की सुरक्षा, रोकथाम, संवर्धन और परिवर्तन की बात आने पर उनकी प्रमुख भूमिका होती है।

निष्कर्ष

- डॉ. बी आर अम्बेडकर ने एक बार उदार-धर्मनिरपेक्ष नागरिक समाज के महत्व को समझाया: 'लोकतंत्र की जड़ें सरकार, संसदीय या अन्य के रूप में नहीं हैं... समाज बनाने वाले लोगों के बीच संबद्ध जीवन के संदर्भ में, सामाजिक संबंधों में खोजी जानी हैं।'
- नागरिक समाज की भूमिका प्रमुख स्तंभ है जिसे समेकित करने, बढ़ावा देने और सशक्त बनाने की आवश्यकता है और सिविल20 इस उपलब्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इतिहास में सिविल सोसायटी

ब्रह्म समाज और आर्य समाज जैसे संगठनों ने सामाजिक रूप से समाज को प्रगतिशीलता बनाने के लिए कार्य किया। इसी प्रकार NTUF, AITUC आदि ट्रेड यूनियन भारतीय इतिहास में अंतिम व्यक्ति की आवाज बने।

सरकारी पहल

- सरकार ने समय-समय पर समान रूप से भारत में सिविल सोसाइटी को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य किया है।
- पंचायती राज संस्थाएं, नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूहों (SHG) को बढ़ावा देना आदि सरकार द्वारा उठाये गये महत्वपूर्ण कदम हैं।
- भारत में लगभग 1.2 करोड़ SHG हैं जिनमें 88% महिला SHG हैं जो सबका साथ सबका विकास की धारणा को दर्शाती हैं।

विश्व में सिविल सोसाइटी

- वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड फॉर नेचर, ग्रीनपीस, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठन दर्शाते हैं कि कैसे सिविल सोसाइटी सभी को लाभान्वित करने वाले महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है।
- सिविल सोसाइटी कार्यान्वयन में अंतर को भरते हैं और कार्यपालिका पर नियंत्रण और संतुलन का कार्य करते हैं।

स्वतंत्रता के बाद सिविल सोसायटी

- स्वदेशी आन्दोलन के उत्साह का कारण बंगाल के विभाजन को ठहराया जा सकता है। स्वदेशी के प्रति प्यार अभी भी भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों में भी परिलक्षित होता है।
- विनोबा भावे का भूदान आंदोलन, चिपको आंदोलन या फिक्की जैसे संगठन आदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां सिविल सोसाइटी समूहों द्वारा किये गये हस्तक्षेप ने समाज के लिए अहम बदलाव प्रस्तुत किये।

चैटजीपीटी के उन्नत संस्करण पर रोक की मांग

चर्चा में क्यों?

- 29 मार्च को, एलोन मस्क और ओपनएआई के एआई विशेषज्ञों के एक समूह ने हाल ही में लॉन्च किए गए लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM), जीपीटी-4 की तुलना में अधिक शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम विकसित करने पर रोक लगाने के लिए एक ओपन लैटर पर हस्ताक्षर किए।
- पत्र में 1,300 से अधिक हस्ताक्षर थे और इसने सभी AI प्रयोगशालाओं को कम से कम छह महीने के लिए जीपीटी-4 से अधिक शक्तिशाली किसी भी प्रणाली के प्रशिक्षण को तुरंत रोकने का आह्वान किया गया था।

अन्य जानकारी

- द फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट (FLI) ने असिलोमर एआई (Asilomar AI) सिद्धांतों में से एक का हवाला देते हुए लिखा कि कैसे AI में प्रगति, लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है।
- Asilomar AI सिद्धांत, FLI द्वारा आयोजित बेनिफिशियल एआई 2017 सम्मेलन में निर्धारित AI गवर्निंग सिद्धांतों के शुरुआती सेटों में से एक हैं।
- FLI का लेख कई उद्योगों में AI तकनीक के तेजी से विकास और उपयोग के मध्य आया है क्योंकि कई फर्मों द्वारा AI को अपनाने में काफी वृद्धि हुई है।

चिंता

- इस तरह के मल्टी-मोडल एडवांस आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) के करीब जाने के लिए GPT-4 को मदद देते हैं। इसका अर्थ है कि मशीन इंटेलिजेंस मानव बुद्धि जितनी अच्छी हो सकती है।
- AGI के संभावित नकारात्मक पहलू के दुरुपयोग, गंभीर दुर्घटनाएं, और सामाजिक व्यवधान के गंभीर जोखिम हो सकते हैं।
- कुछ डेवलपर्स और तकनीकी उद्यमियों के अनुसार, GPT-5 मनुष्यों से अप्रभेद्य हो सकता है, और भाषा मॉडल इस वर्ष के अंत तक AGI को प्राप्त कर सकता है।
- चूंकि AI के विकास पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई नियम नहीं हैं और न ही सरकारों के पास AI के विकास में काम रोकने के लिए कोई नीतिगत उपकरण हैं, अतः इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।

GPT-4 के बारे में

- जनरेटिव पूर्व-प्रशिक्षित ट्रांसफॉर्मर (Generative Pre-trained Transformers-GPT) मॉडलों की एक श्रृंखला है जो ह्यूमन टेक्स्ट की तरह कार्य करने के लिए डेटा की विशाल मात्रा पर प्रशिक्षित होते हैं। चैट जीपीटी इसके प्रकारों में से एक है।
- GPT-4 विजुअल कॉम्प्रिहेंशन, क्रिएटिविटी और टेक्स्ट के मामले में अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक उन्नत है।
- यह संगीत, स्क्रिप्ट, तकनीकी लेखन आदि जैसी विभिन्न रचनात्मक परियोजनाओं पर उपयोगकर्ताओं के साथ काम कर सकता है और 25,000 शब्दों तक टेक्स्ट को प्रोसेस कर विस्तारित बातचीत की सुविधा प्रदान कर सकता है और छवियों को भी इनपुट के रूप में स्वीकार कर सकता है।
- यह अधिक बहुभाषी है और 26 भाषाओं में हजारों बहु-विकल्पों का सटीक उत्तर देकर जीपीटी-3.5 और अन्य स्स्ड से बेहतर प्रदर्शन करता है।
- इसने अंग्रेजी में 85.5% सटीकता तथा तेलुगु जैसी भारतीय भाषाओं में 71.4% की सटीकता प्राप्त की।

समान प्रौद्योगिकियां

- अल्फाबेट के स्वामित्व वाली गूगल ने अपने Lamda भाषा मॉडल के एक संस्करण Bard को लॉन्च किया।
- चीन में, इंटरनेट दिग्गज Baidu ने AI-संचालित चैटबॉट Ernie लॉन्च किया है जो वित्तीय विवरणों को सारांशित कर सकता है।
- मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मीडिया लैब ने ईएलएसए विकसित किया है, एक एआई बॉट जो मनोचिकित्सा परामर्शदाता के रूप में कार्य कर सकता है। यह संभावित रूप से संज्ञानात्मक व्यवहार (cognitive behavioural) थेरेपी सत्रों में कार्य कर सकता है।

जलवायु परिवर्तन पर आईसीजे की राय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) से कहा गया कि वे UNFCCC से किए गए वादों के आधार पर, जलवायु परिवर्तन में कमी के प्रति देशों के दायित्वों के प्रकार पर एक राय प्रदान करें।

अन्य जानकारी

- इस संकल्प को दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक, वानुअतु (Vanuatu) द्वीप द्वारा प्रस्तुत किया गया।
- यह द्वीप राष्ट्र 2015 में चक्रवात पाम के प्रभाव से तबाह हो गया था, इस चक्रवात के बारे में माना जाता है कि यह जलवायु परिवर्तन के कारण आया था।
- इस चक्रवात ने देश के 95% फसल को नष्ट कर दिया और इसकी दो-तिहाई आबादी को प्रभावित किया।

बहाली प्रयास

संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृति को पुनः बहाल करने वाली 10 अग्रणी पहलों को हाल ही में मान्यता दी, जिनमें शामिल हैं:

1. Trinational Atlantic Forest Pact
2. Abu Dhabi Marine Restoration
3. Great Green Wall for Restoration and Peace
4. Ganges River Rejuvenation
5. Multi-Country Mountain Initiative
6. Small Island Developing States Restoration Drive
7. Altyn Dala Conservation Initiative
8. Central American Dry Corridor
9. Building with Nature in Indonesia
10. Shan-Shui Initiative in China

संकल्प से उत्पन्न प्रश्न

संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद-96 के अनुसार, मसौदा प्रस्ताव (A/77/L.58) ने ICJ से दो प्रश्नों पर विचार-विमर्श करने की मांग करता है:

1. वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए जलवायु प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत राष्ट्रों के क्या दायित्व हैं?
2. इन दायित्वों के तहत राष्ट्रों के लिए कानूनी परिणाम क्या हैं, जहां उन्होंने अपने कार्यों और चूक से जलवायु प्रणाली को विशेष रूप से Small Island Developing States (SIDS) और लोगों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है?

संभावित परिणाम

- ICJ से एक कानूनी राय मिलने से यूएनएफसीसीसी के तहत प्रयासों को बल मिलने की उम्मीद है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी देश जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सुझाई गई 1.5-2 डिग्री सेल्सियस की सीमा के लिए कार्य करें। इसकी राय विवादास्पद मुद्दों के बारे में महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है जैसे कि:
  - विकसित दुनिया द्वारा जलवायु सुधार।
  - उन देशों के लिए कानूनी अभियोज्यता जो अपने एनडीसी वादों को पूरा नहीं करते हैं।
  - ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों से जूझ रहे विश्व के सबसे कमजोर हिस्सों को जलवायु समर्थन प्रदान करना।
- हालांकि ICJ से "सलाहकार राय" मांगी जा रही है, अर्थात यह ICJ का निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होगा।

छोटे विकासशील द्वीप राष्ट्र (SIDS)

- छोटे द्वीप विकासशील राष्ट्र (SIDS) संयुक्त राष्ट्र के 38 सदस्य देशों और 20 गैर-संयुक्त राष्ट्र सदस्यों/संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आयोगों के सहयोगी सदस्यों का एक अलग समूह है जो अद्वितीय सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कमजोरियों का सामना कर रहे हैं।
- इनका उद्देश्य SIDS देशों के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना और वन्यजीवों की रक्षा करने, उनकी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने में उनकी मदद करना है।

स्वतंत्र स्कॉटलैंड की मांग

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक ने स्कॉटलैंड के नए प्रथममंत्री और स्कॉटिश नेशनल पार्टी (एसएनपी) के नेता हमजा यूसुफ के एक मांग को खारिज कर दिया, जिसमें ब्रिटेन से स्कॉटलैंड की स्वतंत्रता के लिए दूसरा जनमत संग्रह कराने की मांग की गई थी।

सन्दर्भ

1. 18वीं सदी से पहले:

- स्कॉटलैंड के स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई थी और इंग्लैंड से स्वतंत्र रहने के लिए इस देश को कई युद्ध लड़ने पड़े। 1603 में, दोनों राज्यों ने एक व्यक्तिगत संधि की क्योंकि उस समय उन पर एक ही सम्राट का शासन था।
- 1707 में, ब्रिटिश और स्कॉटिश संसदों ने ग्रेट ब्रिटेन के नाम से एक राजनीतिक संघ का निर्माण करते हुए संघ के अधिनियमों को पारित किया।
- हालांकि स्कॉटलैंड को अपनी निर्णय लेने की कुछ ही शक्तियों को बरकरार रखने की अनुमति मिली, उसे संयुक्त संसद में समान प्रतिनिधित्व नहीं मिला, और लंबे समय तक सांस्कृतिक और राजनीतिक मतभेद बने रहे।

2. 20वीं सदी और वर्तमान परिदृश्य के दौरान:

- स्कॉटलैंड में स्व-शासन की मांग अंकुरित होने लगी, अंततः 1979 और 1997 में दो जनमत संग्रह हुए, जिसके परिणामस्वरूप 1999 में स्कॉटलैंड की एक नई न्यागत संसद का गठन हुआ।
- इस संसद को स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा आदि जैसे मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, जबकि रक्षा, विदेश नीति, व्यापार, आप्रवास और मुद्रा पर कानून बनाने की शक्ति आरक्षित थी।
- आजादी के लिए आखिरी जनमत संग्रह 2014 में हुआ था, जहां 55% स्कॉट्स ने तीन-सदियों पुराने संघ में रहने के लिए मतदान किया था जबकि 45% ने बाहर निकलने के लिए मतदान किया था।

आगे की राह

स्कॉटलैंड के हाल के चुनावों से पता चलता है कि स्वतंत्रता पर 'हां' वोट का समर्थन देश में 39% तक गिर गया है, जो कि 2014 के जनमत संग्रह के दौरान कम था, इस प्रकार प्रथममंत्री की प्राथमिकता पहले स्कॉटिश नागरिकों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन का निर्माण करने की होगी।

यूके का स्टैंड

- ब्रिटिश सरकार का मानना है कि एसएनपी इस बात की स्पष्ट तस्वीर देने में विफल रही है कि एक स्वतंत्र स्कॉटलैंड में पेंशन और स्वास्थ्य सेवा के मुद्दे कैसे हल होंगे।
- इसने स्कॉटलैंड को यह भी चेतावनी दी है कि यदि वह यूरोपीय संघ में फिर से शामिल होता है, तो इससे स्कॉटलैंड और ब्रिटेन के बीच एक सख्त सीमा का निर्माण होगा।

मांग के कारण

- स्कॉटलैंड को वर्तमान में अपने वार्षिक व्यय के एक बड़े हिस्से के लिए ब्रिटिश सरकार से एक ब्लॉक अनुदान प्राप्त होता है, जिसे वह स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद उत्तरी सागर से तेल राजस्व के साथ प्रतिस्थापित करने की योजना बना रहा है।
- स्कॉटिश नेशनल पार्टी (एसएनपी) का कहना है कि उत्तरी सागर के तेल राजस्व का उपयोग भविष्य की पीढ़ियों में निवेश करने के बजाय, यू.के. अपने निजी मुद्दो को पूरा कर रहा है।
- इसके अलावा, पार्टी की यूरोपीय संघ में फिर से शामिल होने, ब्लॉक में अपने व्यापार का विस्तार करने और अन्य संबद्ध लाभ प्राप्त करने की भी योजना है।
- यह स्वतंत्रता के बाद अपनी मुद्रा के रूप में ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग का उपयोग जारी रखने की योजना बना रहा है।
- यह भी मानता है कि यूके भविष्य में ब्रेक्सिट जैसे अन्य निर्णय ले सकता है जो स्कॉटिश हितों को कमजोर करेगा।

संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन (UN2023WC) 22-24 मार्च को न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। 46 साल बाद पानी पर इस तरह की यह पहली बैठक थी। सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय कार्य दशक की मध्यावधि व्यापक समीक्षा के साथ मेल खाता है।

जल सम्मेलन के बारे में

- इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने हेतु सरकारों, कंपनियों, गैर-सरकारी संगठनों और अनुदानदाताओं की गतिविधियों को बेहतर ढंग से संरेखित करने का काम करते हैं।
- वे देशों को दूसरों के अनुभवों से सीखने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और निवेश करने में भी मदद करते हैं।

पिछले संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन के बारे में

- अंतिम संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 1977 में आयोजित किया गया था।
- इसके परिणामस्वरूप पहली वैश्विक श्कार्य योजनाश बनी।
- इसने मान्यता दी कि "सभी लोगों को, चाहे उनके विकास का स्तर और सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां कुछ भी हों, उन्हें पीने के पानी की मात्रा और उनकी बुनियादी जरूरतों के बराबर गुणवत्ता का अधिकार है"।
- इस घोषणा के कारण कई दशकों तक वैश्विक वित्त पोषण और सभी के लिए पीने का पानी और स्वच्छता प्रदान करने के लिए ठोस प्रयास किए गए।
- इन कार्यवाहियों ने अधिकांश विकासशील देशों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता को काफी बढ़ा दिया।

सम्मेलन का परिणाम

- आज की जल समस्याओं की जटिलता सम्मेलन की कार्यवाही में परिलक्षित हुई जहां खंडित चर्चाओं से कोई बाध्यकारी प्रतिबद्धता नहीं हुई।
- कार्यक्रम में घोषित कुछ प्रतिबद्धताएं हैं:
  - **प्रौद्योगिकी**-दूरस्थ क्षेत्रों में अपशिष्ट जल उपचार या पानी के सौर उपचार में विशिष्ट नवाचार थे, और जल प्रबंधन पर केंद्रित इन्क्यूबेशन प्लेटफार्मों के लिए कई प्रस्ताव थे।
  - **डेटा और मॉडल**- हर बड़े निवेश से पहले संभावित प्रभाव का अनुमान लगाया जाता है। ऐसा करने के लिए सिमुलेशन अक्सर महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हें बड़ी मात्रा में इनपुट डेटा की आवश्यकता होती है। डेटा - जेनरेशन के लिए लागत प्रभावी दृष्टिकोण में सेंसर और उपग्रह डेटा शामिल थे।
  - **ज्ञान साझा करना**- इनमें से अधिकांश समस्याओं का समाधान पहले से ही मौजूद है, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र और देश अक्सर समस्या का पुनः समाधान ढूंढते हैं। हमें क्रॉस-लर्निंग में तेजी लाने की जरूरत है।
  - **पर्यावरण, सामाजिक और कॉर्पोरेट प्रशासन**- सम्मेलन ने निष्कर्ष निकाला कि पानी का अधिक कुशलता से उपयोग करने वाले किसानों और उद्योगों के लिए एक बड़ी बाधा यह है कि उनके पास कोई प्रोत्साहन नहीं है। विशेष रूप से, किसान अधिक कुशल नहीं हो रहे हैं या कीटनाशक मुक्त नहीं हो रहे हैं जब तक कि उपभोक्ता अधिक स्थायी रूप से उत्पादित वस्तुओं के लिए प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार न हों।
  - **नागरिक समाज**- नियमों में बदलाव के लिए पैरवी करने वाले नागरिक समाज समूहों द्वारा सामूहिक कार्यवाही के लिए कई मंच थे।
  - **क्षमता निर्माण**- बहुत से लोगों के पास बुनियादी सेवाओं तक पहुंच नहीं है क्योंकि वे खुद के लिए आवाज उठाने में असमर्थ हैं और क्योंकि बुनियादी ढांचा परियोजनाएं समाज में शक्तिशाली अभिनेताओं के लिए और उनके द्वारा डिजाइन की गई हैं। हाशिए पर पड़े समुदायों और महिलाओं को यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाए।

फिनलैंड नाटो में शामिल

चर्चा में क्यों?

फिनलैंड अप्रैल 4, 2023 को नाटो में शामिल हो गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के राजनीतिक समीकरण में एक निश्चित बदलाव को चिह्नित करता है और यह रूस को और अधिक अलगाव की ओर ले जाता है।

बड़ा बदलाव

- अमेरिका के नेतृत्व वाले उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में शामिल होने के लिए, नॉर्डिक देश ने 70 वर्षों से अधिक की सैन्य गुटनिरपेक्षता को समाप्त कर दिया है।
- फिनलैंड रूस के साथ 1,340 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है।
- शीत युद्ध के वर्षों में, सोवियत संघ और पश्चिम के बीच तटस्थता की नीति को 'फिनलैंडीकरण' के रूप में जाना जाता था।
- रूस द्वारा आक्रमण करने से पहले यूक्रेन के लिए जिन विकल्पों पर चर्चा की गई थी, उनमें से एक फिनलैंडीकरण एक विकल्प था।

फिनलैंड द्वारा नाटो में शामिल होने का महत्त्व

- **फिनलैंड:** जबकि देश सुरक्षा के मामले में बेहतर स्थिति में है, यह रूस से होने वाले महत्वपूर्ण व्यापार और पर्यटन राजस्व और पूर्व में पश्चिम के प्रवेश द्वार के रूप में अपनी स्थिति खो देगा।
- **नाटो:** फिनलैंड के शामिल होने से नाटो को एक प्रशिक्षित सेना प्राप्त होती है, जो एक युद्ध की स्थिति में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। अब सीमा दोगुनी हो गयी है, जिससे रूस की सीमा पर अधिक हथियारों की तैनाती संभव है।
- **रूस:** फिनलैंड के कदम ने नाटो को उसके और करीब ला दिया है, जिस चीज का वह सबसे अधिक विरोध करता है, और जिसकी रोकथाम को उसने यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारणों में से एक बताया था।

नाटो के बारे में

- NATO – उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का गठन 1949 में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस सहित 12 देशों द्वारा किया गया था।
- फिनलैंड शामिल होने वाला 31वां देश है।
- नाटो सदस्य एक दूसरे की मदद करने के लिए सहमत हैं यदि उन पर हमला होता है।
- संगठन का मूल लक्ष्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सोवियत विस्तार को चुनौती देना था।
- किसी भी नए आवेदक को गठबंधन के सभी मौजूदा सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के कारण

यूक्रेन के खिलाफ रूस द्वारा छेड़े गये युद्ध ने, छोटे पड़ोसी राष्ट्रों को नाटो की उपलब्ध सावाओं को स्वीकार करके शक्तिशाली सेना का पार्ट बंनने के लिए लालायित कर दिया है।

आवेदन

- फिनलैंड और स्वीडन ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के तुरंत बाद नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया।
- फिनलैंड अब नाटो में शामिल हो गया है लेकिन स्वीडन की सदस्यता को तुर्की और हंगरी ने रोक दिया है।

फिनलैंड-रूस संबंध

- 1939-40 के शीतकालीन युद्ध के बाद फिनलैंड गुटनिरपेक्ष बना रहा।
- सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लेनिनग्राद (अब संट पीटर्सबर्ग) को सुरक्षित रखने के लिए फिनलैंड पर आक्रमण किया था।
- युद्ध मास्को शांति संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसके अंतर्गत फिनलैंड ने सोवियत संघ को अपने भू-भाग सौंपे।
- लेकिन वर्षों की शांति के बावजूद, फिनलैंड ने खुद को आक्रमण के लिए तैयार रखा है।
- देश में अनिवार्य सैन्य सेवा की व्यवस्था है तथा नियमित आपदा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

अग्निपथ योजना पर SC का फैसला

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल, 2023 को सशस्त्र बलों में भर्ती अभियान को पूरा करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। यह भर्ती अभियान पिछले साल जून में अग्निपथ योजना के लॉन्च से बाधित हो गया था।

महत्त्वपूर्ण अवलोकन

- अदालत ने इस सबमिशन को भी खारिज कर दिया कि प्रॉमिसरी एस्टोपेल का सिद्धांत, जो किसी व्यक्ति को वादे से पीछे हटने से रोकता है, यह स्थिति में उत्पन्न होगा।

प्रॉमिसरी एस्टोपेल का सिद्धांत

- प्रोमिसरी एस्टोपेल के सिद्धांत का अर्थ है कि जब एक व्यक्ति एक संबंध बनाने के इरादे से जो कानूनी है, किसी अन्य व्यक्ति से स्पष्ट वादा करता है और बाद वाला व्यक्ति उस पर कार्य करता है, तो वह वादा उस व्यक्ति के लिए एक दायित्व बन जाता है जिसने वादा किया था।

समस्याएँ

प्रशिक्षण:

- लगभग एक वर्ष के प्रशिक्षण की हमारी वर्तमान प्रणाली और तकनीकी हथियारों के लिए और भी अधिक तब तैयार की गई थी जब रंगरूटों की शिक्षा का स्तर और तकनीकी ज्ञान कम था।
- आजकल, हमारे सभी युवा तकनीकी रूप से समझदार हैं।

बॉन्डिंग और एस्प्रिट डे कॉर्प्स:

- एक और पहलू जिस पर काफी चर्चा हुई है, वह है बॉन्डिंग और एस्प्रिट डे कॉर्प्स, और क्या अग्निवीर समय आने पर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे।

अग्निवीरों का पुनर्वास:

- नीति की घोषणा के बाद, विस्थापित अग्निवीरों के पुनर्वास के मुद्दे पर सार्वजनिक आक्रोश था।

अग्निपथ भर्ती योजना के बारे में

- सालाना लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी, और अधिकांश केवल चार वर्षों में सेवा छोड़ देंगे।
- कुल वार्षिक भर्तियों में से केवल 25 प्रतिशत को ही स्थायी कमीशन के तहत अगले 15 वर्षों तक पद पर बने रहने की अनुमति दी जाएगी।
- योजना के तहत भर्ती होने वालों को ष्अग्नीवीरष के रूप में जाना जाएगा।

पात्रता

- सशस्त्र बलों में सभी नई भर्तियों के लिए प्रवेश आयु 17 ½ – 21 वर्ष निर्धारित की गई है।
- भर्ती साल में दो बार की जाएगी।

लाभ

- सशस्त्र बलों की भर्ती नीति में परिवर्तनकारी सुधार।
- युवाओं के लिए देश की सेवा करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का एक अनूठा अवसर।
- सशस्त्र बलों का प्रोफाइल युवा और गतिशील होगा।
- अग्निवीरों के लिए आकर्षक वित्तीय पैकेज।
- अग्निवीरों के लिए सर्वोत्तम संस्थानों में प्रशिक्षण और उनके कौशल और योग्यता को बढ़ाने का अवसर।
- नागरिक समाज में सैन्य लोकाचार के साथ अनुशासित और कुशल युवाओं की उपलब्धता।
- समाज में लौटने वालों और युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में उभरने वालों के लिए पर्याप्त पुनः रोजगार के अवसर।

प्रीलिम्स स्पेशल 2023: विविध-02

विज्ञान

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

➢ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों, विशेष रूप से कंप्यूटर सिस्टम द्वारा मानव इंटेलिजेंस प्रक्रियाओं का अनुकरण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मशीनों या सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदर्शित सब-इंटेलिजेंस है। यह कंप्यूटर विज्ञान की शाखा है जो मानव जैसी बुद्धि के साथ मशीनों तथा सॉफ्टवेयर से विकसित होती है। जॉन मैक्कार्थी ने 1956 में इस शब्द का प्रयोग किया था।

➢ एआई अनुसंधान के केंद्रीय कार्यों (या लक्ष्यों) में तर्क, ज्ञान, योजना, सीखना, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (संचार), धारणा और वस्तुओं को स्थानांतरित करने तथा हेरफेर करने की क्षमता शामिल है।

3 डी प्रिंटिग

➢ 3डी प्रिंटिंग, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के रूप में भी जाना जाता है, को जेरेमी रिफकिन और अन्य ने तीसरी औद्योगिक के रूप में प्रस्तुत किया।

➢ इंटरनेट तकनीक के साथ संयुक्त, 3डी प्रिंटिंग वस्तुत: किसी भी भौतिक उत्पाद के डिजिटल ब्लूप्रिंट को किसी अन्य व्यक्ति को मौके पर उत्पादित करने के लिए तुरंत भेजने की अनुमति देता है, जिससे ऑनलाइन उत्पाद खरीदना लगभग तात्कालिक हो जाता है।

जीन थेरेपी

➢ जीन थेरेपी एक ऐसी तकनीक है जो बीमारी के इलाज के लिए किसी व्यक्ति के जीन को संशोधित करती है। जीन थैरेपी कई तंत्रों द्वारा काम कर सकती है जिसमें जीन की एक स्वस्थ प्रति के साथ रोग पैदा करने वाले जीन को बदलना शामिल है। एडेनोसाइन डेमिनेज (Adenosine Deaminase) की बीमारी के लिए पहली बार 1990 के शुरूआती दशक में जीन थेरेपी का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था।

संवर्धित मांस (Cultured Meat)

➢ संवर्धित मांस, जिसे सुसंस्कृत मांस के रूप में भी जाना जाता है, वास्तविक पशु मांस (समुद्री भोजन और आर्गन मीट सहित) है जो सीधे पशु कोशिकाओं को कल्टीवेट करके उत्पादित किया जाता है। यह उत्पादन विधि भोजन के लिए पशुओं को पालने की आवश्यकता को समाप्त करती है।

➢ 21वीं सदी में, कई अनुसंधान परियोजनाओं ने प्रयोगशाला में 'इन विट्रो मांस (In Vitro Meat)' पर काम किया है। डच टीम द्वारा बनाया गया पहला इन विट्रो बीफबर्गर, अगस्त 2013 में लंदन में प्रेस के लिए एक प्रदर्शन में खाया गया था। संवर्धित मांस निषेधात्मक रूप से महंगा है, लेकिन यह उम्मीद की जाती है कि पारंपरिक रूप से प्राप्त मांस के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए लागत को कम किया जा सकता है।

नैनोटेक्नोलॉजी

➢ नैनोटेक्नोलॉजी विज्ञान और इंजीनियरिंग की उस शाखा को संदर्भित करती है जो नैनोस्केल पर परमाणुओं तथा अणुओं में परिवर्तन करके संरचनाओं, उपकरणों और प्रणालियों के डिजाइन, उत्पादन व उपयोग के लिए समर्पित है।

➢ नैनोटेक्नोलॉजी (कभी-कभी नैनोटेक के लिए संक्षिप्त) एक परमाणु, आणविक और सुपरमॉलीक्यूलर पैमाने पर पदार्थ का परिवर्तन है। नैनोटेक्नोलॉजी का सबसे पुराना व्यापक वर्णन मैक्रोस्केल उत्पादों के निर्माण के लिए परमाणुओं और अणुओं को ठीक से परिवर्तन करने के विशेष तकनीकी लक्ष्य को संदर्भित करता है, जिसे अब आणविक नैनो टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है।

➢ नैनोटेक्नोलॉजी भी लागत कम करती है, मजबूत और हल्की पवन टर्बाइन बनाती है, ईंधन दक्षता में सुधार करती है तथा ऊर्जा बचाने में सहायक होती है।

रोबोटिक

➢ रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की एक शाखा है जिसमें रोबोट की अवधारणा, डिजाइन, निर्माण और संचालन शामिल है। रोबोटिक्स क्षेत्र का उद्देश्य बुद्धिमान मशीनों का निर्माण करना है जो विभिन्न तरीकों से मनुष्यों की सहायता कर सकें।

➢ ये प्रौद्योगिकियां स्वचालित मशीनें होती हैं जो खतरनाक वातावरण या निर्माण प्रक्रियाओं में मनुष्यों की जगह ले सकती हैं या दिखने, व्यवहार या अनुभूति में मनुष्यों के समान हो सकती हैं। इंसानों से मिलते-जुलते रोबोट का एक अच्छा उदाहरण सोफिया है, जो हांगकांग स्थित कंपनी हैनसन रोबोटिक्स द्वारा विकसित एक सामाजिक मानवीय रोबोट है, जिसे 19 अप्रैल, 2015 को सक्रिय किया गया था।

स्टेम सेल थेरेपी

➢ स्टेम सेल थेरेपी एक हस्तक्षेप रणनीति है जो बीमारी या चोट के इलाज के लिए क्षतिग्रस्त ऊतक में नए स्टेम सेल का प्रयोग करती है। कई चिकित्सा शोधकर्ताओं का मानना है कि स्टेम सेल उपचार में मानव रोग का रूप बदलने और पीड़ा को कम करने की क्षमता है। स्टेम कोशिकाओं की आत्म-नवीनीकरण और बाद की पीढ़ियों को अलग-अलग क्षमताओं की परिवर्तनीय डिग्री के साथ जन्म देने की क्षमता ऊतकों की पीढ़ी के लिए महत्त्वपूर्ण क्षमता प्रदान करती है जो शरीर में रोगग्रस्त और क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को संभावित रूप से अस्वीकृति तथा दुष्प्रभावों के न्यूनतम जोखिम के साथ बदल सकती है।

CART-सेल थेरेपी

➢ एक प्रकार का उपचार जिसमें रोगी की टी कोशिकाओं (एक प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिका) को प्रयोगशाला में बदल दिया जाता है ताकि वे कैंसर कोशिकाओं से जुड़ जाएँ और उन्हें मार दें। सीएआरटी कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं पर एक एंटीजन को बाइन्ड (Bind) करने और उन्हें मारने में सक्षम हैं।

डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी

- डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT) एसेट्स के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक डिजिटल प्रणाली है जिसमें ट्रांजेक्शन और उनके विवरण एक ही समय में कई स्थानों पर दर्ज किए जाते हैं। पारंपरिक डेटाबेस के विपरीत, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर (Ledgers) में कोई केंद्रीय डेटा स्टोर या प्रशासन की कार्यक्षमता नहीं होती है।
- डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर या ब्लॉकचेन तकनीक ट्रांजेक्शन की एक पारदर्शी और अपरिवर्तनीय सूची प्रदान करती है। जहां खुले, विकेन्द्रीकृत डेटाबेस की आवश्यकता होती है, आपूर्ति शृंखलाओं से लेकर क्रिप्टोकरेंसी तक के लिए उपयोग की एक विस्तृत शृंखला प्रस्तावित की गई है।

क्लोज्ड इकोलॉजिकल सिस्टम (CES)

- क्लोज्ड इकोलॉजिकल सिस्टम (CES) ऐसे इकोसिस्टम हैं जो सिस्टम के बाहर किसी भी हिस्से के साथ पदार्थ के आदान-प्रदान पर निर्भर नहीं होते हैं। इस शब्द का प्रयोग अक्सर छोटे, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ऐसी प्रणालियाँ वैज्ञानिक रूप से दिलचस्प हैं और संभावित रूप से अंतरिक्ष उड़ानों के दौरान, अंतरिक्ष स्टेशनों या अंतरिक्ष आवासों में जीवन-समर्थन प्रणाली के रूप में काम कर सकती हैं।

समुद्री जल (Sea Water) ग्रीनहाउस

- समुद्री जल ग्रीनहाउस एक ग्रीनहाउस संरचना है जो फसलों के विकास और शुष्क क्षेत्रों में ताजे पानी के उत्पादन को सक्षम बनाता है जो पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का लगभग एक तिहाई हिस्सा है।

टेक्नोलॉजिकल सेंगुलरटी

- टेक्नोलॉजिकल सेंगुलरटी या सेंगुलरटी समय का एक ऐसा प्वाइंट है जहां पर तकनीकी विकास बेकाबू (Uncontrollable) और अपरिवर्तनीय हो जाता है, जिससे मानव सभ्यता में अप्रत्याशित (Unforeseeable) बदलाव होता है।

एक्सास्केल (Exascale) कंप्यूटिंग

- एक्सास्केल कंप्यूटिंग सुपरकंप्यूटिंग का एक नया स्तर है जो अभिसरण मॉडलिंग, सिमुलेशन, एआई और एनालिटिक्स के विशाल कार्यभार का समर्थन करने के लिए प्रति सेकंड कम से कम एक एक्साफ्लॉप (Exaflop) फ्लोटिंग पॉइंट गणना करने में सक्षम है।
- वे बड़ी मात्रा में डेटा का तेजी से विश्लेषण कर सकते हैं और ब्रह्मांड की मूलभूत शक्तियों के पीछे कई अत्यंत जटिल प्रक्रियाओं और संबंधों को वास्तविक रूप से अनुकरण कर सकते हैं जो पहले कभी नहीं किया गया हो।

LiFi

- LiFi एक विजिबल लाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है जो वायरलेस इंटरनेट संचार को बहुत तेज गति से प्रसारित करता है। प्रौद्योगिकी एक एलईडी लाइट बल्ब प्रकाश के पल्स (Pulses) उत्सर्जन करती है जो मानव आंखों के लिए पहुंच से बाहर होता है और उन उत्सर्जित पल्स के भीतर डेटा रिसीवर से यात्रा कर सकता है। फिर, रिसीवर जानकारी एकत्र करते हैं और प्रेषित डेटा की व्याख्या करते हैं। LiFi ट्रांसमिशन की गति 100 Gbps से अधिक हो सकती है, जो WiGig से 14 गुना तेज है, जिसे दुनिया का सबसे तेज वाईफाई भी कहा जाता है।

रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID)

- रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) एक वायरलेस सिस्टम को संदर्भित करता है जिसमें दो घटक होते हैं: टैग और रीडर। रीडर एक ऐसा उपकरण है जिसमें एक या एक से अधिक एंटेना होते हैं जो रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करते हैं और आरएफआईडी टैग से सिग्नल वापस प्राप्त करते हैं।
- आपूर्ति शृंखला के साथ वस्तुओं को ट्रैक करने से लेकर लाइब्रेरी से चेक किए गए आइटमों का ट्रैक रखने तक इसका उपयोग कई वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है।

क्वांटम कम्प्यूटिंग

- क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटर विज्ञान का एक क्षेत्र है जो क्वांटम सिद्धांत के सिद्धांतों का उपयोग करता है। क्वांटम सिद्धांत परमाणु और उपपरमाण्विक स्तरों पर ऊर्जा तथा सामग्री के व्यवहार की व्याख्या करता है। क्वांटम कंप्यूटिंग उप-परमाणु कणों का उपयोग करती है, जैसे इलेक्ट्रॉन या फोटॉन। क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स, इन कणों को एक ही समय में एक से अधिक अवस्थाओं (यानी, 1 और 0) में मौजूद रहने की अनुमति देते हैं।
- क्वांटम कंप्यूटिंग सुरक्षा, वित्त, सैन्य मामलों और खुफिया, दवा डिजाइन व खोज, एयरोस्पेस डिजाइनिंग, उपयोगिताओं (परमाणु संलयन), बहुलक डिजाइन, मशीन सीखने, कृत्रिम बुद्धि (एआई), बिग डेटा खोज और डिजिटल के क्षेत्र में बहुत योगदान दे सकती है।

क्वांटम क्रिप्टोग्राफी

- क्वांटम क्रिप्टोग्राफी एन्क्रिप्शन की एक विधि है जो डेटा को सुरक्षित और संचारित करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के स्वाभाविक रूप से होने वाले गुणों का उपयोग करती है जिसे हैक नहीं किया जा सकता है। क्रिप्टोग्राफी डेटा को एन्क्रिप्ट करने और सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है ताकि केवल वह व्यक्ति जिसके पास सही गुप्त कुंजी हो, उसे डिक्रिप्ट कर सके।

इमर्सिव (Immersive) आभासी वास्तविकता

- इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी तकनीक है जिसका उद्देश्य उपयोगकर्ता को कंप्यूटर जनित दुनिया के अंदर पूरी तरह से ले जाना है, जिससे उपयोगकर्ता को यह आभास हो कि उन्होंने सिंथेटिक दुनिया में 'कदम रखा है'। यह या तो हेड-माउंटेड डिस्प्ले (HMD) या मल्टीपल प्रोजेक्शन की तकनीकों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है।

संवर्धित (Augmented) वास्तविकता

- संवर्धित वास्तविकता होलोग्राफिक तकनीक के माध्यम से डिजिटल

दृश्य तत्वों, ध्वनियों और अन्य संवेदी उत्तेजनाओं के माध्यम से प्राप्त वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक उन्नत व संवादात्मक संस्करण है। संवर्धित वास्तविकता मौजूदा वास्तविक दुनिया के वातावरण का उपयोग करती है और अनुभव को बढ़ाने के लिए आभासी जानकारी या यहां तक कि एक आभासी दुनिया को इसके ऊपर रखती है। उदाहरण के लिए, पोकेमॉन गो (Pokemon Go)

आभासी वास्तविकता

- आभासी वास्तविकता या वीआर एक ऐसी तकनीक है जो आभासी वातावरण बनाती है। लोग इस वातावरण में इंटरैक्ट करते हैं, जैसे- वीआर गॉगल्स या अन्य मोबाइल डिवाइस। यह एक वातावरण या 3-आयामी छवि का एक कंप्यूटर जनित अनुकरण है जहां लोग वास्तविक या भौतिक तरीके से बातचीत कर सकते हैं।

आभासी वास्तविकता और संवर्धित वास्तविकता के बीच अंतर:

- वीआर एक गहन आभासी वातावरण बनाता है, जबकि एआर वास्तविक दुनिया के दृश्य को बढ़ाता है।
- वीआर 75 प्रतिशत वर्चुअल होता है, जबकि एआर केवल 25 प्रतिशत वर्चुअल होता है।
- वीआर को हेडसेट डिवाइस की आवश्यकता होती है, जबकि एआर को नहीं।
- वीआर उपयोगकर्ता पूरी तरह से काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं, जबकि एआर उपयोगकर्ता वास्तविक दुनिया के संपर्क में रहते हैं।
- एआर को वीआर से अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है।

लिथियम-एयर बैटरी

- लिथियम-एयर बैटरी एक मेटल-एयर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या बैटरी केमिस्ट्री है जो एनोड पर लिथियम के ऑक्सीकरण का उपयोग करती है और कैथोड पर ऑक्सीजन की कमी को वर्तमान प्रवाह को प्रेरित करती है। लिथियम और परिवेशी (Ambient) ऑक्सीजन की जोड़ी सैद्धांतिक रूप से उच्चतम संभव विशिष्ट ऊर्जा के साथ विद्युत रासायनिक कोशिकाओं को जन्म दे सकती है।
- माना जाता है कि लिथियम-एयर बैटरी में आज के फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने वाली लिथियम-आयन बैटरी की तुलना में पांच गुना अधिक ऊर्जा धारण करने की क्षमता होती है।

लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी

- लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी या एलएफपी बैटरी एक प्रकार की लिथियम-आयन बैटरी है जो कैथोड सामग्री के रूप में लिथियम आयरन फॉस्फेट का उपयोग करती है और एनोड के रूप में धातु के बैकिंग के साथ एक ग्रेफाइटिक कार्बन इलेक्ट्रोड है।
- LiFePO4 बैटरी में साइकिल लाइफ (यह 4-5 गुना अधिक समय तक चलती है) और सुरक्षा दोनों के मामले में लिथियम आयन से बेहतर है। यह एक महत्त्वपूर्ण लाभ है क्योंकि लिथियम आयन बैटरी ज्यादा गरम हो सकती है और आग भी पकड़ सकती है, जबकि LiFePO4 ऐसा नहीं करता।

4डी प्रिंटिंग

- 4डी प्रिंटिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक 3डी प्रिंटेड वस्तु तापमान, प्रकाश या अन्य पर्यावरणीय उत्तेजनाओं के रूप में बाहरी ऊर्जा इनपुट के प्रभाव पर खुद को दूसरी संरचना में बदल लेती है।

संभावित अनुप्रयोग:

- सेल्फ रिपेयर पाइपिंग सिस्टम
- सेल्फ असंबली फर्नीचर

क्रायोजेनिक उपचार

- एक क्रायोजेनिक उपचार वर्कपीस को क्रायोजेनिक तापमान (यानी -190 डिग्री सेल्सियस (-310 डिग्री फारेनहाइट) से नीचे) के इलाज की प्रक्रिया है ताकि अवशिष्ट तनाव को दूर किया जा सके तथा स्टील्स और अन्य धातु मिश्र धातु जैसे एल्यूमीनियम में पहनने के प्रतिरोध में सुधार किया जा सके। क्रायोजेनिक उपचार कई सामग्रियों जैसे मिश्र धातु, धातु, कार्बाइड, पॉलिमर, कंपोजिट और सिरेमिक के लिए लागू होता है।

कार्बन नैनोट्यूब (CNT)

- कार्बन नैनोट्यूब शुद्ध कार्बन के बड़े अणु होते हैं जो ट्यूब के आकार के होते हैं, जिनका व्यास लगभग 1-3 नैनोमीटर (1 एनएम = 1 अरबवां मीटर) होता है और सैकड़ों से हजारों नैनोमीटर लंबे होते हैं। व्यक्तिगत अणुओं के रूप में नैनोट्यूब स्टील से 100 गुना अधिक मजबूत होते हैं और इसके वजन का छठा हिस्सा होते हैं।
- ये लाभ सीएनटी को कई अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाते हैं जैसे-ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉन-क्षेत्र उत्सर्जक, रासायनिक/इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर, बायोसेंसर, लिथियम-आयन बैटरी, हाइड्रोजन स्टोरेज सेल, सुपरकैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल शील्डिंग डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इत्यादि।

ग्राफीन

- ग्राफीन कार्बन का एक एलोट्रॉप (Allotrope) है जिसमें हेक्सागोनल लैटिस नैनोस्ट्रक्चर में व्यवस्थित परमाणुओं की एक परत होती है। यह नाम 'ग्रेफाइट' और प्रत्यय -ईन से लिया गया है, जो इस तथ्य को दर्शाता है कि कार्बन के ग्रेफाइट एलोट्रॉप में कई दोहरे बंधन हैं।
- ग्राफीन के पास अपने असाधारण यांत्रिक, विद्युत तथा तापीय गुणों के कारण संभावित अनुप्रयोगों और उपयोगों की एक विस्तृत शृंखला है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा भंडारण, सेंसर, कोटिंग्स, कंपोजिट, बायोमेडिकल डिवाइस और कई अन्य में किया जाता है।

चुंबकीय नैनोकण

- चुंबकीय नैनोकण नैनोकणों का एक वर्ग है जिसे चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके मैनिपुलेट (Manipulate) किया जा सकता है। ऐसे कणों में आमतौर पर दो घटक होते हैं, पहला चुंबकीय सामग्री जिसमें लोहा, निकल और कोबाल्ट जबकि दूसरा एक रासायनिक घटक होता है।
- चुंबकीय नैनोकणों का उपयोग पृथक्करण प्रक्रियाओं में चुंबकीय वाहक आणविक मान्यता घटनाओं का पता लगाने के लिए बायोसेंसर और चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग के लिए कंट्रास्ट एजेंट के रूप में किया जाता है।

क्वांटम डॉट्स (क्यूडी)

- क्वांटम डॉट्स (QDs) मानव निर्मित नैनोस्केल क्रिस्टल हैं जो यूवी प्रकाश के संपर्क में आने पर इलेक्ट्रॉनों को परिवहन करने और विभिन्न रंगों के प्रकाश का उत्सर्जन करने की क्षमता सहित अद्वितीय ऑप्टिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक गुणों का प्रदर्शन करते हैं। इन कृत्रिम रूप से संश्लेषित अर्धचालक नैनोकणों में सम्मिश्र, सौर कोशिकाओं, फ्लोरोसेंट जैविक लेबलिंग, डिस्प्ले, प्रकाश व्यवस्था और चिकित्सा इमेजिंग में उपयोग सहित संभावित अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है।

सिलिसीन (Silicene)

- सिलिसीन सिलिकॉन का एक द्वि-आयामी एलोट्रॉप है, जिसमें ग्रेफाइट के समान हेक्सागोनल संरचना होती है। ट्रांजिस्टर से लेकर फोटोडेटेक्टर तक, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को डिजाइन करने के लिए सिलिसीन का उपयोग किया गया है।

आनुवंशिक प्रदूषण

- आनुवंशिक प्रदूषण जंगली आबादी में अनियंत्रित जीन प्रवाह के लिए एक शब्द है। इसे 'आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों से प्राकृतिक जीवों में दूषित परिवर्तित जीनों के फैलाव' के रूप में परिभाषित किया गया है। यह गैर-लक्षित जीवों को प्रभावित करके पारिस्थितिक तंत्र को भी बदल सकता है।

नैनोमेडिसिन

- नैनोमेडिसिन नैनो टेक्नोलॉजी का चिकित्सा अनुप्रयोग है। नैनोमेडिसिन नैनोमैटेरियल्स और जैविक उपकरणों के चिकित्सा अनुप्रयोगों से लेकर नैनोइलेक्ट्रॉनिक बायोसेंसर, यहां तक कि जैविक मशीनों जैसे आणविक नैनोटेक्नोलॉजी के संभावित भविष्य के अनुप्रयोगों में होता है।

ब्रिजटाउन पहल

- ब्रिजटाउन पहल प्रक्रिया के अन्तर्गत अमीर देश, गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने और अनुकूलन करने में मदद करते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल

- इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल पारंपरिक कपड़ों और फाइबर को इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जोड़ते हैं। ई-टेक्सटाइल गर्मी, प्रकाश, संचलन और अन्य स्थानीय स्थितियों पर सेंसर डेटा सहित डेटा के हस्तांतरण को सक्षम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकीकृत टेक्सटाइल को मुख्य रूप से पहनने योग्य कंप्यूटिंग को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिसके कई अन्य अनुप्रयोग भी हैं।

स्मार्ट टेक्सटाइल

- स्मार्ट टेक्सटाइल या स्मार्ट फैब्रिक, एक टेक्सटाइल के रूप में जो बाहरी उत्तेजनाओं (गर्मी, रसायन, चुंबकत्व या यांत्रिक उत्तेजना) पर प्रतिक्रिया करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक घटक हो। स्मार्ट टेक्सटाइल का एक उदाहरण 'ई-टेक्सटाइल' की परिभाषा को पूरा नहीं करता है, वह थर्मोक्रोमिक फैब्रिक है। यह ऐसा कपड़ा है जो तापमान के अनुसार अपना रंग बदलता है। सही सामग्री से बना एक स्मार्ट कपड़ा अपनी संरचना को भी बदल सकता है और पहनने वाले को आराम से रखने के लिए एयरफ्लो को समायोजित कर सकता है क्योंकि वे अलग-अलग परिस्थितियों में अनुकूलन योग्य होते हैं।

ब्रह्मोस द्वितीय

- ब्रह्मोस-II या ब्रह्मोस-2 या एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो वर्तमान में भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा रूस के एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया के संयुक्त विकास के तहत ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया है।
- ब्रह्मोस-द्वितीय की रेंज 1,000 किलोमीटर (620 मील; 540 एनएम) और मैक 8 की गति होने की उम्मीद है। उड़ान के क्रूज चरण के दौरान मिसाइल को स्क्रैमजेट एयरब्रेथिंग जेट इंजन द्वारा चलाया जाएगा।

कृषि

खरीफ की फसलें

- खरीफ फसलें, जिन्हें मानसून फसलों के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के मानसून के मौसम के दौरान भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में खेती की जाती है जो क्षेत्र के आधार पर जून से नवंबर तक चलती है। भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश मई के प्रारम्भ में शुरू होती है और आम तौर पर सितंबर के तीसरे सप्ताह से अक्टूबर तक फसलों की कटाई के समय तक होती है। चावल, मक्का और कपास भारत की कुछ प्रमुख खरीफ फसलें हैं।

खरीफ फसलों के उदाहरण:

- चावल
- मक्का
- बाजरा
- सोयाबीन
- कपास

रबी की फसलें

- रबी की फसल जिसे सर्दियों की फसल के रूप में भी जाना जाता है। ये नवंबर के मध्य में बोई जाती हैं, खासकर मानसून की बारिश खत्म होने के बाद तथा कटाई अप्रैल/मई में होती है। फसलें या तो बारिश के पानी से उगाई जाती हैं जो जमीन में चली जाती हैं या सिंचाई का उपयोग करती हैं। सर्दियों में अच्छी बारिश रबी की फसल को खराब कर देती है, लेकिन खरीफ की फसल के लिए अच्छी होती है।

रबी फसलों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

- गेहूँ
- जौ
- जई

- दाल
- सरसों
- अलसी का बीज

तिलहन (Oil Seeds)

- भारत विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन और अरंडी (Castor) के बीज भारत में उत्पादित कुछ प्रमुख तिलहन हैं।
- तिलहनी फसलें कृषि अर्थव्यवस्था का दूसरा सबसे महत्त्वपूर्ण निर्धारक हैं, जो कि खेत के फसलों में अनाज के बाद आता है।
- 1990 के दशक की शुरुआत में 'पीली क्रांति' के माध्यम से प्राप्त तिलहन में आत्मनिर्भरता को एक छोटी अवधि से अधिक बनाए नहीं रखा जा सका।
- अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण भारत बड़ी मात्रा में तिलहन का उत्पादन कर सकता है।
- अरंडी के बीज, तिल, रेपसीड, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अलसी, नाइजर के बीज, सूरजमुखी और कुसुम कुछ महत्त्वपूर्ण तिलहन हैं जिनका भारत उत्पादन करने के लिए जाना जाता है।
- दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा तिलहन फसल उत्पादक देश होने के बावजूद भारत वनस्पति तेलों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है।
- भारत अपने कुल खाद्य तेल आयात का दो-तिहाई से अधिक पॉम आयल के रूप में खरीदता है।
- चीन के बाद, भारत मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है तथा चीन और कनाडा के बाद रेपसीड के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है।
- भारत में प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश हैं।

दाल

- दलहन वार्षिक फलीदार फसलें हैं जिसका उपयोग भोजन और फीड दोनों के लिए किया जाता है।
- दलहनी फसलों की खेती कृषि वर्ष के खरीफ, रबी और जायद मौसम में की जाती है।
- रबी फसलों को बुवाई के समय हल्की ठंडी जलवायु, फली के विकास के समय ठंडी जलवायु और परिपक्वता/कटाई के समय गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है।
- इसी प्रकार, खरीफ दलहनी फसलों को बुवाई से लेकर कटाई तक जीवन भर गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। ग्रीष्म ऋतु की दालें उष्ण जलवायु की वासस्थली होती हैं।

भारत में आधुनिक कृषि तकनीक

आदिम खेती (Primitive Farming):

- इस प्रकार की खेती में, एक किसान अपने परिवार के सदस्यों की मदद से सरल उपकरण और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता का उपयोग करके जमीन पर खेती करता है। आदिम निर्वाह खेती को स्लेश एंड बर्न कृषि या झूम खेती भी कहा जाता है।

निर्वाह (Subsistence) कृषि:

- निर्वाह खेती कृषि का एक रूप है लगभग जिसकी खेती भरण-पोषण करने के लिए की जाती है। यह एक प्रकार की कृषि है जिसमें एक किसान फसलों का उत्पादन करता है और अपने परिवार की जरूरतों या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जानवरों को पालता है।

व्यावसायिक खेती:

- यह एक आधुनिक खेती पद्धति है जहां किसान अतिरिक्त लाभ के लिए नए युग के विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हैं। इसमें कीटनाशकों और उर्वरकों का भी उपयोग किया जाता है क्योंकि उगाई जाने वाली फसलें भूमि के बड़े टुकड़ों में फैली होती हैं। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में एक बड़ा प्रतिशत योगदान देती है। हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल में किसान वाणिज्यिक कृषि तकनीकों का उपयोग करते हैं।

वृक्षारोपण (Plantation) खेती:

- यह वाणिज्यिक खेती का एक और सबसेट है। यह श्रम और प्रौद्योगिकी दोनों का उपयोग करता है। यह टिकाऊ प्रक्रिया है क्योंकि वृक्षारोपण भूमि के विशाल टुकड़ों में फैले हुए हैं। उगाई जाने वाली फसलों की प्रकृति के कारण इसमें कृषि और उद्योग दोनों शामिल हैं।

एरोपोनिक्स (Aeroponics) सिस्टम:

- एरोपोनिक्स वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी के उपयोग के बिना हवा या धुंध के वातावरण में पौधे उगाए जाते हैं। यह हाइड्रोपोनिक्स का सबसेट है जो पौधे की जड़ को हवा में छोड़ देता है। यह हाइड्रोपोनिक्स से अलग है, जहां पौधों की जड़ें पानी और पोषक तत्वों के घोल में डूबी रहती हैं।

एक्वापोनिक्स (Aquaponics):

- एक्वापोनिक्स पौधों और मछलियों के बीच एक सहयोग है, पौधों को ग्रो बेड में उगाया जाता है और मछली को फिश टैंक में रखा जाता है। फिश टैंक में पोषक तत्वों से भरपूर पानी जिसमें फिश वेस्ट होता है, ग्रो बेड में डाला जाता है।

हाइड्रोपोनिक्स:

- हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बजाय पानी आधारित पोषक तत्व घोल का उपयोग करके पौधों को उगाने की तकनीक है। इस प्रक्रिया में पानी के घोल सहित पोषक तत्वों का उपयोग करके ठोस माध्यम को शामिल किए बिना स्वस्थ पौधों को उगाना शामिल है जो खनिज युक्त है। हाइड्रोपोनिक खेती हाइड्रोकल्चर का सबसेट है और हाइड्रोपोनिक खेती प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले पोषक तत्वों के अलग-अलग स्रोत हैं।

SRI प्रणाली:

- चावल सघनता की प्रणाली में अधिक से अधिक जैविक खाद के साथ चावल की खेती शामिल है, जो एक वर्ग पैटर्न में व्यापक दूरी पर अकेले रोपे गए नए पौधों से शुरू होती है। इसमें आंतरायिक (Intermittent) सिंचाई के साथ जो मिट्टी को नम रखती है लेकिन जलमग्न नहीं करती है।

शून्य-बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF):

- वर्ष 2019-20 के बजट में शून्य बजट आधारित प्राकृतिक खेती ZBNF की बात की गई थी। यह पहली बार सुभाष पालेकर (जिन्हें 2016 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था) द्वारा हरित क्रांति के कारण कर्ज में डूबे किसानों के लिए एक आंदोलन के रूप में प्रचारित किया गया था। ZBNF न तो रसायनयुक्त है और न ही जैविक। इस विधि में रासायनिक निर्मित आदानों से बचकर और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक उत्पादों पर भरोसा करके इनपुट लागत को शून्य तक कम करने का प्रयास किया जाता है।

मिश्रित फसल:

- मिश्रित फसल या विविध फसल में दो या दो से अधिक फसलें एक ही समय में एक खेत में उगाई जाती हैं। यदि संयोग से एक फसल विफल हो जाती है, तो अन्य फसलें कुल फसल विफलता के जोखिम को कवर कर सकती हैं।
- आमतौर पर लंबी अवधि की फसल को कम अवधि वाली फसल के साथ उगाया जाता है, इसलिए परिपक्वता के समय दोनों को पर्याप्त पोषण मिलता है। आम तौर पर, फलीदार फसल को मुख्य फसल (अंतर फसल) के साथ उगाया जाता है।

विविध या मिश्रित फसल पद्धतियों में अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियाँ हैं:

- **मल्टीवैराइटी खेती-** इसमें एक ही फसल की कई आनुवंशिक किस्में लगाई जाती हैं।
- **इंटरक्रॉपिंग-** वह जगह है जहां दो या दो से अधिक अलग-अलग फसलें एक साथ उगाई जाती हैं
- **पॉलीकल्चर-** इसमें अलग-अलग समय पर परिपक्व होने वाले विभिन्न पौधों को एक साथ लगाया जाता है।

मिश्रित खेती:

- मिश्रित खेती एक प्रकार की खेती है जिसमें फसलों को उगाना और पशुओं को पालना दोनों शामिल हैं। इसके कई फायदे हैं जैसे फसलों और पशुओं को एक ही खेती के संचालन में एकीकृत करके इष्टतम विविधता प्राप्त करना।

फैक्ट्री फार्मिंग:

- फैक्ट्री फार्मिंग बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन का एक तरीका है जिसमें सर्वोत्तम संभव लाभ प्राप्त करने के लिए पशुओं को बहुत ही सीमित क्षेत्रों में रखा जाता है।
- यह खेती विशेष रूप से विकसित देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय देशों, ऑस्ट्रेलिया आदि में प्रचलित है।

प्रेसिजन कृषि (Precision Agriculture):

- प्रेसिजन एग्रीकल्चर (PA) एक कृषि प्रबंधन अवधारणा है जो फसलों में अंतर और अंतर-क्षेत्र परिवर्तनशीलता को देखने, मापने और प्रतिक्रिया देने पर आधारित है। पीए को कभी-कभी सटीक खेती, सैटेलाइट एग्रीकल्चर, आवश्यकतानुसार खेती और साइट-विशिष्ट फसल प्रबंधन (एसएससीएम) के रूप में भी जाना जाता है।

वर्टिकल फार्मिंग:

- वर्टिकल फार्मिंग वर्टिकल स्टैक्ड लेयर्स में फसल उगाने की प्रथा है। यह अक्सर नियंत्रित-पर्यावरण कृषि को शामिल करता है, जिसका उद्देश्य पौधों की वृद्धि को अनुकूलित करना है तथा हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसी मिट्टी रहित खेती तकनीकें शामिल हैं। वर्टिकल फार्मिंग सिस्टम को घर में रखने के लिए संरचनाओं के कुछ सामान्य विकल्पों में इमारतें, शिपिंग कंटेनर, सुरंगें और परित्यक्त खान शाफ्ट शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय बीज संधि

- अंतर्राष्ट्रीय बीज संधि जैविक विविधता पर सम्मेलन के अनुरूप एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य खाद्य और कृषि के लिए विश्व के पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, विनिमय और सतत उपयोग के माध्यम से खाद्य सुरक्षा की गारंटी देना है। इसके तहत उचित और न्यायसंगत उपयोग व उत्पन्न लाभ साझाकरण, साथ ही साथ किसानों के अधिकारों की मान्यता देना भी शामिल है। यह 2001 में मैड्रिड में हस्ताक्षर किया गया था, और 29 जून 2004 को लागू हुआ।

बीज ग्राम योजना

- इसे 2014-15 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। यह कार्यक्रम बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन का एक प्रमुख घटक है।
- इसका उद्देश्य किसान के सहेजे गए बीजों की गुणवत्ता को उन्नत करना है।
- इस कार्यक्रम के तहत, अनाज फसलों के लिए बीज लागत का 50% और दलहन, तिलहन, चारा तथा हरी खाद की फसलों के लिए 60% की दर से प्रति किसान एक एकड़ तक नींव/प्रमाणित बीज के वितरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

एमएसपी

- MSP वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है, और यह किसानों द्वारा किए गए उत्पादन की लागत के कम से कम डेढ़ गुना की गणना पर आधारित होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कृषि उत्पादकों को कृषि कीमतों में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ बीमा करने के लिए भारत सरकार द्वारा बाजार हस्तक्षेप का एक रूप है।

एमएसपी के तहत फसलें:

- कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) 22 अनिवार्य फसलों के लिए MSP तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) की सिफारिश करता है।
- CACP कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है।
- अनिवार्य फसलों में खरीफ सीजन की 14 फसलें, 6 रबी फसलें और 2 अन्य व्यावसायिक फसलें शामिल हैं।
- तोरिया और छिलके वाले नारियल (De-husked Coconut) के लिए भी एमएसपी क्रमशः रेपसीड तथा खोपरा (Copra) के एमएसपी के आधार पर तय किया जाता है।

एमएसपी की सिफारिश करने वाले कारक:

- सीएसीपी किसी वस्तु के लिए एमएसपी की सिफारिश करते समय

खेती की लागत सहित विभिन्न कारकों पर विचार करता है।

- यह कमोडिटी के लिए आपूर्ति और मांग की स्थिति, बाजार मूल्य के रुझान (घरेलू तथा वैश्विक) और अन्य फसलों की तुलना में समानता एवं उपभोक्ताओं (मुद्रास्फीति), पर्यावरण (मिट्टी व पानी का उपयोग) और व्यापार की शर्तों के लिए निहितार्थ को ध्यान में रखता है।
- **उत्पादन लागत के तीन प्रकार:** सीएसीपी प्रत्येक फसल के लिए राज्य और अखिल भारतीय औसत स्तर पर तीन प्रकार की उत्पादन लागत का अनुमान लगाता है।
- **ए2:** किसान द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशकों, किराए के श्रम, लीज पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर सीधे तौर पर नकद और वस्तु के रूप में किए गए सभी भुगतान लागतों को कवर करता है।
- **ए2+एफएल:** इसमें ए2 प्लस अवैतनिक पारिवारिक श्रम का एक आरोपित मूल्य शामिल है।
- **सी2:** यह ए2+एफएल के शीर्ष पर स्वामित्व वाली भूमि और अचल पूंजीगत संपत्तियों पर किराए तथा ब्याज को छोड़कर एक अधिक व्यापक लागत है।
- एमएसपी की सिफारिश करते समय सीएसीपी ए2+एफएल और सी2 दोनों लागतों पर विचार करता है।

कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)

- कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) भारत सरकार की एक विकेन्द्रीकृत एजेंसी है। यह 1965 में कृषि मूल्य आयोग के रूप में स्थापित किया गया था जिसे 1985 में इसका वर्तमान नाम दिया गया था। यह भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़ी एक सलाहकार संस्था है, न कि वैधानिक।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की सिफारिश करने के लिए आयोग की स्थापना की गई थी, ताकि किसानों को संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके।

भारतीय खाद्य निगम

- भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में 1964 के खाद्य निगम अधिनियम के तहत की गई थी।
- FCI उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) है।
- FCI की स्थापना राष्ट्रीय खाद्य नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई थी।

एफसीआई का विजन और मिशन

- FCI का विजन देश के नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कुशल खरीद, खाद्यान्न का भंडारण और वितरण।
- उपयुक्त नीतिगत उपकरणों के माध्यम से खाद्यान्न और चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करना जिसमें खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव शामिल है।
- पीडीएस के तहत समाज के कमजोर वर्गों के लिए उचित मूल्य पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

खरीद:

- केंद्र सरकार एफसीआई तथा राज्य एजेंसियों के माध्यम से गेहूं, धान और मोटे अनाज की खरीद के लिए मूल्य समर्थन देती है।
- सार्वजनिक खरीद एजेंसियों द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप सभी खाद्यान्न न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और घोषित प्रोत्साहन बोनस पर खरीदे जाते हैं।
- दलहन और तिलहन की खरीद के लिए FCI को एक अतिरिक्त नोडल एजेंसी के रूप में भी नामित किया गया है।

वितरण:

- एफसीआई खरीदे गए अनाज के माध्यम से टीपीडीएस की आवश्यकताओं को पूरा करता है जो सरकार द्वारा निर्धारित केंद्रीय निर्गम मूल्य पर जारी किए जाते हैं।
- एफसीआई उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए अपने बेस डिपो से राज्य एजेंसियों को खाद्यान्न वितरित करता है।
- एफसीआई की भूमिका महत्त्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 टीपीडीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अत्यधिक रियायती कीमतों पर अनाज वितरित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली:

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न के वितरण और आपात स्थिति के प्रबंधन के लिए एक प्रणाली के रूप में विकसित की गयी है।
- पीडीएस केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित होता है। केंद्र सरकार ने एफसीआई के माध्यम से राज्य सरकारों को खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और थोक आवंटन की जिम्मेदारी संभालती है।

एगमार्क:

- एगमार्क कृषि उपज के लिए एक प्रमाणन चिह्न है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे कृषि उत्पाद (ग्रेडिंग मार्किंग) अधिनियम, 1937 के तहत विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) द्वारा अधिसूचित ग्रेड मानक के अनुरूप हैं।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI):

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की स्थापना सितंबर 2008 में खाद्य सुरक्षा तथा मानक (FSS) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत खाद्य सुरक्षा के सभी मामलों पर शीर्ष प्राधिकरण के रूप में और उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित व पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए की गई थी।
- खाद्य सुरक्षा और मानक (FSS) अधिनियम, 2006 निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ अधिनियमित किया गया था:
  - भोजन से संबंधित कानूनों को समेकित करना और खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करना।
  - मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की

उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा आयात को विनियमित करना।

- FSSAI में एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं।
- FSSAI खाद्य मानकों को स्थापित करने का प्रभारी है ताकि उपभोक्ताओं, व्यापारियों, निर्माताओं और निवेशकों को केवल एक संगठन से जुड़ना पड़े।
- FSSAI को दी गई वैधानिक शक्तियाँ निम्नलिखित हैं:
  - खाद्य सुरक्षा मानकों को निर्धारित करने के लिए विनियमों को बनाना।
  - खाद्य परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की मान्यता के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करना।
  - केंद्र सरकार को वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
  - भोजन में अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों के विकास में योगदान देना।
  - भोजन की खपत, संदूषण, उभरते जोखिमों आदि के बारे में डेटा एकत्र करना और मिलान करना।
  - भारत में खाद्य सुरक्षा और पोषण के बारे में जानकारी का प्रसार करके जागरूकता को बढ़ावा देना।

कृषि जनगणना 2015-16

- देश में परिचालन जोत (Operational Holdings) की कुल संख्या 2010-11 में 138.35 मिलियन से बढ़कर 2015-16 में 146.45 मिलियन हो गई है, जो 5.86% की वृद्धि दर्शाती है।
- देश में कुल संचालित क्षेत्र 2010-11 में 159.59 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 2015-16 में 157.82 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, जो 1.11% की कमी दर्शाता है।
- देश में कुल 146.45 मिलियन परिचालन होल्डिंग्स में, परिचालन धारकों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश (23.82 मिलियन) से संबंधित है। इसके बाद बिहार (16.41 मिलियन), महाराष्ट्र (15.29 मिलियन), मध्य प्रदेश (10.00 मिलियन), कर्नाटक (8. 68 मिलियन), आंध्र प्रदेश (8.52 मिलियन), तमिलनाडु (7.94 मिलियन), राजस्थान (7.66 मिलियन), केरल (7.58 मिलियन) आदि का स्थान है। संचालित क्षेत्र के संबंध में, कुल 157.82 मिलियन हेक्टेयर में से, उच्चतम संचालित क्षेत्र का योगदान राजस्थान (20.87 मिलियन हेक्टेयर), उसके बाद महाराष्ट्र (20. 51 मिलियन हेक्टेयर), उत्तर प्रदेश (17.45 मिलियन हेक्टेयर), मध्य प्रदेश (15.67 मिलियन हेक्टेयर), कर्नाटक (11.81 मिलियन हेक्टेयर) आदि का है।
- कृषि गणना 2010-11 की तुलना में 2015-16 में परिचालन जोत की संख्या में प्रतिशत वृद्धि 5.86% थी। राज्यों में, जोत में सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश (12.74%) के मामले में देखी गई। उसके बाद आंध्र प्रदेश (11.85%), महाराष्ट्र (11.58%), राजस्थान (11.12%), केरल (11.02%), मेघालय (10.90%) %), कर्नाटक (10.83%) और नागालैंड (10.16%) आदि हैं।
- देश के 36 में से 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परिचालन जोत की कुल संख्या का लगभग 91.01% और देश में संचालित कुल क्षेत्रफल का लगभग 88.19% है। ये राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं।
- परिचालन जोत का औसत आकार 2010-11 में 1.15 की तुलना में 2015-16 में घटकर 1.08 हेक्टेयर रह गया है।
- संचालित क्षेत्र में 10.36% और 11.72% के संबंधित आंकड़ों के साथ महिला परिचालन धारकों का प्रतिशत हिस्सा 2010-11 में 12.79% से बढ़कर 2015-16 में 13.96% हो गया है। इससे पता चलता है कि अधिक से अधिक महिलाएं कृषि भूमि के प्रबंधन और संचालन में भाग ले रही हैं।
- 2010-11 में 85.01% की तुलना में 2015-16 में छोटी और सीमांत जोत (0-2 हेक्टेयर) तक कुल जोत का 86.08% थी, जबकि संचालित क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी 2010-11 में 44.58% की तुलना में वर्तमान गणना में 46.94% थी।
- 2015-16 में अर्ध-मध्यम और मध्यम परिचालन जोत (2-10 हेक्टेयर) 43.99% संचालित क्षेत्र के साथ केवल 13.35% थी। 2010-11 की गणना के लिए संबंधित आंकड़े 14.29% और 44. 82% थे।
- 2015-16 में बड़ी जोत (10 हेक्टेयर और उससे अधिक) कुल जोतों की संख्या का केवल 0.57% थी और 2010-11 की गणना के लिए 0.70% थी।

गोल्डन राइस

- गोल्डन राइस एक नए प्रकार का चावल है जिसमें बीटा कैरोटीन (प्रोविटामिन ए, एक पौधा वर्णक जिसे शरीर आवश्यकतानुसार विटामिन ए में परिवर्तित करता है) होता है। गोल्डन राइस को जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए विकसित किया जाता है। जबकि साधारण चावल बीटा कैरोटीन का उत्पादन करता है, यह अनाज में नहीं पाया जाता है। इस प्रकार, वैज्ञानिकों ने अनाज में यौगिक जोड़ने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग हुआ जिसने अनाज के पोषक मूल्य में सुधार किया। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन, जो दो नए एंजाइमों को जोड़कर संभव बनाया गया था, हरी पत्तेदार और पीले रंग की सब्जियों, नारंगी रंग के फलों और यहां तक कि कई विटामिन सप्लीमेंट तथा खाद्य सामग्री में पाए जाने वाले बीटा-कैरोटीन के समान है। .

फोर्टिफिकेशन

- फोर्टिफिकेशन को सबसे अधिक लागत प्रभावी पोषण हस्तक्षेपों में से एक के रूप में पहचाना गया है, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले खाद्य वाहनों का फोर्टिफिकेशन पोषक तत्वों के सेवन को बढ़ाने और सामान्य आबादी के लिए बिना किसी दुष्प्रभाव के कमियों के जोखिम वाले लोगों के लिए एक अवसर प्रदान करता है।
- फोर्टिफिकेशन के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले तेल और वसा, दूध, चीनी, नमक, चावल, गेहूं या मक्का के आटे सहित सबसे अधिक खपत वाले खाद्य पदार्थों में शामिल हैं।

फूड फोर्टिफिकेशन से संबंधित कुछ कारक जैसे कि फोर्टिफिकेशन का स्तर, जैव उपलब्धता और फोर्टिफाइड फूड की मात्रा का सेवन स्वास्थ्य पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालता है।

धारा सरसों संकर (DMH-11)

- धारा सरसों हाइब्रिड-11 (DMH-11) को 2002 में ट्रांसजेनिक तकनीक के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय के दीपक पेंटल द्वारा विकसित किया गया था।
- यह हर्बिसाइड-टॉलरेंट (HT) सरसों का आनुवंशिक रूप से संशोधित रूप है। इसमें दो एलियन जीन (बार्नेज और बारस्टार) शामिल हैं और बैसिलस एमिलोलिकफैशियन्स नामक मिट्टी के जीवाणु से अलग किए गए हैं, जो उच्च उपज वाले व्यावसायिक सरसों संकर विकसित करने में मदद करते हैं।
- जीईएसी ने 2017 में डीएमएच-11 के व्यावसायिक खेती के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय ने इसे खारिज कर दिया था।

भारत में जीएम फसलें

कपास:

- 2002 में, जीईएसी ने आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे 6 राज्यों में व्यावसायिक खेती के लिए बीटी कपास को मंजूरी दी। बीटी कपास जीईएसी द्वारा अनुमोदित पहली और एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल है।

बैंगन:

- महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी (Mahyco) को ने धारवाड़ कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से बीटी बैंगन विकसित किया।
- जीईएसी ने 2007 में बीटी बैंगन के व्यावसायिक रिलीज की सिफारिश की थी, लेकिन इस पहल को 2010 में रोक दिया गया था।

सैंडलवुड स्पाइक डिजीज

- यह एक संक्रामक रोग है जो फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है।
- Phytoplasmas पौधे के ऊतकों के जीवाणु परजीवी होते हैं जो कीट वैक्टर द्वारा प्रेषित होते हैं और पौधे से पौधे के संचरण में शामिल होते हैं।
- अभी तक इस संक्रमण का कोई इलाज नहीं है।
- वर्तमान में, रोग को फैलने से रोकने के लिए संक्रमित पेड़ को काटने और हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
- इस बीमारी के बारे में पहली बार 1899 में कोडागु (कर्नाटक) में रिपोर्ट किया गया था।

गांठदार त्वचा रोग (Lumpy skin disease)

- गांठदार त्वचा रोग एक वायरल रोग है जो मवेशियों को प्रभावित करता है। यह रक्त-पीने (Blood Feeding) वाले कीड़ों द्वारा प्रेषित होता है, जैसे कि मक्खियों और मच्छरों की कुछ प्रजातियाँ या टिक्स (Ticks) आदि।
- यह बुखार तथा त्वचा पर गाँठ का कारण बनता है जो मृत्यु का कारण भी बन सकता है, विशेष रूप से उन जानवरों में जो पहले वायरस के संपर्क में नहीं आए हैं। नियंत्रण विकल्पों में टीकाकरण और संक्रमित पशुओं को मारना शामिल है।

भारत में कीटनाशक:

- भारत दुनिया में कीटनाशकों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है।
- भारत में कीटनाशकों, कवकनाशियों और शाकनाशियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें कीटनाशकों का हिस्सा सबसे अधिक है।
- कीटनाशकों की कुल खपत महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा का स्थान है।
- दूसरी ओर, कीटनाशकों की प्रति हेक्टेयर खपत 2016-17 के दौरान पंजाब (0.74 किग्रा), उसके बाद हरियाणा (0.62 किग्रा) और महाराष्ट्र (0.57 किग्रा) में सबसे अधिक थी।

समझौते

भारत ग्रोथ ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल में शामिल हुआ

- भारत ने इस क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए इंडोनेशिया-मलेशिया-थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल (IMT-GT JBC) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत के विदेश मंत्रालय और कांगो गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन

- कांगो गणराज्य के राजदूत, रेमंड सर्गिबेल ने फरवरी 2023 में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर, 2015 को फ्रांस (पेरिस) में 121 सौर संसाधन समृद्ध देशों के साथ शुरू की गई थी।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मेटा के बीच समझौता ज्ञापन

- मेटा ने 7 फरवरी, 2023 को G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ करार किया है।
- इस समझौते के तहत, मेटा विभिन्न चैनलों के माध्यम से कई भारतीय भाषाओं में वीडियो संदेशों के माध्यम से ऑनलाइन सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता फैलाएगा।

भारत और फिनलैंड के बीच समझौता

- भारत-फिनलैंड ने 13 दिसंबर, 2022 को प्रवासन और गतिशीलता पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए ताकि अधिक गतिशीलता की सुविधा तथा अनियमित प्रवासन से निपटने के लिए व्यवस्थाओं और सहयोग का एक सामान्य ढांचा विकसित करने की दिशा में संयुक्त रूप से काम किया जा सके।

'अफ्रीका पर्ल्स'

- भारती एयरटेल और मेटा ने संयुक्त रूप से ग्लोबल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश करने का फैसला किया है जो भारत में 2अफ्रीका पर्ल्स (एक सबसी केबल) का विस्तार करेगा।
- 2अफ्रीका पर्ल्स दुनिया के सबसे बड़े अंडर सी केबल सिस्टम्स में से एक है जिसका उद्देश्य तेज इंटरनेट प्रदान करना है।

महत्त्वपूर्ण दिन

विश्व पैंगोलिन दिवस

- विश्व पैंगोलिन दिवस प्रतिवर्ष फरवरी में तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह 18 फरवरी को मनाया गया। यह पैंगोलिन को याद करने, जागरूकता बढ़ाने, अफ्रीका और एशिया में वैश्विक पैंगोलिन कैप्चर के खिलाफ आवाज उठाने का दिन है।

सामाजिक न्याय का विश्व दिवस

- सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के उद्देश्य से हर साल 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है।
- 2023 की थीम: सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना है।

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

- यह 21 फरवरी को भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता फैलाने तथा बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यूनेस्को ने 21 फरवरी, को 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था और विश्व वर्ष 2000 से इसे मना रहा है।

राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस

- भारत राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) के स्थापना दिवस को चिह्नित करने के लिए हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाता है। एनपीसी का मिशन देश की उत्पादकता बढ़ाने के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है।
- यह दिन NPC की स्थापना की याद में मनाया जाता है, जिसे 1958 में भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था।

अन्तर्राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस

- अन्तर्राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस प्रत्येक वर्ष जनवरी माह के अन्तिम रविवार को मनाया जाता है। 2023 में विश्व कुष्ठ दिवस 29 जनवरी को मनाया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस कुष्ठ रोग का अनुभव करने वाले लोगों को रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा कुष्ठ रोग से संबंधित कलंक और भेदभाव को समाप्त करने का आह्वान करने का एक अवसर है। विश्व कुष्ठ दिवस 2023 का विषय 'Act Now' था।
- भारत में विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है।
- भारत ने 2027 तक इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है।

राष्ट्रीय पर्यटन दिवस

- भारत की प्राकृतिक सुंदरता को पहचानने और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भारत दुनिया भर के आगंतुकों के लिए शीर्ष पर्यटक आकर्षणों में से एक है।
- भारत सरकार ने इस वर्ष 25 जनवरी को तेलंगाना के पोचमपल्ली में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया।
- 2021 में, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में चुना था।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस

- भारत में 25 जनवरी को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। पहला NVD 2011 में मनाया गया था।
- 2011 से, भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस (यानी 25 जनवरी 1950) को पूरे देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है।

राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस

- देश के जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है।

विश्व मृदा दिवस

- विश्व मृदा दिवस (डब्लूएसडी) प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को स्वस्थ मिट्टी के महत्त्व पर ध्यान केंद्रित करने और मिट्टी के संसाधनों के सतत प्रबंधन की वकालत करने के लिए मनाया गया।
- विश्व मृदा दिवस के अवसर पर खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 'काली मिट्टी की वैश्विक स्थिति' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई।

विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

- विकलांग लोगों के सामने आने वाले मुद्दों और चुनौतियों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 3 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है।

आदिवासी गौरव दिवस

- 15 नवंबर को मनाया जाता है।
- केंद्र सरकार ने राष्ट्र के इतिहास और संस्कृति में आदिवासी समुदायों के योगदान को याद करने के लिए इस दिन को आदिवासी गौरव दिवस घोषित किया है।

उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस

- 24 जनवरी को मनाया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

- लैंगिक समानता, प्रजनन अधिकार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा तथा दुर्व्यवहार जैसे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को महिला अधिकार आंदोलन में एक केंद्र बिंदु के रूप में मनाया जाता है।
- इस वर्ष की थीम: 'Embrace Equality' है।

विश्व वानिकी दिवस

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी प्रकार के वनों के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया।
- इस वर्ष की थीम है 'वन और स्वास्थ्य' है।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस

- विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है।

विश्व पर्यावरण दिवस

- विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। यह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता और कार्यवाही को प्रोत्साहित करता है।
- इस वर्ष की थीम 'प्लास्टिक प्रदूषण से समाधान' है।

विश्व ओजोन दिवस

- यह 16 सितंबर को मनाया जाता है।
- थीम: 'मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35: पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग' है।

राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस

- स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाता है।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस

- 10 अक्टूबर को मनाया जाता है।
- इस बार की थीम: 'मानसिक स्वास्थ्य और भलाई को सभी के लिए वैश्विक प्राथमिकता बनाएं' है।

भारत में जनजातियाँ

भील जनजाति

- भील छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में रहते हैं।
- भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। वे भीली भाषा बोलते हैं। उनके उत्सव हैं घूमर नृत्य, 'थान गैर-एक नृत्य नाटिका- Than Gair- A Dance Drama' और बाणेश्वर मेला आदि।

गोंड जनजाति

- गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के साथ-साथ महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में रहती हैं।

मुंडा जनजाति

- यह जनजाति झारखंड के साथ-साथ छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी निवास करती है।
- वे सरना धर्म का पालन करते हैं और सिंगबोंगा नामक भगवान की पूजा करते हैं। किल्ली उनकी प्राथमिक भाषा है, जबकि नूपुर नृत्य उनके मनोरंजन का प्रमुख रूप है।
- मुंडा जनजाति मागे, करम, सरहौल और फागू के त्यौहारों को मनाती है।

संथाल जनजाति

- संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल में एक महत्त्वपूर्ण समूह है। वे बिहार, ओडिशा और असम में भी पाए जा सकते हैं। वे झारखंड में सबसे बड़ी जनजातीय समूह हैं।
- संथाली नृत्य तथा संगीत, करम और सहराई जैसे पारंपरिक त्यौहारों इन लोगों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

टोटो जनजाति

- टोटो जनजाति पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के तोतापारा गांव में रहती है।

बोडो जनजाति

- बोडो जनजाति असम, पश्चिम बंगाल और नागालैंड में रहती है।
- वसंत ऋतु में वे बैशागु उत्सव मनाते हैं, जो भगवान शिव को समर्पित है।

अंगामी जनजाति

- अंगामी नागा, नागालैंड के कोहिमा क्षेत्र में पाई जाने वाली एक महत्त्वपूर्ण जनजाति है।
- जनजाति प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्षित करती है।
- उनकी अनूठी कला, लकड़ी का काम और बांस तथा बेंत की शिल्पकारी आश्चर्यजनक है। वे कई बोलियाँ बोलते हैं जैसे ग्नामेई, नगामी और त्सोगामी आदि।

भूटिया जनजाति

- भूटिया ज्यादातर सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में पाए जाते हैं।
- इस जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार लोसार और लूसोंग हैं।

खासी जनजाति

- नोंगक्रेम उत्सव (जो पांच दिनों तक चलता है) में जैनसेम के कपड़े पहने महिलाएं और जिमफोंग के कपड़े पहने हुए पुरुष शामिल होते हैं।
- यह जनजाति ज्यादातर मेघालय की खासी पहाड़ियों के साथ-साथ असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में पाई जाती है।
- यह जनजाति विभिन्न प्रकार के गाने और वाद्य यंत्र जैसे ड्रम, गिटार, बांसुरी, झांझ आदि का प्रदर्शन करती है।

गारो जनजाति

- गारो जनजाति मुख्य रूप से मेघालय की पहाड़ियों व असम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में पाई जाती है।
- यह जनजाति दुनिया के कुछ मातृसत्तात्मक समाजों में से एक है। गारो वास्तुकला काफी अनूठी है। नोकमोंग, नोकपांते, जमादल और जमसीरेंग उनमें से कुछ हैं।
- वांगला का त्यौहार उनका उत्सव है।

न्याशी जनजाति

- यह जनजाति अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में पाई जाती है, जिनमें से अधिकांश कुरुंग कुमे, पापुम पारे, ऊपरी और निचले सुबनसिरी जिलों में रहती हैं।
- वे फरवरी में आयोजित होने वाला न्योकुम उत्सव मनाते हैं, जो देवी न्योकुम को समर्पित है।

वार्ली जनजाति

- यह जनजाति भारतीय राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। यह जनजाति अपनी वारली कला के लिए अत्यधिक पहचानी जाती है, जो गाय के गोबर और मिट्टी, चावल के पेस्ट, बांस की छड़ी और लाल गेरू के मिश्रण से बनाई जाती है।
- वे फसल के मौसम के दौरान तारपा नृत्य और मार्च में वर्ली लोक कला नृत्य महोत्सव का आयोजन करते हैं।

चेंचू जनजाति

- यह जनजाति आंध्र प्रदेश की मूल निवासी है और नल्लामाला पहाड़ियों के जंगलों में रहती है।
- वे कुरनूल, नलगोंडा और गुंटूर में भी पाए जा सकते हैं।

सिद्दीस (Siddis) जनजाति

- किंवदंती के अनुसार, पुर्तगाली लोग गुलाम बनाकर लाए थे। वे पूरे कर्नाटक में पाए जा सकते हैं।
- उनमें से अधिकांश ईसाई हैं, हालांकि कुछ हिंदू और इस्लाम धर्म मानते हैं। उन्हें कर्मकांडों की प्रथा, नृत्य और संगीत पसंद है।

सोलिगा जनजाति

- सोलिगा कर्नाटक और तमिलनाडु के घने जंगलों में रहते हैं।
- यह स्वदेशी समूह पाँच अलग-अलग समूहों से बना है: नर सोलिगा, कडू, बुरुदे, पुजारी और उरली सोलिगा।
- सोलिगा, शोलगा भाषा बोलते हैं, जो कन्नड़ और तमिल से प्रभावित है।

कोडागु जनजाति

- कोडागु या कूर्ग क्षेत्र में रहने वाली यह एक पितृसत्तात्मक जनजाति है और वे अपने साहस के लिए जाने जाते हैं।
- वे मुख्य रूप से कृषक हैं। पुरुषों और महिलाओं सहित जनजाति के सदस्य उत्साही हॉकी प्रशंसक हैं।
- हर साल कैलपोधु, पुत्तरी और कावेरी संक्रमण के पारंपरिक त्यौहारों के अलावा, कोडवा हॉकी उत्सव आयोजित किया जाता है।

टोडा जनजाति

- टोडा तमिलनाडु की नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं।
- उनकी आजीविका गाय पालन और डेयरी उत्पादन पर निर्भर है। उनकी स्थापत्य विशेषज्ञता अंडाकार और तंबू के आकार के बाँस के आवासों में छप्पर की छतों के साथ प्राप्त होती है।
- पुखूर का टोडा कशीदाकारी का काम अत्यधिक प्रसिद्ध है। मोधवेठ (Modhweth) उनका सबसे महत्त्वपूर्ण त्यौहार है।

इरुलर जनजाति

- यह जनजाति तमिलनाडु और केरल की नीलगिरि पर्वत श्रृंखलाओं में रहती है।
- वे केरल की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति हैं और बड़े पैमाने पर पलक्कड़ क्षेत्र में स्थित हैं।

कुरुम्बा जनजाति

- यह केरल और तमिलनाडु में स्थित एक बड़ा कबीला है। वे पश्चिमी घाट में सबसे पहले बसने वालों में से थे।
- वे कृषि, शहद और मोम की कटाई पर आधारित एक साधारण जीवन व्यतीत करते हैं।
- वे पारंपरिक हर्बल दवाएं बनाने में कुशल हैं। वे जादू-टोने के लिए इलाके में काफी मशहूर हैं।
- ये दक्षिण अंडमान के नेटिव लोग हैं।

ग्रेट अंडमानी

- ओंगस
- जारवास
- Sentinelese

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

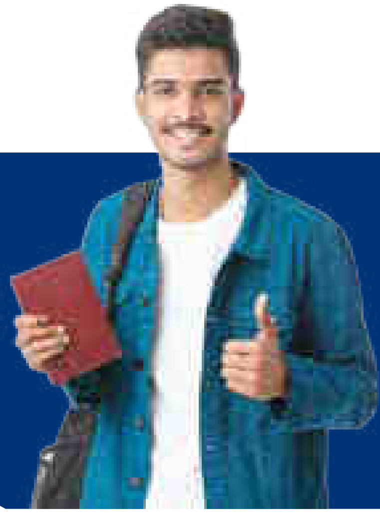

20 Years of Trust

Success is Our Tradition
4500+ Selections in IAS & PCS

ADMISSIONS OPEN FOR

Offline / Online Courses

GENERAL STUDIES | CSAT | OPTIONAL SUBJECTS
MAIN TEST SERIES FOR IAS & PCS

Looking to crack **UPSC, UP-PSC & BPSC Civil Services Examination**. Look no further than Dhyeya IAS! Our comprehensive preparation program offers everything you need.

- Expert lectures from experienced subject specialists
- Dedicated mentors to guide you through every step of the process and answer your questions
- Special lectures from top experts in the field
- Holistic PMI (Prelims, Mains, and Interview) tests to prepare you for every stage of the exam
- Complete coverage of current affairs to keep you up-to-date on the latest news and trends
- Daily answer writing practice with expert guidance

Join the many successful candidates who have benefited from Dhyeya IAS's proven approach for **UPSC, UP-PSC & BPSC Civil Services Examination.** *Contact us today to learn more*

Available Optional Subjects

- HISTORY
- POLITICAL SCIENCE & IR
- GEOGRAPHY
- SOCIOLOGY

UPSC PRELIMS
TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

UP-PSC PRELIMS
TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

BPSC MAINS
GS & OPTIONAL TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

FOR OFFLINE COURSES, CALL RESPECTIVE CENTRE

FOR ONLINE COURSES CALL 9205274741 / 42

Delhi (Mukherjee Nagar) : Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar Ph: **9289580074/75** • Delhi (Laxmi Nagar) : 1/53, Lalita Park, Near Gurudwara, Laxmi Nagar Ph: **9205212500/9205962002** • Greater Noida : Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt, Greater Noida Ph: **9205336037/38** • Prayagraj : SP Marg, Civil Lines, Prayagraj Ph: **0532-2260189/8853467068** • Lucknow (Aliganj) : A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow Ph: **9506256789/7570009002** • Lucknow (Gomti Nagar) : Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Gomti Nagar, Lucknow Ph: **7234000501/ 7234000502** • Lucknow (Alambagh) : Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony, Alambagh Lucknow Ph: **7518373333/7518573333** • Kanpur : 113/154 Swaroop Nagar, Kanpur Ph: **7887003962/7897003962** • Gorakhpur : Narayan Tower, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Ph: **0551-2200385/7080847474**

प्रारम्भिक परीक्षा आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों की कमी वाले क्षेत्रों एवं समाज के गरीब तबके के बीच बाजार मूल्य से कम कीमत पर किया जाता है, जिसे निर्गम मूल्य के रूप में जाना जाता है।
2. एमएसपी बुवाई के मौसम के बाद प्रति वर्ष सरकार द्वारा घोषित किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

2. जैविक खेती:

1. महंगे कृषि निवेश को प्रतिस्थापित करने का माध्यम उपलब्ध कराती है।
2. निर्यातों के माध्यम से आय सृजित करती है।
3. रासायनिक खेती की तुलना में अधिक पोषण मूल्य रखती है।

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

3. लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे पहली बार 1921 में मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत स्थापित किया गया था।
2. समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है।
3. समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति स्पीकर द्वारा सदस्यों में से की जाती है और वह निरपवाद रूप से सत्तारूढ़ दल से होता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

4. 'पूंजीगत बजट' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पूंजीगत बजट परिसंपत्तियों का एक खाता होने के साथ-साथ केंद्र सरकार की देनदारी भी है।
2. इसके अंतर्गत पूंजी में होने वाले परिवर्तनों पर विचार किया जाता है।
3. इसमें सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत व्यय को समाहित किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

5. समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्रियों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यदि प्रत्येक बाजार में क्रेता और विक्रेता अपने स्वयं के हितों के आधार पर निर्णय लेते हैं, तो अर्थशास्त्रियों को पूर्णतया भिन्न तरीके से देश की संपत्ति एवं कल्याण के संबंध में सोचने की आवश्यकता नहीं होगी।
2. अर्थशास्त्री समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित समाधान एवं समस्याओं से आगे देखने के लिए अधिकृत होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन **असत्य** है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

6. सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सांविधिक तरलता अनुपात बैंकों पर नकदी, सरकारी बॉण्ड एवं सोने के रूप में तरल संपत्ति के रूप में अपने संसाधनों के निश्चित भाग को धारित करने की आवश्यकता है।
2. जमाकर्ताओं की किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित मांग को शीघ्रतापूर्वक एसएलआर सम्पत्तियों की तरलता द्वारा पूरा किया जा सकता है।
3. व्यवहार में, एसएलआर सरकार के विस्तृत राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का साधन बन चुका है।
4. एसएलआर एक वित्तीय दमन का रूप है जहाँ पर सरकार निजी क्षेत्र की कीमत पर घरेलू बचत को वरीयता देती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

7. आरबीआई ने 'विलफुल डिफॉल्टर' होने को परिभाषित किया है:

(a) एक कर्ज लेने वाला जो पर्याप्त नकदी प्रवाह होने के बावजूद अपने पुनः अदायगी के उत्तरदायित्वों से जानबूझकर दिवालिया होता है।
(b) कर्ज लेने वाला जिस उद्देश्य के लिए कर्ज लेता है उस उद्देश्य की बजाय अन्य उद्देश्यों में प्रयोग करता है।
(c) ऋण लेने वाला अपने को पुनः अदायगी उत्तरदायित्वों को पूरा करने से दिवालिया घोषित करता है एवं बिना बैंक/ऋण दाता को सूचित किये अवधि ऋण को सुरक्षित करने के उद्देश्य से अपने द्वारा दी गई चल या अचल संपत्ति को हटा लेता है।

(d) उपर्युक्त सभी

8. कर पर मुद्रास्फीतिक प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. करदाता की कुल आय अधिकारिक टैक्स स्लैब के उपरी स्लैब में पहुँचने पर कर दाता का बोझ भी बढ़ जाता है।
2. सरकार के उच्च राजकोषीय घाटे की स्थिति में होने पर मुद्रास्फीति एक मुद्रास्फीति कर के रूप में कार्य करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

9. निम्नलिखित कारकों में से कौन-सा कारक आर्थिक विकास का अनार्थिक कारक है?

(a) पूंजी निर्माण (b) कृषि का विक्रय अधिशेष
(c) मानव संसाधन (d) विदेशी व्यापार की शर्तें

10. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें -

1. RRB पूंजी बाजार में निजी निवेशकों से अधिक धन प्राप्त करने के लिए शेयर जारी कर सकते हैं।
2. संघ, राज्य और प्रायोजक की संयुक्त शेयरधारिता RRB में 51% से नीचे नहीं होनी चाहिए।
3. राज्य सरकार की शेयरधारिता 15% निर्धारित कर दी गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

11. पेमेन्ट बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पेमेन्ट बैंक केवल चालू खाता और बचत खाता की जमाएं स्वीकार करते हैं।
2. पेमेन्ट बैंक ऋण दे सकते है।
3. पेमेन्ट बैंक केवल सरकारी प्रतिभूतियों में ही जमाकर्ताओं के धन कों निवेश कर सकते है।
4. एम. एफ. आई और एन.बी.एफ.सी. पेमेन्ट बैंक के लिए आवेदन कर सकते है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

12. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए:

	सूची-I		सूची-II
A.	वित्तीय समावेशन	1.	उर्जित पटेल
B.	मौद्रिक नीति सम्बधी सुधार	2.	पी. जे. नायक
C.	बैंक बोर्डों में शासन	3.	विमल जालान
D.	निजी बैंक लाइसेंस	4.	नचिकेत मोर

कूट:

	A	B	C	D
(a)	1	2	3	4
(b)	2	3	4	1
(c)	4	1	2	3
(d)	3	1	4	2

13. भारत सरकार की संचित निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह निधि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की नकदी से भरी जाती है।
2. यह निधि भारत सरकार के द्वारा लिए गए सभी ऋणों से भरी जाती है।
3. सरकार को इस निधि से खर्चे करने के लिए किसी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन **असत्य** है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

14. नीचे दिए गए क्षेत्रकों को रोजगारों में उनकी हिस्सेदारी के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें:

(a) सेवा > कृषि > उद्योग
(b) कृषि > उद्योग > सेवा
(c) उद्योग > सेवा > कृषि
(d) कृषि > सेवा > उद्योग

15. निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें:

1. प्रतिव्यक्ति भूमि की उपलब्धता में भारी गिरावट, तथा खेत आकार में संकुचन जैसे लम्बी अवधि के कारक।
2. रोजगार हिस्सेदारी में धीमी गिरावट।
3. उत्पादकता वृद्धि में अवनति।
4. कृषि में कम श्रम उत्पादकता और कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्र के बीच बढ़ता अंतराल।

उपर्युक्त समस्याओं में से कौन सी भारतीय कृषि के संदर्भ में सत्य हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

16. बाह्य ऋण मिलकर बनता है :

1. NRI जमाओं से
2. वाणिज्यिक उधारियों से
3. द्विपक्षीय ऋणों से
4. व्यापार ऋणों से

5. लम्बी अवधि के बाह्य ऋणों से

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1, 2, 3 और 4
(b) केवल 2, 3, 4 और 5
(c) केवल 1, 3, 4 और 5
(d) 1, 2, 3, 4 और 5

17. निम्नलिखित में से कौन-कौन से तत्व समावेशी विकास में शामिल किये जाने चाहिए?

1. जीविकोपार्जन प्रदान किया जाना
2. क्रय शक्ति में वृद्धि किया जाना
3. कौशल विकास के लिए अवसरों का सृजन किया जाना
4. कृषि आधारित उद्योगों में वृद्धि किया जाना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

18. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में प्राथमिक सेक्टर (कृषि) की हिस्सेदारी औसतन लगातार कम हो रही है।
2. तीसरे सेक्टर (सेवा क्षेत्र) की हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद में आधे से अधिक हो चुकी है।
3. भारत पूर्ण तौर पर विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्था के चरण से छलांग मारकर आगे निकल चुका है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 2 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

19. भारत में औद्योगीकरण के लिये सार्वजनिक क्षेत्र को क्यों चुना गया?

1. पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन में विशेष योग्यता उत्पन्न करने के लिये।
2. कोर क्षेत्रों में आत्मनिर्भता पाने के लिए।
3. आयात के विकल्पों को प्रोत्साहित करने के लिये।
4. निजी क्षेत्र से प्रतियोगिता करने के लिये।

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 2 (b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

20. निम्नलिखित व्ययों पर विचार कीजिए :

1. ब्याज भुगतान
2. अनुदान
3. रक्षा प्रतिष्ठान खर्च
4. राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को कर्ज।
5. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन।

उपर्युक्त व्ययों में से कौन से गैर-नियोजित पूंजी व्यय हैं?

(a) केवल 1, 2 और 4
(b) केवल 3 और 5
(c) 1, 2, 3, 4 और 5
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

21. एलनीनो घटना :

1. केंद्रीय प्रशांत महासागर एवं ऑस्ट्रेलिया में दाब परिवर्तनों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है।
2. प्रशांत महासागर में शीत घटना है।

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

22. 'पारिस्थितिक संतुलन':

(a) एक निवास स्थान में जीवों के एक समुदाय के भीतर गतिशील संतुलन की स्थिति है।
(b) नई प्रजाति, प्राकृतिक खतरों या मानवीय कारणों के प्रवेश से अशान्त हो सकता है।
(c) विभिन्न जीवों के बीच प्रतिस्पर्द्धा एवं सहयोग के माध्यम से घटित होता है, जहां पर आबादी स्थिर रहती है।
(d) उपर्युक्त सभी

23. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चन्द्रमा एवं ग्रहों की गति है।
2. ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊँचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी।
3. पृथ्वी को 12 समय क्षेत्रों में बाँटा गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

24. निम्नलिखित में से कौन-सी एक खनिजों की विशेषता **नहीं** है ?

(a) वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं।
(b) उनका एक निश्चित रासायनिक संघटन होता है।
(c) वे असमाप्य होते हैं।
(d) उनका वितरण असमान होता है।

25. भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है?

(a) जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
(b) नगरपालिका, नगर निगम इत्यादि का होना
(c) 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्रक में संलग्न

होना
(d) जनसंख्या आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक

26. पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्नलिखित में से कौन-सा प्रमुख कारण है?
(a) वनीकरण के विस्तृत व सक्षम प्रयास
(b) सामुदायिक वनों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि
(c) वन बढ़ोत्तरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि
(d) वन क्षेत्र प्रबंधन में लोगों की बेहतर भागीदारी

27. प्रादेशिक नियोजन का संबंध है:
(a) आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों के विकास से
(b) क्षेत्र विशेष के विकास के उपागम से
(c) परिवहन तंत्र में क्षेत्रीय अंतर से
(d) ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से

28. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय में विभाजन निवास के आधार पर नहीं होता है।
2. ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक-दूसरे से समान होते हैं।
3. ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु-लिंग-व्यवसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के स्तर अलग-अलग होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

29. सामूहिक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. इस प्रकार की कृषि में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है।
2. उत्पादन में वृद्धि हेतु आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई।
3. सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में 'कोलखोज' का नाम दिया गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) 1, 2 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

30. कोपेन के *'A'* प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी दशा अर्हक है?
(a) सभी महीनों में उच्च वर्षा
(b) सबसे ठंडे महीने का औसत मासिक तापमान हिमांक बिंदु से अधिक
(c) सभी महीनों का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक
(d) सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे

31. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. गर्मियों की मेघ विहीन लंबी रात तथा शांत वायु तापीय व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएँ हैं।
2. भूपृष्ठीय तापीय व्युत्क्रमण वायुमंडल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ावा देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

32. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. कोहरे में कुहासे की अपेक्षा नमी अधिक होती है।
2. जहाँ गर्म हवा की धारा ठंडी हवा के संपर्क में आती है वहाँ कोहरे प्रबल होते हैं।
3. कोहरे छोटे बादल होते हैं जिसमें धूलकण, धुएँ के कण तथा नमक के कण पाये जाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

33. निम्नलिखित हिमयुगों पर विचार करें :
1. रिस 2. वुर्म
3. मिण्डल 4. गुंज

नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही क्रम का चयन कीजिए :
(a) 4-3-1-2 (b) 4-3-2-1
(c) 2-3-4-1 (d) 1-2-3-4

34. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. गुरूत्वाकर्षण, ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थो को सक्रिय बनाने वाला दिशात्मक बल होने के साथ-साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव डालता है।
2. अप्रत्यक्ष गुरूत्वाकर्षण प्रतिबल लहरों एवं ज्वार-भाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है।
3. गुरूत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं हैं अत: अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण भी नहीं होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) 1, 2 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

35. मृदा निर्माण के लिए महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है :
(a) आर्द्रता, इसकी प्रवणता, वर्षा एवं वाष्पीकरण की बारंबारता व अवधि के संदर्भ में
(b) तापक्रम में मौसमी एवं दैनिक भिन्नता

(c) (a) और (b) दोनों
(d) न तो (a) न ही (b)

36. 'वाष्पीकरण' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है।
2. वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण क्रमशः घटती-बढ़ती रहती है।
3. जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू करता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है।
4. हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना ही तीव्र होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 4
(c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

37. जीवमण्डल में ऊर्जा प्रवाह के बारे में निम्नलिखित विचार कीजिए :
1. पारितंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक चक्रीय प्रक्रिया है।
2. प्रत्येक पोषण स्तर पर क्रमिक रूप से ऊर्जा में वृद्धि होती जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से **असत्य** है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

38. मिश्रित कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. यह एक ही भूखण्ड में दो स्वतंत्र उद्यमों का संयोजन है।
2. इसमें कृषक खेती के साथ-साथ पशुपालन भी करते हैं।
3. दोनों गतिविधियां एक-दूसरे को सहयोग देती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
(c) 2 और 3 (d) 1 और 3

39. नाइट्रेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नाइट्रेट की अधिकता ब्लू बेबीसिण्ड्रोम के लिए जिम्मेदार है।
2. यह हीमोग्लोबिन का एक रूप है।
3. नाइट्रेट का उच्च स्तर शिशु मृत्यु के लिए जिम्मेदार है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं ?
(a) 1, 2 और 3 (b) 1 और 3
(c) 2 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

40. स्यूडोनिमस है:
(a) एक रोटावाइरस
(b) बैक्टीरिया की आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक प्रजाति
(c) एक कवक
(d) एक प्रदूषण-अवशिष्ट विघटनकारी रोबोट

41. ऋग्वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ऋग्वैदिक काल में केवल तांबा धातु का इस्तेमाल किया जाता था।
2. समुद्र का वर्णन व्यापार और सागरीय संपदा के संदर्भ में है।
3. ऋग्वेद में कृषि के महत्व को नजरअंदाज किया गया है।
4. हल बैलों के द्वारा खींचा जाता था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1, 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

42. निम्नलिखित में से कौन-सी विधि 'नील विद्रोह' के दौरान नहीं अपनायी गयी थी?
(a) बागान मालिकों के लिए काम करने वाले लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया गया।
(b) रैयतों ने कसम खाई कि वे लोग अब नील बोने के लिए अग्रिम धन नहीं लेंगे।
(c) निष्क्रिय प्रतिरोध एवं असहयोग रणनीतियाँ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपनायी गयी।
(d) नील कृषकों ने जमींदार और ग्राम प्रधानों के नेतृत्व में बागान मालिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी।

43. 'ऐहोल सिटी' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ऐहोल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र और चालुक्यों की राजधानी थी।
2. यह कई मंदिरों के होने के कारण एक धार्मिक केन्द्र के रूप में विकसित हुआ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

44. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. रवीन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि रचनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक वातावरण में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है।
2. गाँधी जी पश्चिमी सभ्यता के महान आलोचक थे जबकि टैगोर भारतीय परंपरा के साथ आधुनिक पश्चिमी सभ्यता के तत्वों का संयोजन करना चाहते थे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

45. 'चोल मंदिरों' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. चोल मंदिर प्राय: अपने आस-पास विकसित होने वाली बस्तियों के केन्द्र बन गए थे।
2. ये मंदिर 'शिल्प उत्पादन' के केन्द्र थे।
3. मंदिरों को दान की गई भूमि की उपज मंदिरों में कार्यरत विशेषज्ञों को बनाये रखने के लिए व्यय होती थी।
4. मंदिर केवल आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केन्द्र थे और वहाँ किसी प्रकार की धार्मिक पूजा नहीं होती थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

46. 'रॉलट सत्याग्रह' के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है ?
(a) रॉलट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होने वाला पहला अखिल भारतीय संघर्ष बन गया था।
(b) यह अधिकतर शहरों तक ही सीमित था।
(c) 'सत्याग्रह सभाएं', 'रॉलट सत्याग्रह' के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के लिए स्थापित की गई थी।
(d) उपर्युक्त सभी

47. दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान और मुहम्मद-बिन-तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में मंगोलों के हमलों में वृद्धि हुई। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. दोनों शासकों ने दिल्ली में एक बड़ी और स्थायी सेना को संगठित किया जिसने एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती पैदा की।
2. सल्तनत के इतिहास में पहली बार मुहम्मद तुगलक ने मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए एक अभियान की योजना बनाई।
3. अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के खिलाफ रक्षात्मक उपायों को अपनाया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

48. 'कबीर' के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन **असत्य** है?
(a) उनकी शिक्षाओं ने खुले तौर पर ब्राह्मणवादी हिन्दू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य पूजा के सभी रूपों का उपहास किया।
(b) कबीर निराकार सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास करते थे।
(c) उन्होंने उपदेश दिया कि मोक्ष का एकमात्र मार्ग भक्ति या समर्पण है।
(d) इनमें से कोई नहीं।

49. **कथन (A):** मुगल स्वयं को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे।
कारण (R): चंगेज खान की स्मृति असंख्य लोगों के नरसंहार के साथ जुड़ी हुई थी।
निम्नलिखित कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए:
(a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(b) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(c) (A) सही है परन्तु (R) गलत है।
(d) (A) गलत है परन्तु (R) सही है।

50. 'कन्दरिया महादेव मंदिर' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कन्दरिया महादेव मंदिर चंदेल वंश के राजा धंगदेव के द्वारा निर्मित किया गया।
2. महामण्डप में मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती थी एवं कर्मकाण्डीय पूजा की जाती थी।
3. गर्भगृह में नृत्य प्रदर्शित किये जाते थे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर

1.	(a)	14.	(d)	27.	(b)	40.	(b)
2.	(d)	15.	(d)	28.	(c)	41.	(c)
3.	(a)	16.	(d)	29.	(c)	42.	(c)
4.	(d)	17.	(d)	30.	(c)	43.	(c)
5.	(d)	18.	(d)	31.	(b)	44.	(c)
6.	(d)	19.	(b)	32.	(c)	45.	(c)
7.	(d)	20.	(d)	33.	(a)	46.	(d)
8.	(c)	21.	(a)	34.	(c)	47.	(d)
9.	(c)	22.	(d)	35.	(c)	48.	(d)
10.	(a)	23.	(b)	36.	(d)	49.	(a)
11.	(a)	24.	(c)	37.	(b)	50.	(a)
12.	(c)	25.	(c)	38.	(b)		
13.	(c)	26.	(c)	39.	(a)		

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. यह रसायन मुक्त कृषि की एक विधि है।
2. इसमें सघन सिंचाई तथा गहरी जुताई का प्रयोग किया जाता है।
3. इसमे मिट्टी के वातन, इंटरक्रॉपिंग, मेड़ और टॉपसॉइल मल्चिंग को बढ़ावा दिया जाता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A- केवल 1 और 2 B- केवल 2 और 3
C- केवल 1 और 3 D- 1, 2 और 3
उत्तर- C

2. राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. यह ट्रिप्स पर डब्ल्यूटीओ समझौते के अनुरूप है।
2. इसका उद्देश्य भारत के पेटेंट अधिनियम से अनिवार्य लाइसेंसिंग खंड को हटाना है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A- केवल 1 B- केवल 2
C- 1 और 2 दोनों D- न तो 1 और न ही 2
उत्तर- A

3. भारत-यूक्रेन संबंध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. भारत सरकार ने दिसंबर 1991 में यूक्रेन गणराज्य को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता दी।
2. भारत और यूक्रेन ने जनवरी 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित किए।
3. भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में यूक्रेन का चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य और पांचवां सबसे बड़ा समग्र निर्यात गंतव्य है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A- केवल 1 और 2 B- केवल 2 और 3
C- केवल 1 और 3 D- 1, 2 और 3
उत्तर- A

4. संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. इसकी स्थापना 2005 में विश्व शिखर सम्मेलन में हुई थी।
2. भारत, एक संस्थापक सदस्य के रूप में, 2005 से यूएनडीईएफ में $32 मिलियन से अधिक का योगदान देने वाला चौथा सबसे बड़ा योगदानकर्ता था।
3. फंड की देखरेख एक सलाहकार बोर्ड (19 सदस्य) द्वारा की जाती है, जिसमें विभिन्न देशों (भारत सहित) और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A- केवल 1 और 2 B- केवल 2 और 3
C- केवल 1 और 3 D- 1, 2 और 3
उत्तर- D

5. कर लोच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
1. कर लोच जीडीपी में वृद्धि के खिलाफ व्यक्तिगत आयकर और निगम कर के संग्रह में वृद्धि को मापता है।
2. कर लोच का तात्पर्य कर दरों में परिवर्तन के जवाब में कर राजस्व में परिवर्तन से है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A- केवल 1 B- केवल 2
C- 1 और 2 दोनों D- न तो 1 और न ही 2
उत्तर- B

6. न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (NILP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. NILP को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, NCERT और NIOS के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।
2. इसका प्राथमिक उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ व्यक्तियों को साक्षरता प्रदान करना है जो वर्तमान में पढ़ने या लिखने में असमर्थ हैं।
दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A- केवल 1 B- केवल 2
C- 1 और 2 दोनों D- न तो 1 और न ही 2
उत्तर- C

7. अरावली हरित दीवार परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. अरावली हरित दीवार परियोजना भारत के राजस्थान राज्य द्वारा शुरू की गई थी।
2. अरावली पर्वतमाला सबसे पुराने वलित पर्वत हैं, जो अभिसारी प्लेट सीमाओं के संचलन और बाद में वलन द्वारा निर्मित हुए थे।
3. अरावली की सबसे ऊँची चोटी माउंट आबू पर गुरु चोटी है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A- 1, 2 B- 1, 2, 3
C- 2, 3 D- 1, 3
उत्तर- C

9. निम्नलिखित में से देशों का कौन सा समूह नाटो का हिस्सा है?
A- अल्बानिया, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और कनाडा।
B- क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क और बेलारूस।
C- फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस और हंगरी।

D- आइसलैंड, आयरलैंड, लातविया और लिथुआनिया।

उत्तर- C

10. हाल ही में लॉन्च की गई विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. FTP का उद्देश्य 2030 तक भारत के वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है।
2. प्रत्येक राज्य में दो प्रमुख शहरों को निर्यात उत्कृष्टता के नगरों (टीईई) के रूप में नामित किया गया है, जिनकी निर्यात प्रोत्साहन निधियों तक प्राथमिकता पहुंच होगी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

A- केवल 1 B- केवल 2
C- 1 और 2 दोनों D- तो 1 और न ही 2

उत्तर- A

11. अपवर्ड लाइटनिंग घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह एक ऐसी घटना है जिसमें एक लंबी वस्तु से एक स्व-आरंभित बिजली की लकीर विकसित होती है जो ऊपर की ओर विद्युतीकृत तूफानी बादल की ओर जाती है।
2. अपवर्ड लाइटनिंग की चमक आमतौर पर नीचे की ओर बिजली गिरने की तुलना में कम तीव्रता और अवधि की होती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

A- केवल 1 B- केवल 2
C- 1 और 2 दोनों D- न तो 1 और न ही 2

उत्तर- C

12. वनवेब तारामंडल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के साथ साझेदारी में NASA और ISRO के बीच सहयोग है।
2. वनवेब तारामंडल एक LEO ध्रुवीय कक्षा में संचालित होता है, जिसमें 12 रिंगों में स्थित 588 सक्रिय उपग्रहों का एक नेटवर्क होता है।
3. नेटवर्क हाई-स्पीड, लो-लेटेंसी कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जिससे दुनिया को इंटरनेट का उपयोग करने और एक दूसरे से जुड़ने में सक्षम बनाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A- 1, 2 B- 2, 3
C- 1, 3 D- 1, 2, 3

उत्तर- B

13. कांगड़ा चाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में खेती की जाने वाली कैमेलिया साइनेंसिस प्रजाति की पत्तियों, कलियों और कोमल तनों से बनाई जाती है।
2. इसका उत्पादन पश्चिमी हिमालय की धौलाधार पर्वत शृंखला के ढलानों में होता है।
3. यूरोपीय आयोग (EC) ने 1999 में कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेत (PGI) प्रदान किया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A- 1, 2 B- 2, 3
C- 1, 3 D- 1, 2, 3

उत्तर- A

14. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करे।

1. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 टाटा ट्रस्ट्स द्वारा प्रकाशित की गई।
2. एक करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक ने न्याय प्रदान करने में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A- केवल 1 B- केवल 2
C- 1 और 2 दोनों D- न तो 1 और न ही 2

उत्तर- C

15. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएएफआरए) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. इसका गठन 2018 में भारत सरकार द्वारा कंपनी अधि नियम, 2013 की धारा 132 की उप धारा (1) के तहत किया गया था।
2. यह एक लेखांकन/ऑडिट नियामक संस्था है।
3. इसका प्रमुख कार्य केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन के लिये लेखाकर्म और लेखापरीक्षा नीतियों तथा कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों की अनुशंसा करना है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A- केवल 1 और 2 B- केवल 2 और 3
C- केवल 1 और 3 D- 1, 2 और 3

उत्तर- D

16. टेम्पो उपकरण के बारे निम्नलिखित कथनों पर विचार करे:

1. टेम्पो नासा का एक उपकरण है जो अंतरिक्ष से उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषण को ट्रैक करेगा।
2. यह वाणिज्यिक Intelsat 40e संचार उपग्रह पर एक होस्टेड पेलोड है जो उत्तरी अमेरिका के ऊपर भूस्थैतिक कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं हैं?

A- केवल 1 B- केवल 2
C- 1 और 2 दोनों D- न तो 1 और न ही 2

उत्तर- D

व्यक्तित्व

पंडिता रमाबाई

भारतीय इतिहास में 1850 से लेकर 1900 तक का समय सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है। इस समय कई मनीषियों ने तात्कालिक भारत में फैली धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अपनी प्रखर आवाज बुलंद की। इस काल से संबंधित ऐसी ही मनीषियों में से एक थीं पंडिता रमाबाई, जिन्हें प्रायः भारत की पहली नारीवादी कहा जाता है।

पंडिता रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 को महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। रमाबाई के बचपन का नाम रमा डोंगरे था। केशव चंद्र सेन ने इनके ज्ञान से प्रभावित होकर इन्हें पंडिता की उपाधि प्रदान की थी। एक बार महाराष्ट्र में एक भीषण अकाल पड़ा जिसकी वजह से रमा के माता-पिता और छोटी बहन का देहांत हो गया। इसके बाद वह अपने भाई के साथ कोलकाता चली आई। यहां इनके ज्ञान की ख्याति काफी फैल गई, जिसकी वजह से कोलकाता विश्वविद्यालय ने उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि प्रदान की।

आगे चलकर पंडिता रमाबाई ने रूढ़िवादिता पर प्रहार करते हुए एक कायस्थ वकील विपिन बिहारी मेधावी से शादी कर ली। कुछ दिनों बाद इनके पति की मृत्यु हो गई। जिसके बाद इन्होंने अपना जीवन महिला शिक्षा, बाल विवाह एवं विधवाओं के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया।

पंडिता रमाबाई ने पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की एवं मिशनरी गतिविधियों में शामिल हो गई। इन्होंने तात्कालिक पुरुषवादी एवं ब्राह्मणवादी समाज के परंपराओं एवं मान्यताओं पर तर्कों के साथ आलोचना करना प्रारंभ किया और महिलाओं की निम्न स्थिति पर सवाल उठाना शुरू किया।

साल 1882 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में आधुनिक शिक्षा के लिए एक कमीशन गठित की जिसमें पंडिता रमाबाई ने सक्रिय भूमिका निभाई और अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में उन्होंने महिला शिक्षकों, महिला डाक्टरों और महिला इंजीनियरों की आवश्यकता पर बल दिया। ब्रिटिश सरकार ने इनके सिफारिशों को स्वीकार करते हुए इन्हें 'कैसर-ए-हिंद' की उपाधि से सम्मानित किया। अपने ब्रिटेन प्रवास के दौरान पंडिता रमाबाई ने 'द हाई कास्ट हिंदू विमेन' पुस्तक को लिखा जिसमें उन्होंने एक हिंदू महिला होने के दुष्परिणामों की विस्तार से चर्चा की।

1886 में पंडिता रमाबाई अमेरिका पहुंची। गौरतलब है कि जब स्वामी विवेकानंद शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में अपना व्याख्यान दिया तब वहां पर रमाबाई की अगुवाई में कई महिलाएं उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए यह सवाल उठाया था कि यदि हिंदू धर्म इतना महान ही है तो वहां पर महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय क्यों है? इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद के भाषण में महिलाओं की अनदेखी पर भी पंडिता रमाबाई के द्वारा प्रश्न उठाए गए थे। स्वामी विवेकानंद और पंडिता रमाबाई के बीच कई बिंदुओं पर मतभेद थे। हालांकि दोनों तात्कालिक मुद्दों पर अपने विचारों को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे। जहां स्वामी विवेकानंद धर्म की तार्किक व्याख्या कर रहे थे, तो वहीं पंडिता रमाबाई महिला अधिकारों की वकालत कर रही थी।

पंडिता रमाबाई के प्रयासों के फलस्वरूप अमेरिका में 'रमाबाई एसोसिएशन' की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य भारत में चल रहे विधवा आश्रम के लिए संसाधनों को इकट्ठा करना था। बाद में उन्होंने भारत लौटकर विधवाओं हेतु समर्पित 'शारदा सदन' की स्थापना की। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को सहारा देने हेतु 'कृपा सदन' नाम के एक महिला आश्रम की स्थापना की। जीवन भर महिला अधिकारों एवं भारत के सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध प्रखर आवाज उठाने वाली इस महान महिला की 5 अप्रैल, 1922 को मृत्यु हो गई। इनके जीवन के संघर्ष को देखते हुए शुक्र ग्रह के एक क्रेटर का का नाम रमाबाई मेधावी रखा गया। इसी के साथ यूरोपियन चर्च द्वारा 5 अप्रैल को उनकी याद में फीस्ट डे मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा 1989 में रमाबाई की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था।

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

20 Years of Trust

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

UP-PCS में हर वर्ष चयनित होने वाले एक तिहाई से अधिक छात्र ध्येय IAS से

इस वर्ष नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए 200+ (आधे से ज्यादा) चयन ध्येय IAS से

पिछले 9 वर्षों में UP-PCS में Rank 1 पाने वाले ध्येय IAS के छात्र

1st RANK
Vaibhav Mishra

1st RANK
Arvind K. Singh

1st RANK
Himanshu Gupta

1st RANK
Abhinav R. Shriwastava

1st RANK
Anuj Nehra

UP-PCS 2022 में चयनित होने वाले 39 SDM में 17 SDM ध्येय IAS से...

PRATIKSHA PANDEY
RANK 2 (SDM)

AKANKSHA GUPTA
RANK 4 (SDM)

SALTANAT PRAWEEN
RANK 6 (SDM)

MOHSEENA BANO
RANK 7 (SDM)

AISHWARYA DUBEY
RANK 9 (SDM)

ALOK SINGH
RANK 13 (SDM)

NIDHI PATEL
RANK 15 (SDM)

YOGITA SINGH
RANK 18 (SDM)

PRATIKSHA TRIPATHI
RANK 20 (SDM)

JYOTI CHAURASIYA
RANK 21 (SDM)

RASHMI YADAV
RANK 26 (SDM)

CHANDAN SINGH YADAV
RANK 28 (SDM)

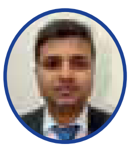
ANKIT VERMA
RANK 29 (SDM)

ARTI SAHU
RANK 30 (SDM)

PANKAJ KUMAR
RANK 34 (SDM)

CHANDRA PRAKASH GAUTAM
RANK 36 (SDM)

MANJUL MAYNAK
RANK 37 (SDM)

ऐसी कई और सफलता की कहानियाँ..

ध्येयIAS®

most trusted since 2003

20 वर्षों का भरोसा

सफलता ही हमारी परम्परा!

4500+ SELECTIONS IN IAS & PCS

₹ 55

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 I **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 I **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 I **Prayagraj :** II & Ill Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 I **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 I **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow, UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 I **Lucknow (Alambagh) :** 58/1 , Sector-B Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony , Alambagh Lucknow,, Ph: 7518373333, 7518573333 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 I **Gorakhpur :** Narain Tower, 2nd floor, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, Ph: 7080847474 I **Bhubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha -751024, Ph: 9818244644/7656949029

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744